राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] पन्द्रहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का एक सौ तिरासीवां दिवस [संख्या: 29

सोमवार,

24 जुलाई 2023

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री धर्मनारायण जोशी।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक ट्रोमा सेंटरों में विकसित करने की कार्ययोजना

554. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि बजट 2020-21 व 2021-22 में समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से प्रदेश के 40 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक ट्रोमा सेंटर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो किन-किन केन्द्रों को कब-कब ट्रोमा सेंटर में विकसित किया गया तथा उक्त पर कितनी राशि व्यय की गयी? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री परसादी लाल): जी हां। वर्ष 2020-21 व 2021-22 में समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से राज्य में 40 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ट्रोमा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गयी थी। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

वर्ष 2020-21 में 40 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 39 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्राइमरी ट्रोमा सेंटर पर सिविल कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष एक शिवगंज (सिरोही) के जिला स्तर अस्पताल में क्रमोन्नत होने के कारण कार्य नहीं किया गया है।

वर्ष 2021-22 में 40 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 35 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्राइमरी ट्रोमा सेंटरों पर सिविल कार्य पूर्ण

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

किया जा चुका है तथा शेष 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। (विवरण परिशिष्ट-ब)

उपकरणों की खरीद हेतु आर.एम.एस.सी.एल. जयपुर द्वारा उपलब्ध दर पर संविदानुसार कुल 22 उपकरणों की खरीद की जा चुकी है एवं शेष 27 उपकरणों की खरीद की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उपलब्ध संसाधनों से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्राइमरी ट्रोमा केयर दी जा रही है।

वर्ष 2020-21 में उपकरण हेतु 8 करोड़ 80 लाख व सिविल कार्य हेतु 01 करोड़ 20 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

वर्ष 2021-22 में उपकरण हेतु कुल 20 करोड़ रुपये में से सिविल कार्य पर 01 करोड़ 78 लाख 15 हजार तथा उपकरण पर वर्तमान में 7 करोड़ 94 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

अभी तक कुल 9 करोड़ 72 लाख 15 हजार रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है, समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से जिन 40 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राइमरी ट्रोमा सेंटर बनाया है, इनमें देबारी से चित्तौड़ वाया मावली फतेहनगर हाईवे पर एक भी ट्रोमा सेंटर नहीं है। मेरा प्रश्न है, क्या सरकार फतेहनगर में प्राइमरी ट्रोमा सेंटर स्थापित करने का विचार रखती है, क्योंकि...

श्री अध्यक्ष: क्योंकि की जरूरत नहीं है। प्रश्न करें।

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सदस्य ने कहा, मावली से उदयपुर तक कोई ट्रोमा सेंटर नहीं है। इसकी जांच करवा लेंगे और इसी साल इसे स्वीकृति जारी कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद चाहिये अब तो।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): धन्यवाद साहब।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जोराराम कुमावत।

सुमेरपुर में वंचित किसानों को फसल खराबे का मुआवजा

555. श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में वर्ष 2021-22 व 2022-23 में कितने किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा कराया है? उक्त अवधि में खरीफ फसल का अतिवृष्टि, अनावृष्टि से पाली, सुमेरपुर व रानी पंचायत समितियों में कितने प्रतिशत खराबा हुआ? क्या यह सही है कि किसानों को 33 प्रतिशत से अधिक फसल खराबे पर बीमाधारकों को प्रधान मंत्री फसल बीमा क्लेम देने का प्रावधान है? यदि हां, तो उक्त तीनों पंचायत समितियों में कितने किसानों को क्लेम दिया गया व कितनों को क्लेम दिया जाना शेष है? क्या सरकार शेष रहे किसानों को क्लेम देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त अवधि में उक्त पंचायत समितियों में कितना प्रतिशत फसल खराबा हुआ? क्या सरकार उक्त अवधि में अकाल पड़ने से खरीफ फसल नष्ट होने के कारण बीमाधारक किसानों को बीमा क्लेम की राशि व अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में वर्ष 2021-22 में 01 लाख 7 हजार 334 तथा वर्ष 2022-23 में 01 लाख 41 हजार 132 फसल बीमा पालिसियां सृजित हुई हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा इकाई तहसील/पटवार मण्डल हैं।

जिला प्रशासन द्वारा निम्न प्रकार खराबा बताया गया है:-

मौसम	तहसील	दर्ज किया गया खराबा प्रतिशत
खरीफ 2021	सुमेरपुर	97.49
	रानी	93.14
	पाली	98.20
खरीफ 2022	पाली	98.05
खरीफ 2022 में सुमेरपुर एवं रानी तहसील में खराबा दर्ज नहीं किया गया है।		

जी नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत योजना प्रावधानों में दर्ज की गयी उपज क्षति के आधार पर ही आनुपातिक बीमा क्लेम दिये जाते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र में खरीफ 2021 से

(कृषि मंत्री)
खरीफ 2022 तक अधिसूचित बीमा इकाई में अधिसूचित फसल में दर्ज की गयी उपज क्षति के आधार पर 70 हजार 853 फसल बीमा पालिसीधारक किसानों को बीमा क्लेम जारी किये गये हैं, जिसमें से 68 पालिसीधारक किसानों के बीमा क्लेम खाते सत्यापित न होने के कारण लम्बित हैं। रबी 2022-23 के बीमा क्लेम की गणना राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर जारी है।

(2) बिन्दु संख्या 01 में जिला प्रशासन द्वारा बताया गया खराबा दर्ज है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र में उक्त अवधि में 84 करोड़ 30 लाख रुपये के बीमा क्लेम योजना प्रावधानों में दर्ज की गयी उपज क्षति के आधार पर जारी किये गये हैं।

जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्र में वितरित आदान अनुदान का विवरण निम्न प्रकार है:-

मौसम	**तहसील**	**वितरित आदान अनुदान की राशि**	**आदान अनुदान से लाभान्वित किसान**
खरीफ 2021	सुमेरपुर	14 करोड़ 9 लाख 73 हजार रुपये	21 हजार 734
	रानी	8 करोड़ 19 लाख 47 हजार रुपये	14 हजार 543
	पाली	16 करोड़ 41 लाख 37 हजार रुपये	19 हजार 155
खरीफ 2022	पाली	5 करोड़ 29 लाख 99 हजार रुपये	5 हजार 29

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, उत्तर आ गया है, मैं सीधा अपना प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, माननीय सीधा प्रश्न पूछना चाहते हैं, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2021-22 में खरीफ की फसल में 01 लाख 7 हजार 336 किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा पालिसी सृजित की थी। वर्ष 2022-23 में खरीफ की फसल में 01 लाख 41 हजार 132 किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी करायी। कुल 2 लाख 48 हजार 667 किसानों ने बीमा पालिसी करायी, जिसमें खरीफ वर्ष 2021 से खरीफ वर्ष 2022 तक 70 हजार 853 पालिसीधारक किसानों को 84 करोड़ 30 लाख रुपये के बीमा क्लेम का भुगतान हुआ, जिसमें से 68 पालिसीधारक

(श्री जोराराम कुमावत)
किसानों के खाते सत्यापित न होने के कारण बीमा क्लेम्स लम्बित हैं। क्या सरकार शेष रहे 01 लाख 76 हजार 545 बीमा धारक किसानों को बीमा क्लेम देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो 2021-22 में टोटल बीमा पालिसीज सृजित हुई हैं, वे 01 लाख 7 हजार 344 हैं। 2022-23 में 01 लाख 41 हजार 132 पालिसीज सृजित हुई हैं। इसमें जिन पालिसीधारक किसानों को नुकसान हुआ, वे थे 70 हजार 853, इन सभी को भुगतान कर दिया गया है। इनमें से 68 पालिसीज ऐसी थीं, जिनमें 28 किसान हैं, केवल उनका पेमेंट बाकी है। वह इसलिए, क्योंकि हमारा जो बीमा का पोर्टल था, उन्होंने जो पैसा डाला था, उनके जो खाते थे आधार के, वे मैच नहीं हो पाये। हमने कल ही दिशा-निर्देश दिये हैं कि हमारे कृषि पर्यवेक्षक इन 28 किसानों के घर जाएंगे और उनके खाते सही करवाकर, जो उनका पैसा कम्पनियों में पड़ा है, वह उनके खातों में चढ़ जायेगा।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, 2021-22 में 01 लाख 7 हजार 336 किसानों ने बीमा कराया...

श्री अध्यक्ष: यह बार-बार हो गया, केवल 70 हजार ही एलिजिबल हैं। सबको थोड़े ही मिलेगा यह?

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, 01 लाख 76 हजार 545 किसान बच रहे हैं...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जब उनका क्लेम बीमा वाले मान ही नहीं रहे तो उन्हें कैसे मिलेगा? 68 पालिसी बाकी हैं, उनका पेमेंट हो जायेगा।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): दूसरा, मेरा प्रश्न है, आपने जवाब में बताया कि रबी 2022-23 में बीमा क्लेम की गणना राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर जारी है। यह गणना कब तक पूरी होगी और कब तक इन किसानों को क्लेम मिलेगा?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, तीन दिन पहले भी यह प्रश्न आया था। हमारा 210 करोड़ रुपये का राज्यांश देना बाकी था, वह तीन दिन पहले हमने डलवा दिया है। राज्यांश पूरा हो गया, जो अपने नेता, प्रतिपक्ष ने पूछा था, वह 210 करोड़ रुपये डलवा दिया है। 01 हजार 55 करोड़ राज्यांश टोटल बीमा का है। 15 दिन का टाइम भारत सरकार का होता है। जैसे ही भारत सरकार पैसे डालेगी, कम्पनी पेमेंट कर देगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

चित्तौड़गढ़ में बांध परियोजना क्षेत्रों का संरक्षण

556. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में कितनी बांध परियोजनाएं कहां-कहां पर कब से संचालित हैं? उक्त बांधों से किस-किस विधान सभा क्षेत्र की कितनी ग्राम पंचायतों को पेयजल एवं सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त बांधों की परिधि एवं प्रभावी क्षेत्रों को ईको जोन (संरक्षित क्षेत्र) घोषित किया गया है? यदि हां, तो इनके संरक्षण एवं सुरक्षा के सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) उक्त जिले के किन-किन बांधों की परिधि एवं प्रभावी क्षेत्रों की भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण किया गया है? क्या सरकार बांध क्षेत्र की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया): (1) जिला चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित बांध परियोजनाओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त बांधों में से राणाप्रताप सागर बांध, औराई बांध एवं बस्सी बांध के परिधि एवं प्रभावी क्षेत्रों में वन एवं वन्य जीव अभयारण्य होने से इनको संरक्षित क्षेत्र (ईको जोन) घोषित किया गया है। इन बांधों की सुरक्षा एवं संरक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है तथा ईको जोन के संरक्षण एवं सुरक्षा की कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जाती है।

(3) चित्तौड़गढ़ जिले के उक्त बांधों की परिधि एवं प्रभावी क्षेत्रों की भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा किसी भी प्रकार का अतिक्रमण विभाग के संज्ञान में नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, उत्तर आ गया है। क्या मैं डायरेक्ट ही अपना प्रश्न पूछ लूं?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछ लें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ के गम्भीरी बांध से होकर निकलने वाली गम्भीर नदी का प्रवाह क्षेत्र चित्तौड़गढ़ शहर से गुजरता है? क्या उक्त क्षेत्र में विभाग द्वारा संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान है? क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ शहर में गम्भीर नदी में उक्त प्रवाह क्षेत्र में लगातार भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? क्या सरकार चित्तौड़गढ़ शहर में प्रवाहित होने वाली नदियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की इच्छा रखती है?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो विभाग के पास अतिक्रमण की कोई सूचना नहीं है, लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य बता रहे हैं कि वहां पर अतिक्रमण कर रखा है, इसे अविलम्ब दिखाएंगे और अतिक्रमियों को तत्काल प्रभाव से बेदखल करेंगे।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): साहब, समय दे दें। पहले भी यह प्रश्न आया है, उसका हुआ नहीं था।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): अगले 10 दिन में।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): ठीक है साहब।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुरेश मोदी।

नीम का थाना में जल जीवन मिशन के तहत नलकूप

557. श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नीम का थाना तहसील में जल जीवन मिशन के तहत कुल कितने नलकूप खोदे गये एवं उनमें से कितने सूखे निकले? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) उक्त तहसील में सूखे नलकूपों के बदले अन्य खोदे जाने वाले नलकूपों के प्रस्तावों पर की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. महेश जोशी): (1) नीम का थाना तहसील में जल जीवन मिशन के तहत भूजल आधारित स्वीकृत 137 योजनाओं में 334 नलकूप निर्मित किये जाने की स्वीकृतियां जारी की गयीं। इन योजनाओं में से 122 योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं, जिनके अन्तर्गत स्वीकृत 306 नलकूपों में से आदिनांक तक 302 नलकूप खोदे जा चुके हैं तथा 4 नलकूपों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)
खोदे जा चुके 302 नलकूपों में से 78 नलकूप सूखे/असफल पाये गये। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में सूखे/असफल नलकूपों के एवज में नवीन नलकूप स्वीकृत नहीं किये जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे पास उत्तर आ गया है, मैं सीधा प्रश्न पूछना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा। आप हमारी मदद कर रहे हैं। उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। प्रश्न पूछें।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि जो सूखे नलकूप खोदे गये हैं, उनकी एवज में कोई स्वीकृति नहीं दी जायेगी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अगर सूखे नलकूपों की एवज में नये नलकूप नहीं लगाये जाएंगे तो क्या सरकार वहां की जनता को पानी उपलब्ध नहीं करायेगी?

मंत्री जी ने एक और जवाब दिया है कि 137 में से 122 योजनाओं की उन्होंने स्वीकृति दी है। जिन 15 गांवों की स्वीकृति आपने नहीं दी है, वह आप कब तक जारी करेंगे, उनमें काम कब तक स्वीकृत कराएंगे, कब चालू कराएंगे?

मेरा एक और प्रश्न है।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, याद ही नहीं रहेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्री जी एक-एक प्रश्न का जवाब देंगे।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जे.जे.एम. का जो सिस्टम है, उसमें एक-एक योजना, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, हमें एस.एल.एस.एस.सी. में उसकी मंजूरी लेनी पड़ती है। एस.एल.एस.एस.सी. में सम्भावना के अनुसार, कि एक नलकूल सूखा मिल जायेगा तो दूसरे नलकूप का प्रावधान करें, यह सम्भव नहीं होता। हमारी एक और स्कीम है, जो जे.जे.एम. से सम्बन्धित नहीं है, स्टेट हैड से है, एम.एन.पी., मिनिमम नीड प्रोग्राम की। जहां हमारे नलकूप सूखे निकल गये हैं जे.जे.एम. में, हम एम.एन.पी. से उन्हें कम्पन्सेट करने की कोशिश करते हैं।

आपके विधान सभा क्षेत्र में कुल 78 नलकूप सूखे मिले जे.जे.एम. में। इनमें से 30 नलकूप एम.एन.पी. से हमने उनको दे दिये हैं। मैं माननीय

(डा. महेश जोशी)

सदस्य को विश्वास दिलाता हूं, शेष 48 नलकूपों में, जहां-जहां पर हाइड्रोलॉजिस्ट की रिपोर्ट पाजिटिव होगी, वहां-वहां हम एम.एन.पी. से आपके नलकूप खुदा देंगे। आपके यहां जनता को प्यासा नहीं रखेंगे। जनता को पानी पिलाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। चाहे कहीं आस-पास भी हाइड्रोलोजिस्ट की पाजिटिव रिपोर्ट आये, वहां से नलकूप खोदकर आपके सम्बन्धित गांव में पानी की व्यवस्था करेंगे। यह मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): मंत्री महोदय, कोई समयावधि बताएं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी खड़े हैं। दो चीजें नहीं होतीं। मंत्री जवाब दे रहे हैं, आप खड़े होकर प्रश्न पूछ रहे हैं।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, समयावधि तय इसलिए नहीं हो सकती, अभी तो जे.जे.एम. की समयावधि पूरी नहीं हुई है। जे.जे.एम. में जो सिस्टम है, उसमें जो समयावधि तय है, उसके अनुरूप हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं कोई कमिटमेंट दे दूं और ठेकेदार काम पूरा नहीं कर सके, मेरी जवाबदेही सदन के प्रति हो जाती है। हम लक्षित कर सकते हैं कि हमारी जे जे एम की समयावधि में हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे।

आपने जो 15 ग्रामों के लिए पूछा है। हमने उसकी निविदा वित्त विभाग में अनुमोदन के लिए भेजी हुई है। जैसे ही वहां से परमिशन प्राप्त होगी, उन 15 गांवों के लिए भी हम काम शुरू करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): अध्यक्ष महोदय, मेरे दो सवाल रह गये हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें, प्लीज। आपका हो गया। माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, आपने खण्ड 01 में कहा कि 306 नलकूपों की स्वीकृति थी, जिनमें से आपने आज तक 302 खोदे और 302 में 78 नलकूप सूखे पाये गये। हाइड्रोलोजिस्ट की रिपोर्ट पर नलकूप खोदते हैं। क्या यह सही है कि जो ये 302 नलकूप खोदे हैं, जिनमें से सूखे पाये गये हैं,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इनमें हाइड्रोलोजिस्ट की रिपोर्ट या तो गलत थी या बिना हाइड्रोलोजिस्ट के रिपोर्ट के खोदे गये थे, जिससे सरकार का इतना पैसा जाया हुआ? खोदते ही असफल पाये गये।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी हाइड्रोलोजिस्ट इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं जो सम्भावना बता रहा हूं, उसमें नीचे पानी निकलेगा ही निकलेगा। अध्यक्ष महोदय, सम्भावना के आधार पर काम होते हैं।

जे.जे.एम. में हमसे गवर्नमेंट आफ इंडिया 15 साल की अनवरतता चाहती है, पानी के लिए कंटीन्यूटी चाहती है। हमारे 78 नलकूपों में से, कोई भी नलकूप हो, 01 हो या 78 हो, उसमें अगर एक साल का पानी है तो वह जे.जे.एम. में कवर नहीं होता है, क्योंकि 15 साल की सस्टेनेबिलिटी जे.जे.एम. चाहता है, इसलिए हम सम्भावना के आधार पर नलकूप खोदते हैं। पानी नहीं निकला, इसका मतलब हम यह नहीं कर सकते कि हाइड्रोलोजिस्ट को नौकरी से निकाल दें या उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें। हम सम्भावना के आधार पर करते हैं। यह शुरू से हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार नलकूप सूखे नहीं निकले हैं। माननीय नेता, प्रतिपक्ष आपकी सरकार थी, तब भी नलकूप सूखे निकलते थे। तब जे.जे.एम. नहीं था, एम.एन.पी. पर काम होता था।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, वहीं बैठे-बैठे पानी आ जायेगा। ये बिलकुल गलत बात है। श्रीमती अनिता भदेल।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी में एक और सवाल है।

श्री अध्यक्ष: आप प्लीज बैठें। I will not allow it. प्लीज बैठें। रिकार्ड नहीं होगा। प्लीज नीचे बैठें। श्रीमती अनिता भदेल।

अजमेर के दी अरबन को-आपरेटिव बैंक में वित्तीय अनियमितताओं पर कार्यवाही

558. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा दी अरबन को-आपरेटिव बैंक, अजमेर में बैंक संचालक मण्डल को वित्तीय अनियमितताओं के कारण भंग

(श्रीमती अनिता भदेल)

कर प्रशासक नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो प्रशासक द्वारा दोषी ऋणियों से वसूली हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा दोषी ऋणियों से वसूली हेतु उनकी सम्पत्ति नीलाम करने की कार्यवाही अमल में लाई गई है? यदि हां, तो किस-किस ऋणी की सम्पत्ति कब-कब नीलाम की गई? सम्पत्ति की नीलामी किस स्थान पर की गई व कितनी सम्पत्तियां नीलाम हुईं तथा उक्त नीलामी से कितनी राशि वसूल की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त बैंक में ऐसे कितने ऋणी हैं जिन्होंने ऋण चुकाने के बजाय सहकारिता न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालयों में स्थगन आदेश ले रखे हैं? क्या सरकार उक्त स्थगन आदेशों को निरस्त करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) जी हां। दी अजमेर अरबन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, अजमेर के संचालक मण्डल को भंग कर दिनांक 26.02.2010 को प्रशासक नियुक्त किया गया था। दोषी ऋणियों से वसूली हेतु राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 99 व 100 एवं राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003 के नियम 94 के तहत प्रक्रिया अपनाकर वसूली की कार्यवाही की गई।

(2) जी हां। अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही करते हुए सम्पत्ति नीलाम कर तीन ऋणियों से राशि रुपये 51.61 लाख रुपये की वसूली की गई। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) अजमेर अरबन को-आपरेटिव बैंक लि. के तीन ऋणियों को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से नीलामी पर स्थगन आदेश प्राप्त हुआ है।

स्थगन आदेशों को वैकेट कराने की प्रक्रिया जारी है। प्रकरण न्यायिक प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आ ही गया है। मैं पूरक प्रश्न पूछ लेती हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। माननीय प्रश्न पूछ लें।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी चाहता हूं कि जो क्वेश्चन लगाया जा रहा है उसे सदन के सभी सदस्य सुनें। यह तीसरी बार प्रश्न आ चुका है। सब सुनें तो अच्छा रहेगा। एक ही प्रश्न को बार-बार क्यों लगाया जा रहा है?

श्री अध्यक्ष: उत्तर पढ़ा हुआ माना गया।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि जिस संचालक मण्डल को अनियमितताओं के कारण से भंग किया गया, उस संचालक मण्डल के खिलाफ विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यह पहला प्रश्न है।

दूसरा प्रश्न है। कुल दोषी ऋणी कितने थे? उनसे अब तक कितनी राशि वसूली गई और कितनी राशि अब तक वसूलने से शेष है? तीसरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: दो काफी हैं। तीसरा बाद में पूछ लेना।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ठीक है, दो काफी हैं।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मुद्दा राशि वसूलने का है। अवसायन के समय कुल बकाया ऋण 16 करोड़ 54 लाख रुपये था। वसूली 7 करोड़ 64 लाख की हो गई है। 4 करोड़ के प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं। 5 करोड़ के ऋण बिना गारंटी के थे, जिन्हें 2006 की आडिट में आर बी आई ने डूबत में डाल दिया है। 42 लाख रुपये के ऋण में प्रोपर्टी खुर्द-बुर्द हो गई है और संचालक मण्डल के खिलाफ उस समय कार्यवाही की गई थी। उसे भंग कर दिया गया था। आज की स्थिति भी वही है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, 20 हजार खाताधारक 2010 के बाद में आज 2023 हो गया, 13 सालों से परेशान हो रहे हैं। मेरे बार-बार प्रश्न लगाने के पीछे भी हेतु ये ही है। मैं अपनी मंशा को स्पष्ट करना चाहती हूं।

जिन्होंने अनियमितताएं कीं, उनके खिलाफ हम कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं। जो खाताधारक परेशान हो रहे हैं, जिनकी गाढ़ी कमाई का पैसा जमा है, उनको विभाग लौटा नहीं रहा है। जिन्होंने गलत पैसा जमा कर लिया, बिना गारंटी के जमा कर लिया, उनको ऋण क्यों दिया? जिन्होंने ऋण दिया, उनके खिलाफ हम कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा

(श्रीमती अनिता भदेल)

आपके माध्यम से सिर्फ इतना निवेदन है कि विभाग उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं है, परन्तु जिनका पैसा जमा है, क्या विभाग बैंक की अचल सम्पत्ति को बेचकर उन खाताधारकों को अपना पैसा लौटाने की मंशा रखता है?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): सरकार की मंशा साफ है। जिसने बैंक में पैसा जमा कराया, उसका पैसा नहीं डूबे लेकिन उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश होने की वजह से वह काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मैं टेबल करता हूं, बहुत लम्बी चौड़ी लिस्ट है। आप देख लें। न्यायालय में तारीख वाइज हमारे अधिकारी बराबर पैरवी कर रहे हैं। न्यायालय से स्टे होने के कारण वह कार्यवाही नहीं हो रही है। बाकी पूरा विवरण 16.64 करोड़ का था। वह मैंने आपको प्रस्तुत कर ही दिया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, यह आश्वस्त कर दें कि कोर्ट का फैसला पक्ष में हो जायेगा। उसके बाद हम डिस्बर्स कर देंगे क्या?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): कोर्ट का फैसला आने के बाद तो कोर्ट जो आदेश देगी, वह कार्यवाही आगे कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मेवाराम जैन।

बाड़मेर में खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित परिवार

559. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर में खाद्य सुरक्षा योजना में माह दिसम्बर, 2022 तक सभी जरूरतमंद परिवार नहीं जुड़ने से योजना का लाभ नहीं उठा सके? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में ऐसे कितने परिवार हैं जो खाद्य सुरक्षा योजना से तो जुड़े हुए हैं एवं किन्हीं कारणों से उक्त योजना के लाभ से वंचित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने आवेदन खाद्य सुरक्षा योजना में प्राप्त हुए हैं व कितने लम्बित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) भारत सरकार द्वारा प्रदेश की वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार राष्ट्रीय

(खाद्‍य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

खाद्‍य सुरक्षा योजनान्तर्गत 4.46 करोड़ लाभार्थियों को चयनित किये जाने की सीलिंग निर्धारित की गई थी। भारत सरकार द्‍वारा कवरेज में कोई भी संशोधन अगली जनगणना के जनसंख्या अनुमान आंकड़े प्रकाशित होने के बाद संभव हो सकेगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में खाद्‍य सुरक्षा में नव चयनित परिवारों में से 300 परिवार के राशनकार्ड पर विभिन्न तकनीकी कारणों यथा आधार कार्ड मैपिंग नहीं होने, परिवार के सदस्य का नाम किसी अन्य कार्ड में पहले से दर्ज होने के कारण पोस मशीन से ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहे हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में खाद्‍य सुरक्षा योजना के तहत नाम जुड़वाने हेतु कुल 15,172 आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा 11,537 आवेदन (शेष 8178+सेंड-बैक 3359) लम्बित हैं।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि भारत सरकार तो इसमें जोड़ नहीं रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट घोषणा में 10 लाख परिवारों को खाद्‍य सुरक्षा से जोड़ने की घोषणा की है। उसमें से बाड़मेर जिले में कितने आवेदन आये, कितनों को जोड़ा गया और कितने पेंडिंग हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय, यह अलग प्रश्न है। खाद्‍य सुरक्षा से सम्बन्धित पूछें। मुख्य मंत्री से सम्बन्धित नहीं है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): खाद्‍य सुरक्षा का ही है।

श्री अध्यक्ष: आप भारत सरकार का पूछें, उनको जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे? बात खतम होती है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): दूसरा मेरा प्रश्न है। बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र में खाद्‍य सुरक्षा के कितने आवेदन आये हैं और कितने पात्र पाये गये? जो पेंडिंग हैं उनको कब तक जोड़ा जायेगा?

सैकंड प्रश्न है, आपने बताया कि 300 परिवार, जिनको लाभ नहीं मिल रहा है और वे उसमें जुड़े हुए हैं तो इनकी जांच करवाकर जो कोई त्रुटि है, उनको किस तरह से जोड़ेंगे? मंत्री जी, कृपया बतायें।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्‍य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र में प्राप्त अपील हैं 15,172, स्वीकृत अपील हैं 3,479, निरस्त अपील हैं 156, लम्बित अपील हैं 8,178, 3,359 को वापस भेजा है।

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

आप जो बात कर रहे हैं, उसमें प्रोब्लम यह आ रही है कि आधार कार्ड में कई जगह पर इन लोगों का नाम दूसरी जगह पंजीकृत है और कोई न कोई सदस्य वहां उठा रहा है। उसमें दिक्कत आ रही है। ऐसे मामलों में आपको कोई प्रोब्लम है तो आप एक काम कर लें, आपके यहां एस.डी.ओ. लगे हैं, उनसे बात कर लीजिए। फिर भी कोई प्रोब्लम आये तो मुझे बताना। मैं वहां का लोकल अधिकारी आपके घर पर भेजूंगा जो इस प्रोब्लम को सोर्ट-आउट कर देगा, आपकी विधान सभा क्षेत्र की।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मोहन राम चौधरी। मैंने बोला था। आप उनको याद तो दिलाते। इनकी उम्र ज्यादा है या कम है।

वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति से प्राप्त किराये की राशि का उपयोग

560. श्री मोहन राम चौधरी (नागौर): क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या वक्फ बोर्ड की भूमि पर निर्माण कार्य कर किराये पर दिया जा सकता है? यदि हां, तो उक्त से प्राप्त राशि का उपयोग किस कार्य हेतु किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह राशि जनहितार्थ कार्य में उपयोग में ली गई है? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में कहां-कहां पर, किस-किस कार्य हेतु उक्त राशि का उपयोग किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

वक्फ मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) जी हां। वक्फ अधिनियम-1995 की धारा-32 के प्रावधानुसार वक्फ बोर्ड द्वारा उक्त कार्य किया जा सकता है।

वक्फ सम्पत्ति से प्राप्त राशि का उपयोग वक्फ सम्पत्ति के विकास, संरक्षण एवं रखरखाव और धार्मिक, पवित्र एवं परोपकारी कार्यों तथा अन्य विधि संगत लोकोपयोगी उद्देश्य में किया जाता है।

(2) जी हां। यह राशि जनहितार्थ कार्य में उपयोग में ली जा रही है। विगत तीन वित्तीय वर्षों में वक्फ बोर्ड द्वारा राजस्थान राज्य में उक्त राशि के उपयोग का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। अगला प्रश्न। श्रीमती सन्तोष।

निजी परिवहन सेवा की बसों से सड़क दुर्घटनाएं

561. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने का श्रम करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में परिवहन सेवा के निजीकरण को बढ़ावा देने से आमजन पर आर्थिक भार एवं दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो माह जनवरी, 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक की अवधि के दौरान हुई दुर्घटनाओं में मृतकों व अपाहिजों की संख्या कितनी है? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड स्लीपर कोच बसें भी संचालित हैं? बीकानेर संभाग में विगत तीन वर्षों में उक्त बसों से दुर्घटनाओं के कारण मौतें व आगजनी की कितनी घटनाएं हुई हैं तथा उक्त से प्रभावितों को कितनी सहायता राशि दी गई? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने तथा निजीकरण की आड़ में हो रही अनियमितता को समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, परिवहन (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) जी नहीं। गृह विभाग से प्राप्त जवाब के अनुसार प्रदेश में जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2022 तक की अवधि के दौरान हुई दुर्घटनाओं में मृतकों व घायलों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। अपाहिजों का रिकार्ड अलग से संधारित नहीं है।

(2) अक्टूबर 2022 से पूर्व दोषी (Errant) वाहनों को ब्लैक लिस्ट के रूप में फ्लैग किया जाता था, किन्तु वर्तमान में इस प्रकार के वाहनों को वाहन पोर्टल पर लॉक्ड फ्लैग किया जा रहा है । लॉक्ड के रूप में फ्लैग वाहनों के सड़क पर संचालन हेतु रोक नहीं है। इस प्रकार के वाहनों को दोष निवारण हेतु कतिपय सेवाओं यथा वाहन के पंजीयन संबंधी, स्वामित्व हस्तान्तरण, फिटनेस, परमिट, हाइपोथेकेशन एण्डोर्समेंट, टर्मिनेशन इत्यादि हेतु रोक का प्रावधान है।

विगत तीन वर्षों में बीकानेर संभाग में ब्लैक लिस्टेड/ लॉक्ड स्लीपर कोच बसों से दुर्घटना में मृतकों एवं सहायता राशि की जिलेवार सूचना निम्नानुसार है:-

(राज्य मंत्री, परिवहन)

जिला	ब्लैक लिस्ट/लॉक्ड स्लीपर कोच से हुई कुल दुर्घटनाएं	कुल हुई मौतें	परिवारों को दी गई राशि (लाखों में)
बीकानेर	2	1	0
श्रीगंगानगर	1	1	0
हनुमानगढ़	0	0	0
चूरू	1	1	1
कुल योग	**4**	**3**	**1**

दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के नाम व सहायता राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

गृह विभाग से प्राप्त जवाब के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात नियमों की पालना करना एवं इस ओर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। यातायात नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही की जा रही है व सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर आदेश/परिपत्र/दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(प्रतियां एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं, इन्होंने यह जो जवाब में दिया है, इसमें एक तो आधे-अधूरे आंकड़े दिये हैं। इन्होंने जो ब्लैक लिस्टेड बसें बतायी हैं उनमें जो तीन मामले बताये हैं उनमें से एक में ही मुआवजा दिया गया है जबकि मेरे यहां जो हादसे हुए हैं, 19.09.2021 को एक हादसा हुआ जिसमें बस जलने के कारण तीन व्यक्ति जिन्दा जल गये थे उसके अन्दर और अभी हाल ही में उस पर कंट्रोल नहीं होने के कारण 29.06.2023 को फिर एक बस जली और दो व्यक्ति जिन्दा जल गये। माननीय मंत्री जी ने जो यह बताया, एक तो उनको अभी तक कोई मुआवजा राशि या कुछ भी क्यों नहीं मिला?

दूसरा, मेरा प्रश्न यह है कि प्रयास कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन नियम बनाये और नियम भी मुझे इसके जवाब में दिये गये हैं, लेकिन उन

(श्रीमती संतोष)

नियमों पर कार्यवाही क्या की गयी है, एक्शन क्या लिया गया है? क्या सरकार इसके बारे में जवाब देगी? जो मेरे यहां हादसे हुए हैं वो एक तो ब्लैक लिस्टेड बस की ओवरस्पीड के कारण हुए हैं तो उनके प्रति सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, रिपीट हो गया है। पहले बोल दिया आपने।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): माननीय सदस्या, आपने स्पेसिफिक स्लीपर कोच का पूछा है तो स्लीपर कोच में एक को मुआवजा दे दिया, दो लोगों ने आवेदन ही नहीं किया है।

दूसरा, आपने पूछा है कि क्या कार्यवाही की गयी, तो हमने जो हमारे ब्लैक स्पॉट हैं या जो बसों की कमी है किसी कारण से जैसे उसमें कोई फिटनेस नहीं है, कोई दूसरे तरह की कमी है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो उसके लिए हमने एक सिस्टम अभी बनाया है जो भारत सरकार से फंडेड है उसके तहत हम सब बसों में ये पेनिक बटन लगा रहे हैं, बीएलटीडी लगा रहे हैं और जो सम्बन्धित विभाग है, पुलिस को हमने निर्देश दिये हैं, पुलिस को हमने इसमें पॉवर डेलिगेट कर रखे हैं कि वो अभियान चला कर जो ऐसी बसें हैं, जिनकी दुर्घटनाग्रस्त होने की सम्भावना है और जिनका फिटनेस नहीं हुआ है, जिन पर दूसरे तरीके की टैप नहीं लगी हुई है या जिनके इंजन में खराबी है, उस तरह की बसों को अभियान चला कर और उनको पाबंद करें। पब्लिक सेफ्टी के लिए हमने यह व्यवस्था की है कि बसों में फायर फाइटिंग सिस्टम भी रखें। दूसरे तरह के जो और बचाव के तरीके हैं उनकी बहुत लम्बी सूची है जो मैंने आपको परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध करायी है।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जैसा बताया कि स्लीपर कोच नहीं, इसके अन्दर परिवहन सेवा के निजी वाहन के बारे में भी मैंने पूछा हुआ है जिसके बारे में नहीं बताया। मैं यह पूछना चाहती हूं कि 19.09.2021 को हादसा हुआ था, तीन व्यक्ति जिन्दा जले उस बस में, वो ब्लैक लिस्टेड बस थी और एक वृद्ध महिला जो अपने जमीन के कागज और जमीन बेच कर आठ लाख रुपये लेकर के जा रही थी, उसका भी सारा वह नुकसान हो गया, सब जल गया, उसका पूरा घर बर्बाद हो गया। इन बसों पर कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या कर रही है? आप बोल

(श्रीमती संतोष)

रहे हो कि अभियान चला रहे हो, लेकिन अभी भी जो दुबारा हादसा हुआ है 29.06.2023 को फिर इसी प्रकार का ओवरस्पीड के कारण हुआ है तो कंट्रोल कहां हुआ है? सरकार इसको संज्ञान में लेगी या नहीं?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): निश्चित रूप से संज्ञान में लेंगे माननीय सदस्या, और आप जो पर्टिकुलर बस है उसका मुझे बता दें, मैं उसकी जानकारी कराऊंगा और जांच कराऊंगा।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): एफ.आई.आर. है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, आप उत्तर नहीं चाह रही हैं? वे जब कह रहे हैं कि आप दे दें, कार्यवाही करेंगे।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): आपने प्राइवेट बसों का ही पूछा है और उसमें भी पर्टिकुलरली स्लीपर बस का ही पूछा है और आपने यह पूछा है कि रोडवेज के रूट पर कितनी चल रही हैं रोडवेज का निजीकरण करके अब, तो उसी का पर्टिकुलर जवाब दिया है। आप मुझे दे दें यह सूचना और मैं निश्चित रूप से इस पर कार्यवाही कराऊंगा और जो भी कानून सम्मत उनको मुआवजा देने की बात होगी, वह भी करवाऊंगा।

प्रश्न संख्या 562

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोपीचंद मीणा।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री फूल सिंह मीणा।

झामर कोटड़ा ग्राम पंचायत (उदयपुर ग्रामीण) में हाइटेंशन लाइन को हटाने की कार्ययोजना

563. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत झामर कोटड़ा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के ऊपर से आर.एस.एम.एम. लिमिटेड की हाइटेंशन लाइन जा रही है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त हाइटेंशन लाइन के नीचे आंगनबाड़ी

(श्री फूल सिंह मीणा)

भवन भी बना हुआ है जिससे हमेशा दुर्घटना की संभावना बनी रहती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विद्यालय के छात्रों को दुर्घटना से बचाने के लिए उक्त लाइन को किसी अन्य जगह पर शिफ्ट करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत झामर कोटड़ा में 132 के वी वोल्टेज के विद्युत उपभोक्ता मैसर्स राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल लिमिटेड की 11 के.वी. लोड लाइन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं आंगनबाड़ी भवन परिसर के ऊपर से गुजर रही थी, जिसे माह जून, 2023 में आर.एस.एम.एम.लि. द्वारा उक्त परिसर से स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) उपरोक्तानुसार।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे बालकों का ध्यान रखते हुए शिफ्ट की। जो माइन्स है वर्षों से उसके लिए कहते-कहते थक गये, उसका आपने निवारण किया, उसके लिए तो आपका धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि मेंटीनेंस के मामले में मेंटीनेंस का नाम लेकर 4-4 दिन तक लाइटें बन्द रखते हैं ऐसे में...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): वो ही पूछ रहा मैं मेंटीनेंस...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न जो पूछा है उसका सप्लीमेंट्री। आपने धन्यवाद दे दिया। प्रश्न का उत्तर हो गया। धन्यवाद। बैठें आप।

अगला प्रश्न। श्री रफीक खान।

ब्लाक मुख्यालयों पर यूनानी चिकित्सकों के नवीन पदों का सृजन

564. श्री रफीक खान (आदर्श नगर): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में 278 ब्लाक मुख्यालय यूनानी

(श्री रफीक खान)

चिकित्सा से वंचित हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ब्लाक मुख्यालयों पर यूनानी चिकित्सकों के नवीन पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि यूनानी चिकित्सा पद्धति का विभाग में महत्वपूर्ण योगदान है? यदि हां, तो उक्त पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या योजनाएं प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि विभाग द्वारा होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सक के पदों का प्रस्ताव एक साथ ही भिजवाया गया था? यदि हां, तो यूनानी चिकित्सकों के पदों का सृजन नहीं करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (डा. सुभाष गर्ग): (1) जी नहीं। बजट घोषणा वर्ष 2023-24 अन्तर्गत 112 यूनानी चिकित्साधिकारियों के नवीन पद सृजित किये गये हैं।

(2) जी हां। बजट घोषणा वर्ष 2023-24 अन्तर्गत जोधपुर में यूनानी महाविद्यालय की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। साथ ही भतरपुर में सेन्टर आफ एक्सीलैन्स इन रेजीमेन्टल हिजामा थैरेपी की स्थापना की भी घोषणा की गई है।

बजट घोषणा वर्ष 2023-24 अन्तर्गत ही बालोतरा-बाड़मेर में यूनानी चिकित्सालय की स्थापना एवं नदबई-भरतपुर, लवाण-दौसा तथा श्रीमहावीरजी-करौली, हिण्डौन-करौली के आयुर्वेद औषधालयों को आयुष चिकित्सालय में क्रमोन्नत किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। साथ ही 100 आयुष चिकित्सालय/औषधालयों में यूनानी चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाने की घोषणा की गई है, जिसकी क्रियान्विति प्रगतिरत है।

(3) जी नहीं।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अध्यक्ष महोदय, जो 278 ब्लाक हैं उन पर सब जगह चिकित्सक हैं तो उसकी एक सूची उपलब्ध करा दी जाये और 112 पद जो आप कह रहे हैं वो कब तक भर्ती हो जायेंगे और जो सौ पद आप कह रहे हैं कि सौ नये चिकित्सालयों के अन्दर यूनानी चिकित्सा पद्धति उपलब्ध करायी जानी है, वो कब तक हो जायेगी?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, टोटल

(डा. सुभाष गर्ग)

जो ब्लाक्स हैं जिनमें से 234 ब्लाक्स पर मैंने बताया कि एक यूनानी चिकित्सक उपलब्ध है जिसकी सूची मैं आपको टेबल कर देता हूं, आपको मिल जायेगी। साथ ही जो सौ पद सृजित किये गये थे जिनका विज्ञापन आलरेडी जारी कर दिया गया है और मैं समझता हूं कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार इतने पदों की भर्ती यूनानी चिकित्सकों की हो रही है। सरकार ने बहुत सारे प्रयास किये हैं और जल्दी ही वह भर्ती पूरी कर दी जायेगी।

प्रश्न संख्या 565

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री ज्ञानचंद पारख।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री गुरदीप सिंह।

संगरिया में भवन विहीन पशु चिकित्सा केन्द्र

566. श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र संगरिया में किस-किस श्रेणी के पशु चिकित्सा केन्द्र स्वीकृत हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत पशु चिकित्सा केन्द्रों पर किस श्रेणी के कितने पशु चिकित्सक, पशुधन सहायक के पद स्वीकृत हैं तथा उक्त में से कौन-कौनसे पद कब से रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कई पशु चिकित्सा केन्द्र भवन विहीन हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से? क्या सरकार उक्त चिकित्सा केन्द्रों के भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक तथा नहीं, तो क्यों?

पशुपालन मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) विधान सभा क्षेत्र संगरिया में निम्नलिखित श्रेणियों की कुल 48 पशु चिकित्सा संस्थाएं स्वीकृत हैं:-

1. प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय- 5
2. पशु चिकित्सालय- 12
3. पशु चिकित्सा-उपकेन्द्र- 31

(पशुपालन मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र संगरिया में स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाओं में पशु चिकित्सा अधिकारी एवं पशुधन सहायक के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का रिक्ति दिनांकवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

जी हां। रिक्त पदों को कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

(3) विधान सभा क्षेत्र संगरिया में विभिन्न श्रेणी की कुल 48 पशु चिकित्सा संस्थाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 32 पशु चिकित्सा संस्थाओं हेतु राजकीय भवन उपलब्ध हैं तथा 16 पशु चिकित्सा संस्थाएं राजकीय भवन विहीन हैं, जो वर्तमान में पंचायत द्वारा प्रदत्त/वैकल्पिक व्यवस्था में उपलब्ध करवाए गये भवनों में संचालित हैं। इनका स्थानवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

जी हां। पशु चिकित्सा संस्थाओं के भवन निर्माण कार्य विभाग के नाम भू-स्वामित्व के दस्तावेज उपलब्ध होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार प्राथमिकता से करवाये जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। प्रश्न पूछो।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): अध्यक्ष महोदय, खण्ड (2) में जो जवाब आया है, मेरे वहां तलवाड़ा में पशु चिकित्सा अधिकारी के 12 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 5 2018 से खाली हैं। रामपुरा उर्फ रामसरा में 2021 से खाली है। शाहपीनी में 2021 से खाली है। मिर्जावाली मेर में 2021 से खाली है और मेहरवाला में 2022 से खाली है। प्रश्न के खण्ड (3) में मैंने भवनों के लिये पूछा था, मेरे वहां कुल 16 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में भवन नहीं बने हुए हैं। इनमें आधे से ज्यादा के मैंने पट्टे बनवा दिये हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जहां पट्टे बन गये हैं, वहां इनके भवन कब तक बनवा दोगे और ये पद कब तक भर दोगे?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो पांच पशु चिकित्सा अधिकारियों की बात की गई है, यह सही है कि तलवाड़ा, रामपुरा, शाहपीनी, मिर्जावाली और मेहरवाला में डाक्टर लगने हैं। हमारे 900 डाक्टरों की भर्ती आर.पी.एस.सी. में अटकी पड़ी है। जैसे ही वहां से अप्रूव मिलेगी, वे लगा दिये जायेंगे।

दूसरा, आपने भवनों के लिये पूछा है, इसके जवाब में पहले ही दे रखा है कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्राथमिकता से करवाये

(श्री लालचन्द कटारिया)

जायेंगे। अभी आपके दो भवन निर्माणाधीन हैं। आपके कोई ज्यादा खाली हैं नहीं। आपकी 55 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 46 में संस्थाएं खुली हुई हैं खाली 9 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहां संस्थाएं नहीं हैं।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बलवान पूनियां।

सीपी-5 भादरा व सीपी-4 नोहर को निर्धारित मात्रा में पानी का वितरण

567. श्री बलवान पूनियां (भादरा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) की बैठक में निर्धारित की गई मात्रा का सीपी-5 भादरा व सीपी-4 नोहर को पूरा पानी नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो क्यों? सरकार द्वारा उक्त हेतु निर्धारित मात्रा में पानी लाने के लिए क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया): राजस्थान को सतलुज वाटर वाया हरियाणा भाखड़ा मेन लाइन के माध्यम से नोहर सिंचाई प्रणाली हेतु सीपी-4 तथा सिद्धमुख एवं अमरसिंह सब ब्रांच हेतु सीपी-5 पर प्राप्त होता है। भाखड़ा मेन लाइन राजस्थान एवं हरियाणा राज्य की साझी नहर है (कामन कैरियर चैनल)। जब हरियाणा में पानी की मांग अधिकतम होती है तब राजस्थान की नहरों को पूरा पानी नही मिल पाता है, किन्तु औसतन आधार पर लगभग पूरा पानी प्राप्त होता है।

राजस्थान को हिस्से के अनुसार पूरा पानी नहीं मिलने पर हरियाणा व बी.बी.एम.बी. के अधिकारियों से वार्तालाप व पत्राचार द्वारा तथा बी.बी.एम.बी. चण्डीगढ़ में होने वाली तकनीकी समिति की मासिक बैठक में इस मुद्दे को उठाकर राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी लेने का प्रयास किया जाता है।

राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी लेने हेतु नोहर फीडर के जीर्णोद्धार कार्य करवाकर इसका क्षमता बढ़ायी जानी है। ये कार्य हरियाणा द्वारा करवाये जाने हैं तथा इन कार्यों हेतु राजस्थान द्वारा पी.एफ.आर. तैयार की जा चुकी हैं तथा डी.पी.आर. हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, औसत का क्या मतलब

(श्री बलवान पूनियां)

है? जिस दिन पानी चाहिये, उस दिन हरियाणा पानी नहीं देता। मेरी सीधी-सी मांग है, आपने कहा है कि बी.बी.एम.बी. में बैठक में अधिकारी बार-बार बात करते हैं। मैंने पहले भी चिट्ठी लिखी है। क्या सरकार ने ऐसा कोई प्रयास किया कि बी.बी.एम.बी. में सिंचाई मंत्री या कोई जन-प्रतिनिधि, जो राजस्थान के हिस्से की बात कर सके? सरकार ने क्या ऐसा कोई प्रस्ताव आज तक दिया, जिससे किसी जन-प्रतिनिधि को वहां मैम्बर बनाया जा सके?

नंबर दो, आने वाले अगस्त-सितम्बर में बरसात कम हो जायेगी, हमारा हिस्सा 600 क्यूसेक्स प्रतिदिन है, वह 600 क्सूसेक्स पानी हमें मिले, इसके लिये सरकार क्या कदम उठायेगी?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है कि बी.बी.एम.बी. स्तर पर सरकार की क्या कार्यवाही हुई। मैं पूरे सदन को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार के तंत्र से पानी आ रहा है और यह राजस्थान और हरियाणा की साझा कैनाल है। इस संबंध में 10 पत्र हरियाणा सरकार को लिखे जा चुके हैं, इसके बावजूद भी हमें पानी प्राप्त नहीं हो रहा है। हमने सर्वोच्च न्यायालय में रिट लगाई है, अभी वह विचाराधीन है।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जवाब दिया कि हमारा कैरियर साझा है। पैसे हमने दिये, सरकार ने हरियाणा को क्षतिपूर्ति दी, हम चाहते हैं कि काजल हैड पर जो साझा कैरियर है, पीछे से टोहना हैड से सिद्धमुख अलग आती है, काजल हैड पर आकर कैरियर साझा कर दिया, जिससे हरियाणा अपनी मर्जी की नहरें खोलता है। इसलिए मेरी मंत्री महोदय और सरकार से मांग है कि काजल हैड पर भी हमारा कैरियर अलग किया जाये, जिससे सिद्धमुख और अमरसिंह का पानी हमें पूरा मिल सके। नोहर फीडर का आपने जवाब दे दिया कि उसकी अलग से डी.पी.आर. बन चुकी है। काजल हैड पर कैरियर अलग रखने का सरकार क्या प्रोग्राम बनायेगी? यह बता दें।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बार-बार हरियाणा सरकार से इस संबंध में पत्राचार और निवेदन कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार हमको सहयोग नहीं कर रही है, इसका विरोध हो रहा है। माननीय सदस्य की जैसी भावना है, हम सभी मिलकर इसके लिये प्रयास करेंगे तो इसका परिणाम अच्छा निकलकर आ सकता है।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने सही कहा कि भाखड़ा मैन लाइन राजस्थान और हरियाणा दोनों की एक कॉमन कैरियर चैनल है। मंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस हरियाणा सरकार को आपने पत्र लिखे, क्या आपने केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय को या सी डब्ल्यू सी को, जो इस तरह के डिस्पुट का निर्धारण करती है, उनके सामने कोई पत्र लिखा है?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने जो बात कही है, हमने सी.डब्ल्यू.सी. में भी इस बात को रखा है और भारत सरकार को भी पत्र लिखे हैं, दोनों में हमको सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है, तभी जाकर हम सर्वोच्च न्यायालय में गये हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अमीन खां।

रामसर व गडरारोड तहसीलों के गांवों को नर्मदा नहर से पेयजल आपूर्ति

568. श्री अमीन खां (शिव): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बाड़मेर की तहसील रामसर व गडरारोड के लिए नर्मदा नहर से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कितना बजट प्रावधान है?

(2) क्या सरकार उक्त तहसीलों के समस्त गांवों में सुचारु रूप से पानी पहुंचाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. महेश जोशी): (1) जिला बाड़मेर की तहसील रामसर एवं गडरारोड (पूर्व तहसील शिव) के क्रमश: 95 एवं 110 ग्रामों एवं इनकी ढाणियों की पेयजल मांग सम्मिलित करते हुए आधारभूत संरचनाओं तथा केवल ग्रामों में क्लस्टर वितरण प्रणाली के कार्यों हेतु राशि रुपये 610.79 करोड़ की नर्मदा नहर आधारित जल प्रदाय परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति विभागीय नीति निर्धारण समिति की 191वीं बैठक दिनांक 19.09.2013 के द्वारा जारी की गई थी। इस पेयजल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु मैसर्स एन.सी.सी. लिमिटेड, हैदराबाद को राशि रुपये 639.50 करोड़ का कार्यादेश दिनांक 01.10.2013 को जारी किया गया था।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

कार्यादेशानुसार कार्य को दिनांक 10.04.2017 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित था। आदेशित संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण राशि रुपये 28.11 करोड़ शास्ति के रूप में रोकी गयी है। वर्तमान में परियोजना का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष कार्य अक्टूबर, 2023 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। प्रगतिरत पेयजल परियोजना से वर्तमान में तहसील रामसर के 94 ग्राम एवं गडरारोड के 01 ग्राम, कुल 95 ग्रामों को वर्तमान में नहरी पेयजल आपूर्ति से आंशिक रूप से लाभान्वित किया जा रहा है।

वर्ष 2011 की जनगणनानुसार तहसील रामसर में 166 ग्राम एवं तहसील गडरारोड में 139 ग्राम कुल 305 ग्राम अवस्थित हैं। इन 305 ग्रामों में से 264 ग्रामों को जल जीवन मिशन के तहत नर्मदा नहर आधारित वृहद पेयजल परियोजनाओं/अन्य योजनाओं की स्वीकृतियां राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.एस.सी.) की विभिन्न बैठकों द्वारा जारी की जा चुकी हैं। स्वीकृति अनुसार वृहद पेयजल परियोजनाओं/अन्य योजनाओं में तहसील रामसर व गडरारोड के लिए राशि रुपये 225.10 करोड़ का प्रावधान स्वीकृत है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

शेष 41 ग्रामों को जल जीवन मिशन के तहत इंदिरा गाँधी नहर आधारित वृहद पेयजल परियोजनाओं/अन्य योजनाओं की स्वीकृतियां राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.एस.सी.) की विभिन्न बैठकों द्वारा जारी की जा चुकी हैं। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) उपरोक्तानुसार तहसील रामसर एवं गडरारोड के सभी 305 ग्रामों को जल जीवन मिशन के तहत घर-घर जल संबंधों द्वारा लाभान्वित किये जाने हेतु वृहद पेयजल परियोजनाओं/अन्य योजनाओं की स्वीकृतियां राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.एस.सी.) की विभिन्न बैठकों द्वारा जारी की जा चुकी हैं। योजनावार स्वीकृतियों एवं कार्य प्रगति का विवरण परिशिष्ट-अ व ब में निहित है।

परियोजनाओं/अन्य योजनाओं के स्वीकृत कार्यों के पूर्ण हो जाने के पश्चात् सभी ग्रामों को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से नियमित रूप से पेयजल उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: उत्तर पढ़ा हुआ माना गया। आप प्रश्न पूछो, अमीन साहब प्रश्न पूछो, अमीन साहब प्रश्न पूछो।

श्री अमीन खां (शिव): जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जी से मैं दो सवाल पूछना चाहता हूं। 305 तहसीलों की योजना 2013 में स्वीकृत हुई थी। अभी तक उन गांवों का पूरा काम नहीं हुआ, इसका क्या कारण रहा? आपने बताया है कि कुछ गांवों में 31 मार्च, 2024 तक पूरा हो जायेगा, लेकिन 18 गांव ऐसे छोड़ दिये, जिनका आपने कोई समय नहीं बताया है। गडरारोड तहसील में आपने एक गांव में पानी पहुंचाने का जो लिखा है, वह असत्य है। गडरारोड में पी.एच.ई.डी. की योजना का पानी जाता है। जो आपने बताया है कि 94 गांवों में पानी जाता है, यह असत्य है। इसको आप दुरुस्त करावें। एस आर के लिये जो पाइप लाइन ट्रस्ट हुई, उनकी गिनती इसमें बताई है, इसको आप दुरुस्त करावें और 18 गांवों का आपने कोई टाइम नहीं बताया है। मेहरबानी करके इनका टाइम बताओ कि कब तक इन गांवों में पानी पहुंचाने का आपका विभाग विचार रखता है?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने देरी के कारण पूछे हैं, इसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कार्य 2013 में शुरू हुआ। निश्चित रूप से यह पूरा होना चाहिये था, लेकिन इसमें देरी के कारण हैं कि इसमें राष्ट्रीय मरु उद्यान पड़ता है, उसमें कुछ गांव आते हैं, हमें उसकी अनुमति संभवत: 2022 में मिली। उसमें गांव कम हैं, लेकिन उससे सारा काम प्रभावित होता है।

दूसरा कारण है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से भी हमें अनुमति लेनी पड़ती है, एन.ओ.सी. लेनी पड़ती है। इसके अलावा हमें उच्च जलाशय पम्प हाउस आदि के लिये भूमि आबंटन में देरी हो जाती है। कई बार कई चीजों का विश्लेषण होता है, योजना बनती है, लेकिन उस योजना में कहीं-कहीं पाइप में या लम्बाई में, कहीं न कहीं मेल नहीं हो पाता है, इन कारणों से यह देरी हुई है। चूंकि यह इन्फ्रा का काम है, इससे घर-घर नल नहीं पहुंचेगा, इससे गांव तक नल पहुंचेगा। इसका 90 परसेंट काम हो चुका है और अक्टूबर, 2023 तक इसको प्रस्तावित रखा है। उम्मीद करते हैं कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने की हम हर संभव कोशिश करेंगे।

दूसरी जिन बातों की तरफ माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया है, मैं उसकी जांच करके माननीय सदस्य को इसका जवाब भेज दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जगदीश चन्द्र।

लघु व सीमान्त काश्तकारों को ऋण सुविधा

569. श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): (श्री वेद प्रकाश सोलंकी (चाकसू) के स्थान पर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सहकारी समितियों के डिफाल्टर किसानों को भी फसली ऋण देने का प्रावधान है? विधान सभा क्षेत्र चाकसू में वर्ष 2018 से 2022 तक पांच हजार रुपये से कम राशि वाले कितने डिफाल्टर किसानों को उक्त ऋण सुविधा देकर उक्त राशि को समायोजित कर लाभ दिया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वर्तमान में ऐसे डिफाल्टर लघु व सीमान्त काश्तकारों को ऋण सुविधा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक तथा उक्त हेतु सरकार द्वारा क्या कार्ययोजना तैयार की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) जी हां। ग्राम सेवा सहकारी समितियों के डिफाल्टर कृषकों के द्वारा अवधिपार राशि जमा कराने पर फसली ऋण दिया जा रहा है।

विधान सभा क्षेत्र चाकसू में वर्ष 2018 से वर्ष 2022 तक पांच हजार रुपये से कम राशि वाले 12 डिफाल्टर किसान जिनके द्वारा बकाया ऋण राशि जमा कराने/ऋण माफी योजनाओं में सम्पूर्ण ऋण माफ होने पर पुनः फसली ऋण दिया गया है। किसी भी डिफाल्टर किसान की अवधिपार राशि का समायोजन नहीं किया गया है।

(2) जी हां। ऐसे डिफाल्टर (अवधिपार) ऋणी कृषक जिनके द्वारा अवधिपार राशि जमा कराने पर फसली ऋण दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जब्बर सिंह सांखला।

आसीन्द व गुलाबपुरा नगरपालिकाओं में नवीन राशन की दुकानें

570. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका आसीन्द के गोविन्दपुरा में राशन विक्रेता द्वारा राशन सामग्री का वितरण अधिकृत दुकान के स्थान पर अन्य जगह से किया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राशन डीलर को

(श्री जब्बर सिंह सांखला)

पाबंद करके गोविन्दपुरा में ही राशन सामग्री का वितरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नगरपालिका आसीन्द व गुलाबपुरा में नवीन राशन की दुकानें खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) जी नहीं। गोविन्दपुरा में उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है।

(2) नगरपालिका क्षेत्र आसीन्द में नवीन उचित मूल्य दुकान के आबंटन हेतु दिनांक 27.06.2022 को जारी विज्ञप्ति में एक भी आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण पुन: जारी होने वाली विज्ञप्ति में नगरपालिका, आसीन्द को सम्मिलित कर लिया गया है।

नगरपालिका, गुलाबपुरा में नियमानुसार एन.एफ.एस.ए. राशनकार्डों के अभाव में अतिरिक्त उचित मूल्य दुकान हेतु विज्ञप्ति जारी नहीं की गयी है।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि नगरपालिका आसीन्द का जो गोविन्दपुरा क्षेत्र है, वहां पर चार वार्ड हैं। वहां चार वार्डों के लोग रहते हैं और वह मूल रूप से एस.सी. की कालोनी है। लगभग 90 प्रतिशत लोग एस सी के हैं और 3 किलोमीटर की दूरी पर राशन की दुकान है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वहां नयी दुकान की विज्ञप्ति आप कब तक निकाल देंगे?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यदि आपके वहां प्रोब्लम आ रही है, पहले निकाली गयी थी, आये नहीं हैं। मैं आपके पास अधिकारी भेजूंगा, आप बात कर लेना। आप जो डैट चाहेंगे, उसी दिन जारी कर देंगे।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। रूपाराम।

जैसलमेर में भूमि आबंटन के लम्बित आवेदन

571. श्री रूपाराम (जैसलमेर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रूपाराम)

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में भूमिहीनों को भूमि आबंटन हेतु आवेदन की पत्रावलियां लगभग बीस वर्ष से लम्बित हैं? यदि हां, तो कितनी? श्रेणीवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त लम्बित पत्रावलियों पर निर्णय लेकर भूमिहीनों को भूमि आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उपनिवेशन मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) जी हां। जैसलमेर जिले में उपनिवेशन विभाग में भूमिहीनों को भूमि आबंटन हेतु सामान्य आबंटन श्रेणी के 61,215 एवं विशेष आबंटन श्रेणी के 34,967 इस प्रकार कुल 96,182 आवेदन पत्र लम्बित हैं, जिनका संख्यात्मक श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

सामान्य एवं विशेष श्रेणी के कुल 99,763 प्रकरण प्राप्त हुए थे, जिनमें से 3,581 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। वर्तमान में शेष 96,182 प्रकरण लम्बित हैं।

विशेष आबंटन श्रेणी में वर्ष 2013 से 2018 तक तथा सामान्य आबंटन श्रेणी में वर्ष 2019 से फरवरी, 2023 तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन होना प्रकरणों के लम्बित रहने का प्रमुख कारण रहा है।

(2) जी हां। किन्तु आवेदन पत्र वर्ष 2004 से अर्थात् लगभग 20 वर्षों से लम्बित हैं, जो अत्यधिक पुराने होने के कारण आवेदकों की पात्रता की पुनः जांच की आवश्यकता है। जांच उपरान्त ही आबंटन की कार्यवाही की जानी संभव है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री रूपाराम (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि पत्रावलियों को पेंडिंग हुए 20 वर्ष हो गये। चार सरकारें, चौथी सरकार भी जाने में है। कहा गया कि कोर्ट की वजह से विशेष आबंटन में 2013 से 2018 तथा सामान्य आबंटन में 2019 से 2023, इस प्रकार 6 एवं 4 वर्ष, इसके बाद भी 14-16 वर्ष शेष रहते हैं। उन 14-16 वर्ष में क्या यह समय पर्याप्त नहीं था कि उनको आबंटन कर देते? यह more than sufficient समय है। दूसरा जो बताया कि पत्रावलियों की पात्रता चैक करनी है। पात्रता के लिए कोर्ट के आर्डर में भी नहीं था कि पात्रता चैक नहीं करेंगे। इनका इतना अमला है, 7 तहसीलदार हैं, बाकी डी.सी., ए.सी.सी. हैं। क्या 20 वर्षों में पात्रता चैक करना, इतना बड़ा काम है? सरकार की मंशा नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): क्या यह समय पर्याप्त नहीं था, जो 20 वर्षों में पात्रता चैक नहीं की गयी?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि पिछली सरकार में पता नहीं किस कारण से यह नहीं हो पाया, पर अभी जो मेन कारण था कि 2013 से विशेष आबंटन पर हाई कोर्ट की रोक थी, पर अभी सामान्य आबंटन पर 2019 से लेकर 2023 तक इसका स्टे रहा। मेरे द्वारा बीकानेर कमिश्नर कार्यालय में मीटिंग लेने के बाद हमने हाईकोर्ट में पैरवी की। पैरवी के बाद स्थगन आदेश अभी हटा है। हटने के बाद अप्रैल माह के अन्दर मैंने खुद ने तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग ली और उनको ये साफ निर्देश दिये थे कि इनका आबंटन, पात्रता की जांच और आबंटन की प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाये, पर इतना बड़ा आवेदन है कि आज 96 हजार लोगों को आबंटन करना, एक-एक की पात्रता की जांच करना, ये एकदम संभव नहीं हो पाता है। फिर भी हमने यह कहा है, क्योंकि जो उपनिवेशन के नियम हैं, उन नियमों में यह साफ है, क्योंकि पिछली जो बी.जे.पी. की गवर्नमेंट थी, उसमें इन्होंने फार्म तो पूरे जिले के भरवा दिये, पर हमारे पास जमीन आबंटन के लिए जो मुरब्बे थे, उसमें केवल 5600 लोगों को ही आबंटित कर सकते हैं। उपनिवेशन का नियम है कि उसमें जो प्राथमिकता होती है, वह प्राथमिकता गांवों की रहती है, उस तहसील की रहती है और उसके बाद जिले की रहती है। नियमानुसार मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहूंगा कि इस पर हम जल्दी से जल्दी कार्यवाही करेंगे कि जो उपनिवेशन के नियम हैं, प्राथमिकता के आधार पर, जितने हमारे पास मुरब्बे हैं, उसके आधार पर जल्दी आबंटित करेंगे।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जो भूमि आबंटित होनी है आज की तारीख में 80 प्रतिशत पर भू-माफिया खेती कर रहे हैं और भूमिहीन वैसे बैठे हैं। इसमें एस सी, एस टी के भी सम्मिलित हैं। जैसलमेर विधान सभा क्षेत्र में 52 हजार आबंटियों ने फार्म भर रखे हैं। सब की पात्रता चैक किये हुए एक-डेढ़ या दो वर्ष हो गये हैं, फिर भी आबंटित नहीं हुई है। कोर्ट का निर्णय भी फरवरी, 2023 में आ चुका है, लास्ट वाला भी। फरवरी, 2023 के बाद आज जुलाई में बात कर रहे हैं। अभी भी चार महीने का समय है। माननीय मंत्री महोदय, यदि

(श्री रूपाराम)

पात्रता चैक करानी है तो चैक कराकर और आचार संहिता से पहले भू-माफियाओं को बढ़ावा नहीं मिले, भूमिहीनों को भूमि मिले, एस.सी., एस.टी. को भूमि मिले, यह सरकार मंशा रखती है या नहीं?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से मैंने निवेदन किया है कि प्राथमिकता के आधार जिनकी पहली पात्रता बनती है, उनकी तमाम प्रक्रिया कराकर एक महीने के अन्दर हम इस आबंटन प्रक्रिया को शुरू कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अमर सिंह।

रूपवास (बयाना) में रीको क्षेत्र की स्थापना

572. श्री अमर सिंह (बयाना): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बयाना के रूपवास में रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा रूपवास में उक्त औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्रीमती शकुन्तला रावत): (1) जी हां। राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2021-22 में विधान सभा क्षेत्र बयाना के रूपवास उप खण्ड में औद्योगिक क्षेत्र खोलने की घोषणा की गयी थी। रूपवास उप खण्ड में 10.00 हैक्टेयर या इससे अधिक सिवायचक/राजकीय भूमि एक चक में उपलब्ध नहीं है।

(2) ग्राम चैकोरा में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने बाबत 11.31 हैक्टेयर चरागाह भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ चिह्नित की गयी थी। राजस्व विभाग द्वारा विधिक कारणों से चरागाह भूमि के आबंटन की अनुमति नहीं दी जा रही है।

श्री अमर सिंह (बयाना): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि अगर आपके पास भूमि उपलब्ध नहीं थी तो विधान सभा में प्रश्न सूचीबद्ध होने के बाद ही मुझे सूचित किया गया, पहले सूचित क्यों नहीं किया? क्या विभाग ने माननीय मुख्य मंत्री जी की बजट घोषणा को गंभीरता से नहीं लिया?

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी की घोषणा को गंभीरता से लिया गया, लेकिन सिवायचक जमीन नहीं मिलने के कारण इसमें विलम्ब हुआ है। दूसरा कारण इसमें नेशनल कन्जर्वेशन जोन का भी कुछ जिलों में आ रहा है। हम बार-बार पत्र भी लिख रहे हैं। मैंने स्वयं भी फोन पर भारत सरकार में मंत्री महोदय से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने मीटिंग कर ली। मैंने उनको पूरी डिटेल बतायी कि हमारी डेढ़ सौ एप्लीकेशंस गयी हैं और उन्होंने निर्णय भी तय कर लिया कि हम समस्याओं को देखते हुए निकाल देंगे, लेकिन फाइनल नहीं हो पा रहा है। अगर वहां से निकलता है और कोई भी जमीन वहां उपलब्ध होगी तो फैक्ट्री एरिया लगाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

श्री अमर सिंह (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार सिवायचक भूमि की उपलब्धता न होने के कारण निजी क्षेत्र की भूमि का अधिग्रहण कर औद्योगिक क्षेत्र बनाने का विचार रखती है?

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कोई हमें निजी क्षेत्र से देने के लिए तैयार है तो रीको की तरफ से उनको मुआवजा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: वे अधिग्रहण बोल रहे हैं, देने के लिए नहीं बोल रहे हैं। एक्विजिशन करेंगे क्या?

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): हमने वहां अभी सूचना भी दी, कलेक्टर साहब को सूचित भी किया, इन सभी जगह पर। पहाड़ी और कुम्हेर में तो मिल गयी है, बाकी छह जगह हमने कलेक्टर्स को सूचित भी किया है। अगर किसी एरिये में कोई किसान हमें जमीन देने के लिए तैयार है तो हम अधिग्रहण भी करने के लिए तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मनोज कुमार।

सुजानगढ़ एवं बीदासर तहसीलों में लॉकडाउन में बंद बसों का पुन: संचालन

573. श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सुजानगढ़ व बीदासर तहसील में लॉकडाउन से पूर्व कितनी बसें संचालित थीं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बसों में से कितनी बसें लॉकडाउन में बंद की गयी थीं? क्या सरकार उक्त बसों का पुन: संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, परिवहन (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) सुजानगढ़ एवं बीदासर तहसील में लॉकडाउन से पूर्व राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की 58 बसें संचालित थीं, जिनका मार्गवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

सुजानगढ़ एवं बीदासर तहसील क्षेत्र में लॉकडाउन से पूर्व कुल 68 निजी बसें ग्रामीण व अन्य मार्ग पर संचालित थीं।

(2) निगम द्वारा उपरोक्त संचालित बसों में से लॉकडाउन के बाद बंद की गयी तथा अभी तक पुन: संचालित नहीं की गयी 09 बसों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

निगम के सीमित संसाधनों के कारण उक्त बन्द की गयी बसों का पुन: संचालन किये जाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

लॉकडाउन के बाद उपरोक्त संचालित निजी बसों में किसी भी बस का संचालन बंद नहीं किया गया है तथा वर्तमान समय में बीदासर एवं सुजानगढ़ तहसील क्षेत्र में कुल 71 निजी बसें ग्रामीण एवं अन्य मार्गों पर संचालित हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): अध्यक्ष महोदय, जवाब में बताया कि सीमित संसाधन के कारण चालू नहीं कर सकते। सरकार अपने सीमित संसाधनों को कब बढ़ाएगी? विभाग कब नई बसें खरीदने का इरादा रखता है ताकि जो पुराने रूट बंद किये हैं, वे भी चालू कर सकें और जो नये रूटों की आवश्यकता हैं, उनको भी चालू कर सकें?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): अभी 2023-24 के बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है, सर्विस मॉडल पर एक

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

हजार बसें लेने की। वह जब भी उपलब्ध हो जाएंगी तो प्रश्नगत मार्गों पर प्राथमिकता से बस चलाने की कोशिश करेंगे।

प्रश्न संख्या 574

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। ललित कुमार ओस्तवाल।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री कालूराम।

झालावाड़ के किसानों को बिजली कनेक्शन

575. श्री कालूराम (डग): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला झालावाड़ में माह मार्च, 2022 से माह दिसम्बर, 2022 तक कितने किसानों द्वारा डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा करवाई गई व उक्त में से कितनों को कनेक्शन दिये गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त जिले में किसानों को दिन में छह घंटे बिजली देने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त घोषणानुसार किसानों को बिना ट्रिपिंग दिन में छह घंटे बिजली दी जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त जिले में लोड शैडिंग के नाम से बिजली की कटौती की जा रही है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) झालावाड़ जिले में माह मार्च, 2022 से माह दिसम्बर, 2022 तक कुल 2,972 किसानों द्वारा मांग पत्र जमा करवाए गये हैं, उनमें से 17 जुलाई, 2023 तक 1,807 किसानों को कनेक्शन जारी कर दिये गये हैं।

(2) सरकार द्वारा किसानों को दिन में खेती के लिए बिजली देने के लिए बजट वर्ष 2020-21 में घोषणा की गई थी। घोषणा अनुसार झालावाड़ जिले को प्रथम चरण 2020-21 में विद्युत तंत्र सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण करके माह अक्टूबर, 2020 से ही दिन के ब्लाक में सामान्यतया 6 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। विद्युत उपलब्धता में कमी होने अथवा कोई अन्य तकनीकी समस्या होने पर किसानों को दिन व रात्रि के ब्लाक में भी विद्युत आपूर्ति की जाती है।

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

(3) वर्तमान में लोड शैडिंग के नाम पर झालावाड़ जिले के ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में कोई विद्युत कटौती नहीं की जा रही है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): अध्यक्ष महोदय, हो रही है।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नीचे बैठिए। कोई प्रॉब्लम है? नीचे बैठें। (व्यवधान) मैं उत्तर बंद करवा दूंगा। माननीय प्रताप सिंह जी, नीचे बैठिए। आप सीनियर आदमी हैं। प्रश्न पूछने का तरीका होता है। उनका प्रश्न आप हाइजेक कर रहे हैं। आप नीचे बैठिए। अंकित नहीं होगा।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज, नीचे बैठिए। इसीलिए मैंने प्रश्नकर्ता को अलाउ किया। आप जबरदस्ती हाइजेक कर रहे हैं। उनको अलाउ ही नहीं कर रहे हैं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: मदन जी, आप नीचे बैठिए। आपने प्रश्न क्यों नहीं पूछा? माननीय सदस्य को आप बिलकुल डिस्टर्ब कर रहे हैं। गोविंद खड़ा हो जा, ये खड़ा, प्रश्न पूछते न आप। माननीय मंत्री जी।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): यद्यपि विद्युत उपलब्धता की स्थिति के अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों में पूर्व सूचना के उपरान्त कभी-कभार विद्युत कटौती की जाती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री कालूराम (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि 2,972 मांग पत्र जमा हुए हैं, उनमें से 1,807 किसानों को कनेक्शन दिये गये हैं 2022 में। इन 1,165 को आप कब तक दे देंगे? ये 2022 का आंकड़ा है। सालभर हो गया और अभी तक 1,165 किसान बाकी हैं। नंबर दो पर आपने कहा है कि किसानों को दिन में लाइट दी जाती है और 6 घंटे लाइट दी जा रही है। माननीय मंत्री महोदय, किसानों को दिन में लाइट नहीं मिलती है और 6 घंटे भी नहीं मिलती है। यह लाइट 3 से 4 घंटे मिलती है। तीसरा, मैं आपसे बाद में पूछूंगा, इनका जवाब दें।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने मूल प्रश्न के जवाब में बताया कि 1,807 किसानों को कनेक्शन अभी तक जारी कर दिये गये हैं, 2,972 में से। 1,165 कृषि कनेक्शन अभी

(श्री भंवर सिंह भाटी)

पेंडिंग हैं, उनमें से 732 का इंफ्रा तैयार है और सितम्बर तक सभी कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे, जितने पेंडिंग कनेक्शन हैं।

दूसरा, दिन में 6 घंटे लाइट की जो बात कही गयी है तो जो हमारी घोषणा की गयी थी, माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा के बाद में जो पहले चरण में हमने जिले लिये थे, जिनमें 6 घंटे बिजली दी जानी है, उनमें माननीय विधायक महोदय का जिला भी है। इंफ्रा को, सिस्टम को इम्प्रूव करने के बाद में हम 6 घंटे बिजली दे रहे हैं। इसके साथ-साथ इनके जो 220 का जी एस एस भवानीमंडी है डग विधान सभा क्षेत्र में, वहां पर वोल्टेज की प्रॉब्लम है नये कृषि कनेक्शन होने की वजह से। वहां 25 एम वी ए का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने की जरूरत महसूस की गयी है। आगामी दो माह में 220 के वी जी एस एस भवानीमंडी में 25 एम वी ए का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगा दिया जायेगा, जिससे आपूर्ति में जो भी दिक्कत आ रही है, उसका समाधान हो जाएगा।

श्री कालूराम (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, नंबर तीन पर आपने जवाब दिया है कि वर्तमान में लोड शैडिंग के नाम पर झालावाड़ जिले में कहीं भी लाइट कटौती नहीं की जा रही है और औद्योगिक क्षेत्र में कभी-कभी की जा रही है। मानता हूं कि औद्योगिक क्षेत्र में कभी-कभी करते हैं। बाकी ग्रामीण क्षेत्र में रोज लाइट कटिंग की जा रही है। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइट कटौती होती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 20 तारीख को रात्रि 8 बजे से लेकर दूसरे दिन 11 बजे तक 15 घंटे की कटौती की।

श्री अध्यक्ष: उत्तर नहीं चाहिए आपको? आप ही उत्तर दे रहे हैं। माननीय सदस्य, प्रश्न हो गया। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य, आपका प्रश्न समझ में आ गया। माननीय मंत्री जी, आप इनका जो प्रश्न है बिजली रेगुलर मिले, उसके संबंध में आपके पास कोई कम्प्लेंट आई क्या?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, लोड शैडिंग के संबंध में और बिजली कटौती के संबंध में माननीय विधायक महोदय ने जो प्रश्न पूछा है, उसके मूल में भी मैंने इसका जवाब दिया है। इनके विधान सभा क्षेत्र में मैंने जैसा अभी निवेदन किया कि इनके कुछ जी एस एस ऐसे हैं, जहां पर कनेक्शन अधिक होने की वजह से जो हमारा 132 का जी एस एस है, वह ओवरलोड हुआ है। वहां हमने एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्वीकृत कर दिया है और लोड शैडिंग के नाम पर नहीं, लेकिन कई

(श्री भंवर सिंह भाटी)
बार मेंटीनेंस आदि या टेक्निकल फाल्ट होने की वजह से कोई बिजली कटौती हो, उसके अलावा कोई हमारे द्वारा बिजली कटौती नहीं की जा रही।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामनारायण मीना।

श्री कालूराम (डग): अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, हो गया। चार प्रश्न हो गये प्लीज।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): अध्यक्ष महोदय...

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: जवाब नहीं आया तो आप नीचे बैठिए। मिस्टर मदन दिलावर, लास्ट डे है, I don't want...लास्ट डे है, बाहर निकालूंगा मैं। I will name you. Mr. Madan Dilawar, I will name you. Mr. Rajendra Rathore, I will name him. I will name you Mr. Madan Dilawar and Mr. Pratap Singh. I don't want to set a wrong example. सदन का आखिरी समय है और सीनियर आदमी हैं। नीचे बैठिए, प्लीज। नीचे बैठिए। Mr. Rathore, I really don't want to set a wrong example. मैं नहीं चाहता कि जो सदन का आखिरी दिन है, वह अनप्लीजेंट निकले। आप सीनियर आदमी हैं और फिर सदन में आना चाहते हैं। सब सदन के लोग देख रहे हैं किस तरह का बिहेवियर करते हैं। आप नीचे बैठिए। सीनियर आदमी हैं। I will name. नीचे बैठिए आप। मिस्टर प्रताप सिंह, नीचे बैठिए आप। ये बहुत अनफोरच्युनेट चीजें है। I am on legs. आप पहली बार के एम एल ए नहीं हैं and you want to set a wrong example. आपको अख़बार में आना है, फोटो में आना है तो प्रश्न पूछते आप? रोका है किसी ने? माननीय रामनारायण जी।

इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति हेतु विश्लेषण समितियों का गठन

576. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2015 एवं 2017 में इलेक्ट्रोपैथी गुणावगुण, वैज्ञानिक एवं विधिक विश्लेषण कमेटियों का गठन कर प्रदेश में संचालित इलेक्ट्रोपैथी संस्थानों की जानकारी प्राप्त की गई है? यदि हां, तो उक्त के द्वारा तैयार रिपोर्ट का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में इलेक्ट्रोपैथी (इलेक्ट्रो होम्योपैथी)

(श्री रामनारायण मीना)

क्लीनिक, संस्थान चल रहे हैं? यदि हां, तो कितने? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त चिकित्सा पद्धति द्वारा हर्बल से कम खर्च पर बिना किसी दुष्प्रभाव के इलाज किया जाता है? यदि हां, तो क्या उक्त चिकित्सा पद्धति हेतु बोर्ड का गठन किया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (डा. सुभाष गर्ग): (1) जी हां। इलेक्ट्रोपैथी पद्धति को राज्य में चिकित्सा कार्य हेतु गुणावगुण के आधार पर विचार-विमर्श कर औचित्यपूर्ण प्रस्ताव तैयार करने एवं लीगल आस्पेक्ट को जांचने हेतु वर्ष 2015 एवं वर्ष 2017 में समितियों का गठन किया गया था। समिति गठन के आदेशों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

उक्त समितियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। प्रदेश में कोई भी मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रोपैथी क्लिनिक, संस्थान नहीं चल रहा है।

(3) जी नहीं। राज्य में "राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति अधिनियम, 2018" पारित किया गया है। इस हेतु बोर्ड के गठन के संबंध में विभाग द्वारा सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र लिखते हुए मार्गदर्शन चाहा गया है, (परिशिष्ट-स) जिस पर मार्गदर्शन आदिनांक तक अप्राप्त है।

(प्रति एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि जब 2007 से 2018 तक पांच कमेटियां गठित की गयीं, उसके बाद में "राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति अधिनियम, 2018 पास किया गया। 2018 के बाद में आप गवर्नमेंट आफ इंडिया से डायरेक्शन चाह रहे हैं तो 5 साल तक इतनी शिथिलता क्यों बरती गयी और इसके बारे में आगे आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ताकि सुस्ती नहीं रहे और हमको चिकित्सा पद्धति बहुत गंभीर रोगों में भी मिल सके।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ये जो एक्ट पारित किया और जब भारत सरकार से सम्पर्क किया गया, इससे पहले 7

(डा. सुभाष गर्ग)

कमेटियों का गठन किया गया। किसी कमेटी ने कुछ रिपोर्ट दी, किसी कमेटी ने कुछ रिपोर्ट दी, जो माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दी गयी है। मैं बताना चाहूंगा जब यह स्थिति आयी, क्योंकि इंडिया में, देश में कहीं भी इलेक्ट्रोपैथी को मान्यता प्राप्त नहीं है। इस इलेक्ट्रोपैथी के क्या प्रभाव होंगे, क्या दुष्प्रभाव होंगे, बिना गवर्नमेंट आफ इण्डिया की गाइडलाइंस, हमारा नेशनल आयुष काउंसिल है, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। फिर भी माननीय सदस्य की भावना के अनुरूप हम पुन: प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक इसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, तब तक कुछ नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें।)

(समय: 12.00 बजे)

प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से आसीन्द नगरपालिका के वार्ड नं. 22 की सरकारी भूमि की तारबन्दी कर अतिक्रमण से बचाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री सतीश पूनियां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आमेर की क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से अजमेर शहर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत आनासागर झील को छोटा करने से अतिवृष्टि के समय झील के ओवरफ्लो होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राज्यीय राजमार्गों पर नियम विरुद्ध टोल वसूलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री खुशवीरसिंह, सदस्य की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार संरक्षित क्षेत्र हेतु जारी की गई गाइडलाइन की पालना करने के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र

(श्री अध्यक्ष)

केशोरायपाटन की नहरों में पानी नहीं छोड़ने से स्थानीय किसानों द्वारा धरना-प्रदर्शन करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना अन्तर्गत भका भगतसिंह बस स्टैण्ड की क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोटा शहर के दक्षिण नगर निगम क्षेत्र में वन भूमि पर बसे परिवारों को रिहायशी आबंटन पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

(9) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से पुलिस थाना मुहाना, जयपुर में दलित युवक द्वारा पुलिस कस्टडी में खुदकुशी करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से प्रदेश में सीवरेज कार्यों में निर्धारित मापदण्डों की अनदेखी एवं सड़कों की बदहाल स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

(12) प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना में ठेकेदारों द्वारा फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 20 हजार करोड़ रुपये के टेण्डर घोटाले से उत्पन्न स्थिति के संबंध में निम्नांकित माननीय सदस्यों की ओर से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं-

1. श्री राजेन्द्र राठौड़
2. श्री ललित कुमार ओस्तवाल
3. श्री अर्जुन लाल जीनगर
4. श्री निर्मल कुमावत
5. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी
6. श्री धर्मनारायण जोशी
7. श्री रामप्रताप कासनियां
8. श्री सुरेश सिंह रावत
9. श्री अविनाश
10. श्री रामलाल शर्मा

(श्री अध्यक्ष)

11. श्री बलवीर सिंह लूथरा
12. श्री अभिनेश महर्षि
13. श्री गोपाल लाल शर्मा
14. श्री सुभाष पूनिया
15. श्री छगनसिंह
16. श्री बिहारीलाल
17. श्री धर्मेन्द्र कुमार
18. श्री गुरदीप सिंह
19. श्री अमृतलाल मीणा
20. श्रीमती संतोष
21. श्री संजय शर्मा
22. श्री जोगेश्वर गर्ग
23. श्री जोराराम कुमावत
24. श्री नारायण सिंह देवल

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री नारायण बेनीवाल, श्री बलजीत यादव, श्री धर्मनारायण जोशी, श्री सुभाष पूनिया, श्री नारायण सिंह देवल एवं श्री राजेन्द्र राठौड़ को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री सतीश पूनियां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आमेर की क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर शहर में व्याप्त पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से श्री प्रेमसिंह सिंघवी राजकीय महाविद्यालय छीपाबड़ौद में कार्यरत कार्मिकों के बकाया वेतन का भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

44] नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त-24 जुलाई 2023-विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत हुए कार्यों से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में पेयजल की समुचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से बनास नदी के पानी को कपासन विधान सभा क्षेत्र में पेयजल एवं कृषि हेतु उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

(7) श्री कन्हैया लाल, सदस्य की ओर से मालपुरा उप खण्ड को नवीन जिला बनाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से जिला अलवर को नवीन संभाग बनाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री ओम प्रकाश हुड़ला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र महुवा के कतिपय गाँवों में पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

(10) श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से झालावाड़ ज़िले के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर पदस्थापन करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री सुरेश मोदी, सदस्य की ओर से उप खण्ड, नीम का थाना में ठेकेदार कम्पनी द्वारा खनन करने वालों से अवैध वसूली करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर की कई आवासीय कालोनियों एवं कच्ची बस्तियों में मूलभत सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में।

(13) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से प्रदेश में विद्युत के घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं से अतिरिक्त अधिभार के नाम पर राशि वसूले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से नोखा उप खण्ड को नवीन जिला बनाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

आज मैंने पांच प्रस्ताव और अलाउ किए हैं 15 के अलावा, जिससे माननीय सदस्यों को पूरा मौका मिले।

(16) श्री राकेश पारीक, सदस्य की ओर से प्रदेश की गुर्जरों सहित अन्य जातियों को शैक्षणिक संस्थाओं में एम बी सी वर्ग का लाभ दिलवाये जाने के संबंध में।

(17) श्री रामनारायण मीना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में चम्बल सिंचित क्षेत्र में जल सिंचन, जल निकासी तथा ड्रेनेज जीर्णोद्धार के कार्यों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।

(18) श्री अमित चाचाण, सदस्य की ओर से उप खण्ड नोहर को नवीन जिला बनाने के संबंध में।

(19) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवीन कक्ष बनाने एवं शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में।

(20) श्रीमती सूर्यकांता व्यास, सदस्य की ओर से जोधपुर के उम्मेद सागर बांध की भूमि एवं कैचमेंट एरिया को अतिक्रमण मुक्त कर इसे वर्षा जल संरक्षण इकाई, पेयजल भण्डारण एवं पर्यटन आकर्षण केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-01 देखें।)

श्री नारायण बेनीवाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर...(व्यवधान) बहुत गम्भीर बात है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, I will not allow it.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता प्रतिपक्ष): लाल डायरी की बात हुई है.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: I will not allow it.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता प्रतिपक्ष): उन्होंने कहा है कि लाल डायरी... (व्यवधान) उसका राज खुल जाता।

श्री अध्यक्ष: I will not allow it. (व्यवधान) रिकार्ड नहीं होगा। रिकार्ड नहीं होगा। नारायण बेनीवाल। रिकार्ड नहीं होगा। (व्यवधान) नारायण बेनीवाल।

सदन कूप में

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में आगमन व नारे)

नारायण बेनीवाल। (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

राष्ट्रीय एवं अन्तरराज्यीय राजमार्गों पर नियम विरुद्ध टोल वसूली

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र सिंह गुढा का अध्यक्ष पीठ के निकट आगमन)

श्री अध्यक्ष: Not allowed. Not allowed. I said, not allowed. (interruptions) Not allowed. चैम्बर में आइए। मेरे चैम्बर में आइए। मेरे चैम्बर में आइए, यहां नहीं। यहां नोट अलॉउड। I will not allow you. I will not allow you. I will not allow you. I will not allow you. अच्छा नहीं लगता (व्यवधान) अच्छा नहीं लगता। मैं बाहर निकाल दूंगा। नीचे जाएं। not allowed. I said, not allowed.

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों एवं अन्तर्राज्यीय राजमार्गों पर नियम विरुद्ध टोल वसूली के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: I said, not allowed. I will name you Mr. Rajendra Ji. आप मेरे चैम्बर में आइये। मेरे चैम्बर में आइये।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): महोदय, उपर्युक्त विषय में सादर अनुरोध है कि प्रदेश में एक तरफ तो जब कोई वाहन खरीदते हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: I say, you please come to my Chamber. Please. यह तरीका नहीं है। (व्यवधान)

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): तो रोड टैक्स के नाम पर बड़ी राशि परिवहन कार्यालय में जमा करवायी जाती है तो दूसरी तरफ टोल टैक्स लिया जा रहा है,...(व्यवधान) रोड टैक्स एवं टोल टैक्स दोनों कैसे लिये जा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: मेरे चैम्बर में आइये। You cannot show me this. You cannot dictate me. You cannot dictate me. You cannot dictate me. Don't compel me. Don't compel me.

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): प्रदेश सरकार एक तरफ तो महंगाई राहत कैंप लगाकर राहत बांटने का काम कर रही है...(व्यवधान) तो दूसरी तरफ प्रदेश के राज्य राजमार्गों एवं खस्ताहाल राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियम विरुद्ध टोल वसूल करके...(व्यवधान) जनता पर आर्थिक भार डाल रही है, जिसको लेकर प्रदेश की जनता में भारी रोष व्याप्त है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: I said, don't compel me.

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): प्रदेश की पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी सरकार के तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने 06 मार्च, 2018 को वित्त एवं विनियोग विधेयक पर बहस का जबाब देते समय प्रदेश के...(व्यवधान) राज्य राजमार्गों को टोल मुक्त करने की घोषणा की थी जिसके बाद 01 अप्रैल, 2018 से एक बार प्रदेश को टोल मुक्त किया था राष्ट्रीय एवं अन्तर्राज्यीय राजमार्गों पर नियम विरूद्ध टोल वसूली...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: Don't compel me. आप बाहर जाइये...(व्यवधान) मैं आपका सम्मान कर रहा हूं। You please come to my Chamber. Come to my Chamber.

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): लेकिन उसके बाद जैसे ही नई सरकार बनी तो उस नई नवेली सरकार ने राज्य राजमार्गों पर पुनः टोल वसूली का कार्य शुरू कर दिया जो अनवरत जारी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: Please come to my Chamber. Come to my Chamber. नहीं सुन रहे आप? नहीं सुन रहे?...(व्यवधान) ...

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): प्रदेश में अधिकांश जगह सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं पी पी पी माडल पर बनी सड़कें जगह-जगह से टूटी हुई हैं एवं टोल नाकों पर तय मापदंडों के अनुसार किसी भी तरह की सुविधा नहीं है।

श्री अध्यक्ष: Please come to my Chamber. मैं लास्ट टाइम कह रहा हूं...(व्यवधान) come to my Chamber.

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): नागौर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य पूर्ण हुए बिना ही पिछले लंबे समय से लगातार टोल वसूली का कार्य किया जा रहा है (व्यवधान) जिसके संबंध में मेड़ता की लोक अदालत ने इसे

(श्री नारायण बेनीवाल)

बंद करने के निर्देश प्रशासन को दिए थे,...(व्यवधान) लेकिन प्रशासन के ढुलमुल रवैये के कारण आज भी टोल वसूली का कार्य बंद नहीं होकर लगातार चालू है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठें। (व्यवधान) सब बैठें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सड़कों पर कहीं पर भी रोड सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और न ही किसी तरह की कोई सुविधा है,...(व्यवधान) पैचिंग का काम चलाकर सड़क को ठीक करने के नाम पर महज औपचारिकता की जा रही है।

श्री अध्यक्ष: I will not allow you. Please come to my Chamber. I will not allow you. दादागीरी करनी है क्या? (व्यवधान) come to my Chamber. Please come to my Chamber.

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): मेरी सरकार से मांग है कि प्रदेश के राज्य राजमार्गों एवं खस्ताहाल राष्ट्रीय राजमार्गों पर...(व्यवधान) टोल वसूली का कार्य तुरंत बंद करवाकर प्रदेश के इन राजमार्गों को टोल मुक्त किया जाकर आम जनता को राहत प्रदान करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: Come to my Chamber...(interruptions)

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): नागौर-कुचामन, खाटू-तरनाऊ, भोपालगढ़, आसोप, शंखवास, खजवाना, कुचेरा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, प्रस्ताव रखें। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य...(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.09 बजे 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(समय: 14.00 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि, अधिसूचनाएं। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान)

सदन कूप में

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्‌वारा सदन कूप में प्रवेश एवं नारे)

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

नगरीय विकास विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार नगरीय विकास विभाग की निम्नांकित 17 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 20.03.2023 जिसके द्‌वारा प्रशासन-शहरों-के-संग अभियान के दौरान प्रीमियम दरों का निर्धारण किया गया है;

2. अधिसूचना संख्या: प.17(19)नविवि/नियम/2019 दिनांक 04.04.2023 जिसके द्‌वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स), 2022 के अधीन देय प्रीमियम में 75 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है;

3. अधिसूचना संख्या: प.2(12)नविवि/सीकर/2021 दिनांक 05.04.2023 जिसके द्‌वारा नगर विकास न्यास, सीकर के क्षेत्राधिकार में भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

4. अधिसूचना संख्या: यूडीआर/1120/एम.पी./कपासन दिनांक 25.04.2023 जिसके द्‌वारा कपासन (जिला-चित्तौड़गढ़) के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान-2043 का प्रारूप तैयार कर आम जनता से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये हैं;

5. अधिसूचना संख्या: प.12(4)नविवि/भीलवाड़ा/2022 दिनांक 27.04.2023 जिसके द्‌वारा नगर परिषद् क्षेत्र भीलवाड़ा की सीमा में तिलक नगर योजना का विस्तार बनाना निश्चित किया गया है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

6. अधिसूचना संख्या: यूडीआर/1120/एम.पी./परतापुर-गढी दिनांक 28.04.2023 जिसके द्वारा परतापुर-गढी (जिला-चित्तौड़गढ़) के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान-2036 का प्रारूप तैयार कर आम जनता से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये है;

7. अधिसूचना संख्या: जेडीजेड/1120/एम.पी./भीनमाल दिनांक 22.06.2023 जिसके द्वारा भीनमाल के नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान-2041 का प्रारूप तैयार कर सुझाव आमंत्रित किये गये हैं;

8. अधिसूचना संख्या: प.11(9)नविवि/बड़ौदा मेव/2023 दिनांक 22.06.2023 जिसके द्वारा उप नगर नियोजक, अलवर को बडौदा मेव (जिला अलवर) के राजस्व ग्रामों का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2041 तक का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु नियुक्त किया गया है;

9. अधिसूचना संख्या: प.11(1)नविवि/सवाईमाधोपुर/2015 दिनांक 22.06.2023 जिसके द्वारा सवाईमाधोपुर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2035 में प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन किया गया है;

10. अधिसूचना संख्या: प.11(8)नविवि/गोविन्दगढ़/2023 दिनांक 22.06.2023 जिसके द्वारा उप नगर नियोजक, अलवर को गोविन्दगढ़ (जिला-अलवर) के राजस्व ग्रामों का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2041 तक का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु नियुक्त किया गया है;

11. अधिसूचना संख्या: प.11(7)नविवि/सिवाना/2023 दिनांक 22.06.2023 जिसके द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर को सिवाना (जिला-बाड़मेर) के नगरीय क्षेत्र राजस्व ग्रामों का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2043 तक का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु नियुक्त किया गया है;

12. अधिसूचना संख्या: प.1(12)नविवि/3/1972 पार्ट-1 दिनांक 27.06.2023 जिसके द्वारा नगर निगम उत्तर/दक्षिण जोधपुर को उनके क्षेत्राधिकार में योजना विकास हेतु जन हित में वांछित मास्टर/जोनल प्लान में संशोधन करने हेतु अधिकृत किया गया है;

13. अधिसूचना संख्या: प.10(3)नविवि/3/1980 पार्ट-2 दिनांक 28.06.2023 जिसके द्वारा कैथून मास्टर प्लान-2023 की समयावधि को वर्ष 2031 तक के लिए बढ़ाया गया है;

14. अधिसूचना संख्या: प.11(2)नविवि/2023 दिनांक 30.06.2023 जिसके द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर को देवली (जिला-टोंक) नगरीय

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

क्षेत्र के कतिपय राजस्व ग्रामों का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2045 तक का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु नियुक्त किया गया है;

15. अधिसूचना संख्या: प.4(52)नविवि/2/2016/पार्ट दिनांक 03.07.2023 जिसके द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण अपीलीय अधिकरण का गठन किया गया है;

16. अधिसूचना संख्या: प.1(1)नविवि/3/77 दिनांक 04.07.2023 जिसके द्वारा बांसवाड़ा मास्टर प्लान-2031 में प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन किया गया है; एवं

17. अधिसूचना संख्या: प.4(53)नविवि/विविध/2022 दिनांक 10.07.2023 जिसके द्वारा अजमेर विकास प्राधिकरण अपीलीय अधिकरण नियम, 2023 विरचित किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

प्रतिवेदन एवं लेखे

जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन

(वर्ष 2019-20 एवं 2021-22)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 एवं 2021-22 सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। (व्यवधान) माननीय सदस्य, इधर। मदन दिलावर, come this side. Please come this side. I will not allow it. Please come this side. मैं मार्शल से बाहर भेज दूंगा। (व्यवधान) come this side. (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री धर्मेन्द्र कुमार। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

(श्री अध्यक्ष)

श्री हमीर सिंह भायल। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री अमृतलाल मीणा। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री रामनारायण मीना।

याचिका

ढीपरी चंबल ग्राम (इटावा) की श्मशान भूमि विकास हेतु चारदीवारी एवं पहुंच मार्ग का निर्माण

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कोटा जिले के ग्राम ढीपरी चंबल (इटावा) की श्मशान भूमि विकास हेतु चारदीवारी एवं पहुंच मार्ग निर्माण करवाये जाने के संबंध में याचिका का उपस्थापन करता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नीचे। नीचे। माननीय सदस्य, नीचे। I will name you. मिस्टर राठौड़, मिस्टर राठौड़, I will name them. I will name them. यह गलत परम्परा है। यह गलत परम्परा है। यह गलत है। I will name you, I tell you. यह बहुत गलत परम्परा है। (व्यवधान)

पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक, 2023, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक, 2023

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप नीचे बैठें।

राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक, 2023, श्री अंजना उदयलाल।

राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक, 2023

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

माननीय मंत्रीजी।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2023, श्री टीकाराम जूली।

महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2023

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री टीकाराम जूली (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। कोटा विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधेयक पर विचार

कोटा विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि कोटा विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अनुपूरक कार्य सूची। विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाला विधेयक। नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2023, श्रीमती शकुन्तला रावत।

विधेयक का पुर:स्थापन

नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2023

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

आपकी अनुमति से नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करती हूं। (व्यवधान)

विधेयक पर विचार

कोटा विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023

श्री अध्यक्ष:...(व्यवधान) श्री संदीप शर्मा। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्रीमती संतोष। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री राजेन्द्र राठौड़। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्रीमती अनिता भदेल। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्रीमती कल्पना देवी। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री गोविन्द प्रसाद। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री धर्मनारायण जोशी। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री बिहारीलाल। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री मदन दिलावर। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री रामलाल शर्मा। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री अभिनेश महर्षि। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री संयम लोढ़ा। श्री रामनारायण मीना।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के 75 साल के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने आज एक कलंकित करने वाला

(श्री संयम लोढ़ा)

दृश्य उपस्थित किया है कि जब इस सदन में माननीय अध्यक्ष के आसन पर जाकर हमला करने की चेष्टा हुई। प्रतिपक्ष के नेता सात बार इस विधान सभा में आये हैं, आज इस विधान सभा की गरिमा को तार-तार करने के अन्दर वे भागीदार बने। पूरे भारत के सामने राजस्थान की जनता का सिर आज झुक गया है। राजस्थान की जनता शर्म से लाचार हो गयी है कि भारतीय जनता पार्टी जो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी खुद को कहती है, उन्होंने किस तरह का आचरण सदन में प्रस्तुत किया है और यह विधेयक जो सरकार लेकर आयी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, 2022 के बजट में कोटा और उदयपुर में विकास प्राधिकरण लाने की घोषणा की गयी थी, लेकिन विभाग की गति इतनी धीमी रही कि आज सवा साल के बाद यह कानून आया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनके कृत्यों की भर्त्सना करता हूं। लानत है तुम्हारे ऊपर, +++ कोई तुम्हें पूछेगा नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि कोटा विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि कोटा विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

माननीय मंत्रीजी।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कोटा विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023 को पारित किया जाये।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: श्री रामनारायण मीना।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक है, यह अलग-अलग जिलों से संबंधित है। इसके बारे में कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया। इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए क्योंकि आगे जाकर जिलों में विद्रोह होगा और नुकसान होगा। इसलिए मेरा पुन: निवेदन है सरकार से, माननीय मंत्रीजी से, इसको जनमत जानने के लिए पारिचालित किया जाए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव पहले रखा गया था, वह सदन के द्वारा मना कर दिया गया, इसलिए जनमत जानने का सवाल ही नहीं होता। अत: इस विधेयक को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन श्री रामनारायण मीना ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 3.

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में जो संशोधन श्री रामनारायण मीना ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 4.

प्रभारी मंत्री उत्तर देंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा इस प्राधिकरण की घोषणा की गई थी। इस घोषणा के अनुसार विधेयक के अन्दर

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

कोटा रीजन को परिभाषित किया गया है। कोटा रीजन की अनुसूची में सम्मिलित शहरों, नगरों और गांवों की सीमाओं के क्षेत्र से अभिप्रेत है।

राज्य सरकार समय-समय पर राजपत्र में प्रकाशित व अधिसूचना द्वारा उस अनुसूची को ऐसी अधिसूचना में सम्मिलित किसी क्षेत्र को जोड़ कर उसमें से हटा कर संशोधित कर सकेगी और तदुपरान्त उपाबन्ध क्षेत्र कोटा रीजन होगा। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं कि कोटा रीजन में सिर्फ कोटा जिले को शामिल किया जाय। क्षेत्र के भावी विकास, भविष्य की महत्वपूर्ण परियोजनाएं एवं परिधि क्षेत्र के अवांछनीय विकास को एवं नियंत्रण के दृष्टिगत आसपास के अन्य ग्रामों, कस्बों व शहरों के क्षेत्र को भी शामिल किया जा सकता है। वर्तमान में नगर विकास न्यास, कोटा कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत तहसील तालेड़ा जिला बूंदी के 14 राजस्व ग्राम आते हैं और इसी निरन्तरता में इस क्षेत्र के भावी विकास के लिए प्रस्तावित हवाई अड्डा और नार्दर्न बाईपास को दृष्टिगत रखते हुए तालेड़ा व केशोरायपाटन के राजस्व ग्रामों को कोटा रीजन में शामिल किया जाना आवश्यक समझा गया है, ताकि नगर की परिधि में अवांछनीय विकास पर नियंत्रण हो सके। प्रस्तावित कोटा रीजन में कुल प्रस्तावित 292 राजस्व ग्रामों में से तालेड़ा के 48 राजस्व ग्राम और तहसील केशोरायपाटन, बूंदी के 15 राजस्व गांव सम्मिलित किये गये हैं। अत: इस विधेयक के खण्ड 5 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'छह मास' के लिए की जगह 'तीन मास' किये जाने का प्रस्ताव है।

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 5(1), जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2000 की धारा 5(1) और अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 5(1) में छह मास का ही उल्लेख है। उसी अनुरूप प्रस्ताव विधेयक के खण्ड 5 में छह मास की अवधि का प्रावधान रखा गया है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य श्री रामनारायण मीना द्वारा अलग-अलग खण्डों में दिये गये संशोधन प्रस्तावों को अस्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

श्री रामनारायण मीना द्वारा प्रस्तुत सभी संशोधन अस्वीकार किये गये।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि कोटा विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

कोटा विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023 को पारित किया गया।

उदयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधेयक पर विचार

उदयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उदयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती संतोष। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री राजेन्द्र राठौड़। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्रीमती अनिता भदेल। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री फूल सिंह मीणा। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री अमृतलाल मीणा। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री धर्मनारायण जोशी। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री बिहारीलाल। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री मदन दिलावर। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

(श्री अध्यक्ष)

श्री रामलाल शर्मा। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री अभिनेश महर्षि। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री संयम लोढ़ा (अनुपस्थित)।

श्री अशोक लाहोटी। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

प्रश्न यह है कि उदयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि उदयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 100 तक, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 100 तक स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 100 तक स्वीकार किये गये।

अनुसूची। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गयी।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

विधेयक का पारण

प्रश्न यह है कि उदयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

उदयपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2023 को पारित किया गया।

गांधी वाटिका न्यास जयपुर विधेयक, 2023, श्री बुलाकी दास कल्ला।

विधेयक पर विचार

गांधी वाटिका न्यास जयपुर विधेयक, 2023

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि गांधी वाटिका न्यास जयपुर विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण बेनीवाल।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी के नाम से स्थापित किये जा रहे गांधी वाटिका न्यास जयपुर से संबंधित विधेयक के माध्यम से गांधीजी के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से न्यास की स्थापना की जा रही है। गांधी वाटिका न्यास जयपुर विधेयक, 2023 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आक्याजी, क्या कर रहे हो आप? आई विल नेम यू, आक्याजी।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): गांधीजी ने कहा है कि जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हों, वह खुद के अन्दर लाओ। आज जिस तरह से लोकतंत्र इस सदन के अन्दर तार-तार हुआ है, राजस्थान की साढ़े आठ करोड़ जनता ने आज लोकतंत्र को तार-तार होते देखा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की घटना को मैं पीड़ादायक ही कहूंगा। इस लाल डायरी की जांच भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों को करवानी चाहिए, क्योंकि देश के अन्दर इनका राज है। इस लाल डायरी की जांच करा लें। मुझे तो लग रहा है, क्योंकि मुख्य मंत्रीजी ने सार्वजनिक मंत्र से कहा था कि यदि वसुन्धराजी नहीं होतीं तो मेरी सरकार नहीं बचती तो कहीं न

(श्री नारायण बेनीवाल)

कहीं इस लाल डायरी के अन्दर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के नाम भी हो सकते हैं। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि राजस्थान की साढ़े आठ करोड़ जनता जानना चाहती है कि इस लाल डायरी के अन्दर क्या है। आप सरकार को निदेशित करें और जांच करायें। यदि माननीय सदस्यों की सही भावना है, यदि किसी ने भ्रष्टाचार किया है, किसी ने पैसों का लेनदेन किया है, उन सभी माननीय सदस्यों को जेल में जाना चाहिए।

मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि देश के अन्दर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य यह चाह रहे हैं कि इस मामले की जांच हो। आज जो भी घटना हुई, मैं उस घटना की... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें। बैठो। विचारार्थ।

श्री अशोक लाहोटी। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री बिहारीलाल। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्रीमती अनिता भदेल। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री रामप्रताप कासनियां। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री अविनाश। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री अमृतलाल मीणा। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री अभिनेश महर्षि। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री राजेन्द्र राठौड़। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

सुश्री दिव्या मदेरणा (अनुपस्थित)।

(श्री अध्यक्ष)

श्री रामलाल शर्मा। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री धर्मनारायण जोशी। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

प्रभारी मंत्री।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

प्रश्न यह है कि गांधी वाटिका न्यास, जयपुर विधेयक, 2023 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि गांधी वाटिका न्यास, जयपुर विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 24, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 24 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 24 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

विधेयक का पारण

प्रश्न यह है कि गांधी वाटिका न्यास, जयपुर विधेयक, 2023 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

गांधी वाटिका न्यास, जयपुर विधेयक, 2023 को पारित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

राजस्थान प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकार (रजिस्ट्रीकरण और कल्याण) विधेयक, 2023, श्री सुखराम विश्नोई।

विधेयक पर विचार

राजस्थान प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकार (रजिस्ट्रीकरण और कल्याण) विधेयक, 2023

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकार (रजिस्ट्रीकरण और कल्याण) विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण बेनीवाल (अनुपस्थित)।

श्री अशोक लाहोटी। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री बिहारीलाल। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्रीमती अनिता भदेल। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री रामप्रताप कासनियां। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री अविनाश। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री जगदीश चन्द्र (अनुपस्थित)।

श्री अमृतलाल मीणा। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री अभिनेश महर्षि। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

(श्री अध्यक्ष)

श्री राजेन्द्र राठौड़। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

सुश्री दिव्या मदेरणा (अनुपस्थित)।

श्री रामलाल शर्मा। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री धर्मनारायण जोशी। (सदन कूप में होने के कारण बोलने के लिए खड़े नहीं हुए।)

प्रश्न यह है कि राजस्थान प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकार (रजिस्ट्रीकरण और कल्याण) विधेयक, 2023 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकार (रजिस्ट्रीकरण और कल्याण) विधेयक, 2023 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 से 23, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 23 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 23 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव रखेंगे।

विधेयक का पारण

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकार (रजिस्ट्रीकरण और कल्याण) विधेयक, 2023 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकार (रजिस्ट्रीकरण और कल्याण) विधेयक, 2023 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान प्लेटफार्म आधारित गिग कर्मकार (रजिस्ट्रीकरण और कल्याण) विधेयक, 2023 को पारित किया गया। (व्यवधान)

माननीय सदस्य ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आप अब भी नहीं सुनना चाहते?

सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.23 बजे 15.23 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

(समय: 15.23 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: शासकीय संकल्प। श्री शान्ती कुमार धारीवाल। श्री शान्ती कुमार धारीवाल। श्री शान्ती कुमार धारीवाल। बोलिये न आप।

सदन कूप में

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश एवं नारे)

शासकीय संकल्प

भारत देश राज्यों का संघ है। सभी राज्यों में परस्पर सहयोग की भावना से ही देश की प्रगति होती है। किसी भी राज्य में बनी हुई विपरीत परिस्थितियां पूरे देश पर असर डालती हैं। राजस्थान विधान सभा मणिपुर राज्य में हो रहे हृदय विदारक अपराधों एवं विभिन्न वर्गों के बीच चल रहे संघर्ष की वजह से बिगड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर अत्यधिक चिंतित है। पिछले कुछ महीनों से मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है एवं हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। केन्द्र सरकार एवं मणिपुर राज्य सरकार द्वारा दिए गए

आदेशों, निर्देशों के बाद भी हिंसा रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। राजस्थान विधान सभा केन्द्र सरकार से आग्रह करती है कि अविलम्ब वो सभी जरूरी कदम उठाए जिससे देश हित में वहां पर शांति स्थापित हो सके। राजस्थान विधान सभा मणिपुर की जनता से अपील करती है कि पारस्परिक सौहार्द बनाए रखे एवं शांति स्थापित करने की ओर आगे बढ़े। इन विषम परिस्थितियों में पूरे प्रदेश की संवेदनाएं मणिपुर की जनता के साथ हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित संकल्प विचार एवं पारण हेतु प्रस्तुत करता हूं-

श्री राजेन्द्र राठौड़ (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह संसदीय परंपराओं का हनन हो रहा है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): भारत देश राज्यों का संघ है। सभी राज्यों में परस्पर सहयोग की भावना से ही देश की प्रगति होती है। किसी भी राज्य में बनी हुई विपरीत परिस्थितियां पूरे देश पर असर डालती हैं। राजस्थान विधान सभा मणिपुर राज्य में हो रहे हृदय विदारक अपराधों एवं विभिन्न वर्गों के बीच चल रहे संघर्ष की वजह से बिगड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर अत्यधिक चिंतित है। पिछले कुछ महीनों से मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है एवं हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। केन्द्र सरकार एवं मणिपुर राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेशों, निर्देशों के बाद भी हिंसा रुकती हुई नजर नहीं आ रही है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

राजस्थान विधान सभा केन्द्र सरकार से आग्रह करती है कि अविलम्ब वो सभी जरूरी कदम उठाए जिससे देश हित में वहां पर शांति स्थापित हो सके..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य...(व्यवधान) मार्शल, मार्शल, बाहर निकालो। बाकी जगह पर। बाकी जगह पर।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जिससे देश हित में वहां पर शांति स्थापित हो सके।

श्री अध्यक्ष: बाहर निकालो, बाहर निकालो इसको। माननीय सदस्य, बाकी जगह पर।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जरूरी कदम उठायें...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बाकी जगह पर। बाकी जगह पर।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जिससे देश हित में वहां पर शांति स्थापित हो सके।

श्री अध्यक्ष: बाकी जगह पर आ जाओ। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): राजस्थान विधान सभा मणिपुर की जनता से अपील करती है कि पारस्परिक सौहार्द बनाए रखे एवं शांति स्थापित करने की ओर आगे बढ़े।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जगह पर आइये। बाकी जगह पर आइये।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इन विषम परिस्थितियों में पूरे प्रदेश की संवेदनाएं मणिपुर की जनता के साथ हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बाकी जगह। बाकी जगह पर। बाकी जगह पर। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बाकी अपने स्थान पर रहें...(व्यवधान) बाकी अपने स्थान पर रहें। माननीय सदस्य, मैं बाई नेम, नीचे बैठो, माननीय सदस्य, नीचे बैठो। नीचे बैठो। माननीय सदस्य, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप इनसे? माननीय सदस्य, माननीय सदस्य नीचे बैठें।

सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.27 बजे 15.57 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

(श्री अध्यक्ष)

(समय: 15.57 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

संकल्प पारित किया गया।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया।

पूर्वी राजस्थान के लिए सिंचाई एवं पेयजल की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ई.आर.सी.पी.) की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए यह सदन केन्द्र सरकार से आग्रह करता है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ई.आर.सी.पी.) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित संकल्प विचार एवं पारण हेतु प्रस्तुत करता हूं:-

"पूर्वी राजस्थान के लिए सिंचाई एवं पेयजल की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ई.आर.सी.पी.) की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए यह सदन केन्द्र सरकार से आग्रह करता है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ई.आर.सी.पी.) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए।"

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जल संसाधन मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

संकल्प पारित किया गया।

श्रीमती ममता भूपेश।

प्रदेश के ग्रामों के सर्वांगीण विकास एवं उत्थान हेतु यह सदन केन्द्र सरकार से आग्रह करता है कि देश के अन्नदाता किसानों को राहत प्रदान करने के लिए राष्ट्रीयकृत एवं व्यावसायिक बैंकों में ऋणी किसानों हेतु कृषक ऋण माफी योजना लाई जाए।

श्रीमती ममता भूपेश (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष

(श्रीमती ममता भूपेश)

महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित संकल्प विचार एवं पारण हेतु प्रस्तुत करती हूं:-

"प्रदेश के ग्रामों के सर्वांगीण विकास एवं उत्थान हेतु यह सदन केन्द्र सरकार से आग्रह करता है कि देश के अन्नदाता किसानों को राहत प्रदान करने के लिए राष्ट्रीयकृत एवं व्यावसायिक बैंकों में ऋणी किसानों हेतु कृषक ऋण माफी योजना लाई जाए।"

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

संकल्प पारित किया गया।

श्री गोविंद राम मेघवाल।

देश के समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु यह सदन केन्द्र सरकार से आग्रह करता है कि वर्ष 2011 से 2015 की अवधि के बीच आयोजित की गई सामाजिक-आर्थिक-जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किये जाएं तथा अब देश में जातिगत जनगणना कराई जाए।

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित संकल्प विचार एवं पारण हेतु प्रस्तुत करता हूं:-

"देश के समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु यह सदन केन्द्र सरकार से आग्रह करता है कि वर्ष 2011 से 2015 की अवधि के बीच आयोजित की गई सामाजिक-आर्थिक-जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किये जाएं तथा अब देश में जातिगत जनगणना कराई जाए।"

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि आपदा प्रबंध एवं सहायता मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

संकल्प पारित किया गया।

माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी।

(समय: 16.00 बजे)

सदस्य का निलम्बन

माननीय सदस्य श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा एवं श्री मदन दिलावर का पंद्रहवीं विधान सभा की शेष अवधि के लिए निलम्बन

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सम्मुख एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं।

आज दिनांक 24 जुलाई, 2023 को शून्यकाल में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दी जा रही थी। (व्यवधान) उस समय माननीय सदस्य श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा अचानक वैल में आसन की ओर आवेशित होकर डायस पर आकर माननीय अध्यक्ष महोदय को नियम विरुद्ध तरीके से सम्बोधित कर बहस करने लगे।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्य को बार-बार अपनी बात वैल में आकर पढ़ने और नियमान्तर्गत आसन से अनुमति प्राप्त करने हेतु कहे जाने पर उन्हें शान्त रहकर सदन की कार्यवाही चलने देने के लिए निर्देशित किया गया, किन्तु माननीय सदस्य गुढ़ा आसन के आदेशों की घोर अवहेलना करते हुए लगातार आवेशित होकर बहस करने लगे। (व्यवधान) गुढ़ा द्वारा माननीय अध्यक्ष की घोर उपेक्षा की गयी, आसन की अवहेलना की गयी, आसन का अपमान किया गया और आवेशित भाषा में बात करते हुए पाये गये तथा जान-बूझकर सदन के कार्य में दुर्भावनापूर्ण आशय से बाधा डाली।

माननीय सदस्य गुढ़ा ने मेरी डेस्क पर लगे माइक पर जोर से प्रहार किया और हाथापाई करने का प्रयास किया। यदि माननीय सदस्यों और मार्शल के द्वारा गुढ़ा को नहीं रोका जाता तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी घटना घटित हो सकती थी। माननीय राजेन्द्रसिंह गुढ़ा गम्भीर चोट पहुंचाने के आशय से मेरी ओर आये थे। उनका कृत्य पूर्व नियोजित और दुराशय से प्रेरित होकर स्पष्ट परिलक्षित है।

उनके द्वारा आसन का अपमान करते हुए पूरे सदन का अपमान किया गया है। आज तक राजस्थान विधान सभा के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई। संविधान निर्माताओं ने ऐसे कृत्य की कल्पना भी नहीं की होगी। यह

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

मामला दुर्लभतम है और संसदीय परम्पराओं, नियमों और मर्यादाओं की घोर अवहेलना करता है। उनका उक्त कृत्य बेहद ही शर्मनाक है।

अतः राजेन्द्रसिंह गुढ़ा, माननीय सदस्य को उनके गैर मर्यादित आचरण, सदन का अपमान एवं अनुशासनहीनता करने के कारण मैं प्रस्ताव करता हूं कि उन्हें इस सदन से पन्द्रहवीं राजस्थान विधान सभा की शेष अवधि के लिए निलम्बित किया जाये।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

इसी के साथ-साथ, पूरे सदन के दौरान हमेशा से आसन के द्वारा दी गयी व्यवस्थाओं का विरोध करने और आसन की अवहेलना करने, आसन का अपमान करने के लिए माननीय सदस्य मदन दिलावर हमेशा से अग्रसर रहे हैं। आज भी इस घटना के पश्चात् माननीय सदस्य मदन दिलावर के द्वारा मेरी ओर अग्रसर होकर मुझ पर हमला करने की सुनियोजित योजना बनायी गयी थी, जो प्रतिपक्ष के नेताओं के द्वारा विरोध करने पर रुकी।

मैं उनके लिए भी प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन से पन्द्रहवीं राजस्थान विधान सभा की शेष अवधि के लिए उन्हें भी निलम्बित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री शान्ती कुमार धारीवाल के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को पास किया जाये?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव पारित किया गया।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 02 अगस्त 2023 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16:04 बजे बुधवार, दिनांक 02 अगस्त 2023 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

आसपुर के विद्यालयों में कक्षा-कक्षों का निर्माण

562. श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र आसपुर के जनजाति क्षेत्र के रा.उ.मा.वि. सोलन, UPS सारेजी, रा.उ.मा.वि. म्याला, सालोरा, जोगीवाडा, गलियाणा, आसपुर, धावडी, पारडाईवीवर, पचलाछा छोटा, बोघी, सेतमावसी, साबला, रीछा माता कलां, माड़वा नवाधरा, खलील, खेडा सामोर एवं भचडीया मठ के पास विश्रान्ति गृह व कक्षा-कक्षों के निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र आसपुर के जनजाति क्षेत्र में जनजाति भागीदारी योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 में ग्राम पंचायत धावडी, पारडा इटिवार, पचलासा छोटा, जोगीवाडा व खलील में विश्रान्ति गृह निर्माण हेतु कुल राशि रुपये 49.90 लाख की वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

वर्ष 2022-23 में जनजाति विकास कोष अन्तर्गत ग्राम पंचायत धावडी में 2 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य राशि रुपये 20 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। उक्त कार्यो की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

सार्वजनिक स्थान (तालाब की पाल के पास) पर विश्रान्ति गृह निर्माण ग्राम प. रीछा प.स. साबला कार्य पूर्ण हो चुका है। उक्त कार्य का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

प्रश्न गत वर्णित स्थलों/ग्राम पंचायतों में प्रस्तावित विश्रान्ति गृह निर्माण व कक्षा कक्ष निर्माण के प्रस्तावों पर आवश्यकता, उपादेयता, बजट की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत किये जा सकेंगे।

(सूची एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

नवजीवन योजना पर व्यय राशि

565. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री ज्ञानचंद पारख)

(1) सरकार को वित्तीय वर्ष 2019-20 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक आबकारी से कितनी आय प्राप्त हुई? क्या सरकार द्वारा आय की दस प्रतिशत राशि नवजीवन योजना में दिये जाने का प्रावधान किया गया था? यदि हां, तो उक्त अवधि में कितनी राशि उक्त योजना हेतु दी गई? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि चालू वित्तीय वर्ष में उक्त योजना हेतु सौ करोड़ रुपये की राशि दिये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो सरकार द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त योजना में अब तक कितनी राशि दी गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2019-20 से 31 दिसम्बर, 2022 तक आबकारी राजस्व से राशि रुपये 41,008.25 करोड प्राप्त हुए।

सरकार द्वारा आय की 10 प्रतिशत राशि नवजीवन योजना हेतु खर्च किये जाने का प्रावधान नहीं किया गया है।

(2) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्त एवं विनियोग विधेयक पर हुई चर्चा के जवाब में नवजीवन योजना हेतु राशि रुपये 100 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान की घोषणा की गई है, इस घोषणा की अनुपालना में वर्ष 2022-23 में नवजीवन कोष के अन्तर्गत गतिविधियों के लिए राशि रुपये 3817.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को दी गई।

बड़ी सादड़ी में वनाधिकार के पट्टे

574. श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के वन क्षेत्र में रहने वाले कितने आदिवासियों को विगत चार वर्षों में वनाधिकार के पट्टे वितरित किये गये व कितने शेष हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वनाधिकार पट्टे से वंचित लोगों को भी पट्टे देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2008 तथा संशोधित नियम, 2012 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में विगत चार वर्षों में वनाधिकार के कुल 66 दावे प्राप्त हुए हैं जिनमें से 28 दावे वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत वन भूमि पर वर्ष 2005 से पूर्व का कब्जा होने का साक्ष्य नहीं होने कारण अपात्र होने से निरस्त किये गये हैं तथा उप खण्ड स्तर पर लम्बित 38 दावों में से दिनांक 19.07.2023 को उपखण्ड स्तरीय कमेटी द्वारा 34 दावों को निरस्त कर 04 दावों को जिला स्तरीय कमेटी को अग्रेषित कर दिया गया है।

(2) अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2008 तथा संशोधित नियम, 2012 के अन्तर्गत राज्य सरकार समस्त पात्र व्यक्तियों/निवासियों को पट्टे दिये जाने के लिये कटिबद्ध है। पट्टे दिये जाने की कार्यवाही लगातार जारी है। अधिनियम के तहत निर्धारित मापदण्ड पूरे करने की दशा में कोई भी व्यक्ति नियमानुसार वनाधिकार पट्टे के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अस्पताल एवं डिस्पेंसरियों में शिशु रोग विशेषज्ञों के स्वीकृत पद

500. श्री अमित चाचाण (नोहर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में जिला स्तर पर कितने अस्पताल, डिस्पेन्सरियां हैं? उक्त में शिशु रोग विशेषज्ञों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत पदों में से कितनों पर शिशु रोग विशेषज्ञ कार्यरत हैं तथा कितने पदों पर अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत हैं? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन चिकित्सालयों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। महाविद्यालय, राजमेस एवं आर यू एच एस से संबद्ध चिकित्सालयों में बाल/शिशु रोग विशेषज्ञों के कुल 310 स्वीकृत पद हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में जिला स्तर पर कुल 49 जिला अस्पताल तथा 186 डिस्पेन्सरियां हैं तथा प्रदेश में संचालित चिकित्सा संस्थानों में 421 शिशु रोग विशेषज्ञों के पद स्वीकृत है। जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

एन यू एच एम के अन्तर्गत प्रदेश में जिला स्तर पर 9 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं। प्रत्येक शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 01 संविदा आधारित शिशु रोग विशेषज्ञ का पद स्वीकृत है।

(2) चिकित्सा शिक्षा विभाग में कुल 207 कार्यरत पदों में से 205 पर बाल शिशु रोग विशेषज्ञ कार्यरत हैं।

शेष 02 कार्यरत में से मेडिकल कालेज, कोटा से संबद्ध सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुल्तानपुर, कोटा में शिशु रोग विशेषज्ञ के 01 पद पर चिकित्सा अधिकारी तथा मेडिकल कालेज, जयपुर से संबद्ध बनीपार्क चिकित्सालय में माइक्रोबायोलॉजी विशेषज्ञता के एक चिकित्सक पद विरूद्ध कार्यरत हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 में समाहित है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के स्वीकृत 421 पदों में से 226 पदों

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

पर शिशु रोग विशेषज्ञ कार्यरत हैं तथा 75 पदों के विरुद्ध अन्य चिकित्सक कार्यरत हैं। जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

वर्तमान में एन यू एच एम के अन्तर्गत 09 संविदा आधारित शिशु रोग विशेषज्ञों के पदों में से 06 संविदा आधारित शिशु रोग विशेषज्ञ कार्यरत हैं तथा पद विरुद्ध कोई भी अन्य संविदा आधारित विशेषज्ञ कार्यरत नही है। जिलेवार एन यू एच एम में संविदा आधारित शिशु रोग विशेषज्ञों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(सूची एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जयपुर के बाहरी क्षेत्रों में मल्टीस्पेशलिटी चिकित्सालयों की स्थापना

501. श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा आसानी से उपलब्ध कराने हेतु जयपुर शहर के सीकर, दिल्ली, आगरा, टोंक, अजमेर रोड व जयपुर शहरी क्षेत्र के बाहर मल्टीस्पेशलिटी चिकित्सालय प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त के संबंध में की गई कार्यवाही एवं प्रस्तावित कार्ययोजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा दिनांक 05.04.2022 को जयपुर के चार राजमार्गों दिल्ली रोड, आगरा रोड, टोंक रोड, अजमेर रोड पर सैटेलाइट हास्पिटल बनाने की घोषणा की गई है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूर्व में गठित कमेटी से सैटेलाइट हास्पिटल भवन का नक्शा अनुमोदनार्थ पश्चात् निदेशालय के पत्र क्रमांक 826 दिनांक 14.07.2023 के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को भिजवा दिया गया है।

कोटा के सरकारी चिकित्सालयों में बायोवेस्ट निस्तारण संयंत्रों की स्थापना

502. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री संदीप शर्मा)

(1) कोटा संभाग में वर्तमान में बायोवेस्ट के निस्तारण के लिये कितनी इकाइयां कहां-कहां कार्यरत हैं? उक्त इकाइयों की कार्य क्षमता क्या-क्या है तथा उनके द्वारा कितने चिकित्सालयों से बायोवेस्ट का संग्रहण किया जाता है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विभिन्न चिकित्सालयों द्वारा बायोवेस्ट का निस्तारण निर्धारित मानकों के अनुसार न करके विभिन्न कचरा पात्रों में खुले में फेंक दिया जाता है? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में ऐसे कितने चिकित्सालयों पर कार्यवाही की गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार कोटा के सरकारी चिकित्सालयों में बायोवेस्ट निस्तारण संयंत्रों की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

जैविक खेती पर किसानों को देय अनुदान

503. **श्री नारायण बेनीवाल** (खींवसर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के किन-किन जिलों में जैविक खेती की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त को बढ़ावा देने हेतु कोई प्रयास कर रही है? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश को पूर्ण रूप से जैविक खेती वाला राज्य बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या प्रदेश में जैविक खेती पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा है? यदि हां, तो विगत दो वर्षों में जिला नागौर में दिये गये अनुदान का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के सभी जिलों में जैविक खेती की जा रही है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 व 2 पर संलग्न है।

(कृषि मंत्री)

(2) जी हां। प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा परम्परागत कृषि विकास योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2015-16 से किया जा रहा है, जिसके तहत कृषकों को विभिन्न जैविक गतिविधियों के क्रियान्वयन पर अनुदान/सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में आमजन के बेहतर स्वास्थ्य एवं कृषकों का प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ते रूझान को ध्यान में रखते हुए राजस्थान जैविक खेती मिशन की घोषणा की गयी है। जैविक खेती मिशन का क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2022-23 से राज्य स्तर पर मिशन के संचालन, पर्यवेक्षण एवं क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय संचालन एवं निगरानी समिति का गठन किया जा चुका है एवं संस्थागत व्यवस्थाएं, दिशा-निर्देश व लक्ष्य आबंटन का कार्य प्रक्रियाधीन है। बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के अनुसार 50 हजार कृषकों को जैविक खेती हेतु प्रति कृषक 5 हजार रुपये की इनपुट सब्सिडी दिया जाना प्रस्तावित है। साथ ही राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था द्वारा एकल कृषकों को प्रमाणीकरण शुल्क में 75 प्रतिशत अनुदान सहायता दी जा रही है।

उद्यान विभाग द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (उद्यनिकी विकास कार्यक्रम) के अन्तर्गत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती अपनाने, जैविक प्रमाणीकरण, वर्मी कम्पोस्ट इकाइयों की स्थापना कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) प्रदेश में खादय सुरक्षा के मध्यनजर एक साथ सम्पूर्ण राज्य को जैविक खेती वाला राज्य बनाना संभव नहीं है। राज्य में योजनाबद्ध एवं चरणबद्ध तरीके से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश को पूर्ण रूप से जैविक खेती वाला राज्य बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) जी हां। विगत 02 वर्षों में नागौर जिले में जैविक खेती हेतु दिये गये अनुदान का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

किसानों को प्रोत्साहन देने हेतु संचालित योजनाएं

504. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा किसानों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र फलौदी में विगत चार वर्षों में किस-किस योजना में कितने किसानों को किस-किस कार्य हेतु प्रोत्साहन राशि प्रदान की गयी है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा जन घोषणा पत्र में किसानों की कर्जमाफी की घोषणा की गई है? यदि हां, तो विगत चार वर्षों में उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने किसानों का कितनी राशि का कर्जा माफ किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा किसानों की भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु आर्गेनिक, जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना चलाई जा रही है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

डूंगरपुर में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लाभार्थी

505. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के कृषकों एवं पशुपालकों की आय में वृद्धि तथा समग्र विकास हेतु मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना लागू की गई है? यदि हां, तो वर्ष 2018 से दिनांक 31 मार्च, 2023 तक विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के कितने कृषकों को उक्त योजना से लाभान्वित किया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजनान्तर्गत उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने किसानों को बायो फर्टिलाइजर्स, बायो एजेन्ट्स, माइक्रो न्यूट्रेन्टस किट, डिग्गी, फार्म पौण्ड, स्प्रिंकलर एवं मिनी स्प्रिंकलर आदि की सुविधाएं प्रदान की गई हैं? यदि हां, तो संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश के कृषकों एवं पशुपालकों की आय में वृद्धि तथा

(कृषि मंत्री)

समग्र विकास हेतु मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना लागू की गई है। योजना अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में वर्ष 2018 से वर्ष 2020-21 तक बजट आबंटन नहीं किया गया था। वर्ष 2021-22 में कुल 861 एवं वर्ष 2022-23 में कुल 668 कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

(2) जी हां। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में किसानों को बायो फर्टिलाइजर्स, बायो एजेन्ट्स, माइक्रो न्यूट्रेन्टस किट, डिग्गी, फार्म पौण्ड, स्प्रिंकलर एवं मिनी स्प्रिंकलर आदि सुविधाए प्रदान की गई हैं। योजना अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में वर्ष 2018 से वर्ष 2020-21 में बजट आबंटन नहीं किया गया था। वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में लाभान्वित कृषकों का गतिविधिवार, वर्षवार संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	**वित्तीय वर्ष**	**कम्पोनेंट का नाम**	**लाभान्वित कृषक संख्या**
1	2021-22	सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदर्शन	442
2		बायोफर्टिलाइजर्स एण्ड बायो एजेन्टस	403
3		फार्म पौण्ड	16
1	2022-23	सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदर्शन	196
2		बायोपेस्टीसाइड किट	213
3		फार्म पौण्ड	28
4		पाइपलाइन	92
5		कृषि यंत्र	8
6		तारबंदी	61
7		स्प्रिंकलर/मिनी स्प्रिंकलर	70

रेवदर की उंआरा व करोटी नदियों पर एनिकटों का निर्माण

506. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रेवदर के मण्डार नाला पांच पर उंआरा तथा करोटी नदी पर एनिकट के अभाव में प्रतिवर्ष लाखों गैलन वर्षा जल बहकर गुजरात में चले जाने से गांवों का भूजल स्तर नीचे जाने के कारण सिंचाई सुविधा नहीं मिल पा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(श्री जगसी राम)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त एनिकटों के निर्माण के लिये स्थानीय जनता, जन-प्रतिनिधिगण, क्षेत्रीय विधायक एवं विभाग के क्षेत्रीय अभियन्ताओं द्वारा सरकार को प्रस्ताव, मांग पत्र प्रेषित किये गये हैं? यदि हां, तो मांग पत्रों एवं प्रस्ताव पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वित्तीय वर्ष 2023 में सरकार मण्डार नाला पांच पर ठंआरा व करोटी नदी पर एनिकट निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र रेवदर में ठंआरा नदी (नाला) एवं करोटी नदी का प्राकृतिक बहाव गुजरात राज्य की ओर होने से वर्षाकाल में जल गुजरात राज्य में बहकर जाता है । यद्यपि इस पानी के उपयोग हेतु एनिकट निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर संसाधन उपलब्धतानुसार अग्रिम कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है, जिससे क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो सकें।

(2) जी हां। करोटी नदी पर 02 एनिकट निर्माण हेतु मांग पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनकी तकनीकी उपादेयता एवं संसाधन उपलब्धतानुसार अग्रिम कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

(3) जी हां। एनिकटों की स्वीकृति, तकनीकी उपादेयता एवं संसाधनों की उपलब्धतानुसार कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं।

नि:शक्त कार्मिक के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति

507. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बजट वर्ष 2022-23 में कार्मिकों को ड्यूटी में कार्य करते हुए पूर्णत: नि:शक्त, अयोग्य होने एवं उनके द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेने पर उनके आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिए जाने के नियम बनाये गये हैं? यदि हां, तो उक्त नियम के तहत कितने कार्मिकों के वी आर एस लेने एवं उनके आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देने हेतु आवेदन लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्मिकों के वी आर एस लेने के पश्चात् उनके आश्रितों को अनुकम्पात्मक नौकरी दे दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

(3) क्या सरकार हिण्डौन सिटी जिला करौली में पम्प आपरेटर द्वितीय के पद पर कार्यरत कार्मिक के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2022-23 के राज्य बजट में की गयी घोषणा के क्रम में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 26.04.2023 द्वारा राजस्थान स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 2023 जारी किये गये हैं।

उक्त अधिसूचना जारी होने से पूर्व एक कार्मिक के आश्रित (पत्नी) का कार्मिक को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने एवं आश्रित (पुत्र) को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है तथा अधिसूचना जारी होने के उपरान्त विभाग में कार्यरत एक कार्मिक का उक्त नियम के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एवं आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है।

उक्त दोनों प्रकरण वर्तमान में दिनांक 26.04.2023 को जारी अधिसूचना में वर्णित प्रावधानों के क्रम में परीक्षण हेतु प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उपरोक्तानुसार। उक्त दोनों प्रकरण वर्तमान में दिनांक 26.04.2023 को जारी अधिसूचना में वर्णित प्रावधानों के क्रम में परीक्षण हेतु प्रक्रियाधीन है। परीक्षण उपरांत उपयुक्त पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हिण्डौन सिटी जिला करौली में पम्प आपरेटर-द्वितीय के पद पर कार्यरत कार्मिक श्री महेश चन्द गुप्ता द्वारा उक्त नियमों के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने एवं आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। कार्मिक का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रकरण वर्तमान में अधिसूचना दिनांक 26.04.2023 के प्रावधानों के क्रम में परीक्षण हेतु प्रक्रियाधीन है। परीक्षण उपरांत उपयुक्त पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आकोला व पहुंना (कपासन) में नवीन टंकियों का निर्माण

508. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कपासन के ग्राम आकोला व पहुंना में निर्मित की गई टंकियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टंकियों के स्थान पर नवीन टंकियां बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा भादसौडा की निर्मित टंकी को ध्वस्त कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के स्थान पर नवीन टंकी बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कपासन की तहसील भोपालसागर के ग्राम आकोला की पाइप्ड जल योजना के अन्तर्गत निर्मित 100 किलोलीटर क्षमता एवं 15 मीटर स्टेजिंग का उच्च जलाशय क्षतिग्रस्त है, जिसे गिराने का कार्य वर्तमान में प्रगतिरत है तथा तहसील राशमी के ग्राम पहुंना की पाइप्ड जल योजना के अन्तर्गत निर्मित 100 किलोलीटर क्षमता एवं 15 मीटर स्टेजिंग का उच्च जलाशय वर्तमान में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

ग्राम आकोला के क्षतिग्रस्त उच्च जलाशय के स्थान पर 100 किलोलीटर क्षमता एवं 15 मीटर स्टेजिंग तथा ग्राम पहुंना के क्षतिग्रस्त उच्च जलाशय के स्थान पर 150 किलोलीटर क्षमता एवं 22 मीटर स्टेजिंग के क्लस्टर उच्च जलाशय जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जाखम बांध आधारित चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद व उदयपुर जिले के 1,473 ग्रामों की वृहद पेयजल परियोजना के अन्तर्गत निर्मित किये जाने प्रस्तावित हैं।

जाखम बांध आधारित वृहद परियोजना की स्वीकृति राशि रुपये 3,645.56 करोड़ की राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.एस.सी.) की 37वीं बैठक दिनांक 30.05.2023 के द्वारा जारी की जा चुकी है। वर्तमान में परियोजना के तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। परियोजना की तकनीकी स्वीकृति उपरान्त बजट उपलब्धता के आधार पर योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।

(2) विभाग द्वारा पंचायत समिति भदेसर के ग्राम भादसौडा में स्थित

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

क्षतिग्रस्त उच्च जलाशय को वर्ष 2021 में ध्वस्त करवाया जा चुका है। इसके स्थान पर 150 किलोलीटर क्षमता एवं 18 मीटर स्टेजिंग का नवीन क्लस्टर उच्च जलाशय का निर्माण जाखम बांध आधारित वृहद पेयजल परियोजना के अन्तर्गत करवाया जाना प्रस्तावित है।

जनता जल योजना के कार्मिकों का समायोजन

509. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बजट-2022 में जनता जल योजना के अन्तर्गत संचालित समस्त योजनाओं को विभाग में समायोजित किया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त योजना में कार्यरत कार्मिकों को भी विभाग में समायोजित कर लिया गया है? यदि हां, तो किन शर्तों पर व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जनता जल योजना की तरह ही स्वजल धारा योजना को भी विभाग द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया गया है? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बजट घोषणा-2022 की अनुपालना में माह मई, 2022 से राज्य की सभी जनता जल योजनाओं का संचालन एवं संधारण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

जनता जल श्रमिकों को विभागीय कार्मिक के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है। इन श्रमिकों को पूर्व की भांति अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी के अनुसार मानदेय का भुगतान माह मई, 2022 से विभाग द्वारा किया जा रहा है। जनता जल योजना पर कार्यरत श्रमिकों को विभाग में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में प्रकरण वर्तमान में मंत्रीमंडलीय उप समिति के समक्ष विचाराधीन है। निर्णय उपरांत तद्नुसार कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

(2) स्वजल धारा योजनाओं का संचालन एवं संधारण वर्तमान में ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों द्वारा ही किया जा रहा है। इन योजनाओं को जल जीवन मिशन के अंतर्गत सम्मिलित कर लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

सहकारी बैंकों में कार्यरत व्यवस्थापकों की पदोन्नति

510. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार सहकारी समिति व्यवस्थापकों के पूर्व में बनाये गये कैडर को लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा सहकारी बैंकों में ऋण पर्यवेक्षकों के पदों पर व्यवस्थापकों की पदोन्नति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या कार्यवाहक लगाये गये व्यवस्थापकों को पहले समायोजित किया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सहकारी समिति व्यवस्थापकों के पूर्व में बनाये गये कैडर को लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। इस प्रकार का प्रस्ताव राज्य सरकार में विचाराधीन है।

ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदामों का निर्माण

511. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रदेश में सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदाम बनाने के प्रावधान हैं? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र बामनवास में विगत दो वर्षों में कितने गोदामों का निर्माण कहां-कहां करवाया गया तथा वर्तमान में किन-किन ग्राम पंचायतों में गोदाम बनाया जाना प्रस्तावित है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदाम बनाने का प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार की बजट घोषणा एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थित ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण हेतु समिति के पास भूमि उपलब्ध होने तथा समिति से संबंधित केन्द्रीय सहकारी बैंक की अनुशंषा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर तत्समय उपलब्ध बजट के आधार पर गोदाम निर्माण की स्वीकृति जारी की जाती है। विधान सभा क्षेत्र बामनवास में विगत

(सहकारिता मंत्री)

दो वर्षों में 11 समितियों में गोदाम निर्माण करवाये गये हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र बामनवास से 6 ग्राम सेवा सहकारी समितियों भिनोरा, कोहली प्रेमपुरा, बडागांव सरवर, जीवद, लिवाली एवं रिवाली के प्रस्ताव विभाग में प्राप्त हुए हैं जिनका परीक्षण किया जा रहा है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा अल्पकालीन ऋणों का वितरण

512. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकार द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति के मार्फत अल्पकालीन ऋण वितरण किया जाता है? यदि हां, तो क्या खरीफ ऋण 2018 सभी किसानों को वितरित कर दिया गया है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ग्राम सेवा सहकारी समिति से नये जुड़ने वाले किसानों को भी ऋण दिया गया है? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उक्त किसानों को कब तक ऋण वितरित कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा सभी किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र दिये गये हैं? यदि हां, तो उक्त किसानों के खातों में राशि कब तक जमा कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश की केन्द्रीय सहकारी बैंकों के द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से खरीफ 2018 में 18,96,510 कृषक सदस्यों को राशि रुपये 8,275.51 करोड़ का ऋण वितरण कर लाभान्वित किया गया।

(2) जी हां। प्रतिवर्ष नये किसानों को जोड़ा जाता है एवं ऋण दिया जाता है।

(3) ऋण माफी योजना से लाभान्वित सभी कृषकों के ऋण माफी प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं। लाभान्वित कृषकों को ऋण माफी उनके ऋण खाते/बचत खाते में जमा की जा चुकी है।

उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों को मानदेय

513. श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राशन डीलर को मासिक वेतन, मानदेय देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा राशन डीलरों को क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में उचित मूल्य की दुकान किस-किस को आबंटित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राशन डीलर को मासिक वेतन, मानदेय देने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) उचित मूल्य दुकानदारों की आय में वृद्धि के लिए उचित मूल्य दुकानों पर ई-मित्र केन्द्र स्थापित किये जाने, कामन सर्विस सेन्टर और बैकिंग कोरेस्पोन्डेंट की सेवाएं दिये जाने हेतु विभागीय दिशा-निर्देश दिनांक 22.05.2020 एवं 01.10.2021 को जारी किये गये हैं। जारी दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र लाडनूं में आबंटित 128 उचित मूल्य दुकानों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(प्रति एवं सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

लाडपुरा में अधिकृत राशन डीलरों के विरुद्ध शिकायतें

514. श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में वर्तमान में किस-किस सामग्री के वितरण हेतु कितने राशन डीलर अधिकृत हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में राशन डीलरों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किस-किस डीलर के विरुद्ध कब एवं उक्त पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती कल्पना देवी)

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति कितनी खाद्य सामग्री कितने व्यक्तियों को दी जा रही है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में वर्तमान में खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत गेहूं के वितरण हेतु कुल 40 राशन डीलर अधिकृत हैं।

(2) जी हां। विगत 03 वर्षों में खुशबू महिला सहकारी समिति, उचित मूल्य दुकानदार, पोस कोड 24684 ग्राम जाखोडा के विरुद्ध श्री रमेश चन्द नागर द्वारा दिनांक 22.05.2020 को शिकायत प्रस्तुत की गई थी। प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह तथा बी पी एल, स्टेट बी पी एल एवं अन्य चयनित ए पी एल पात्र लाभार्थियों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह गेहूं दिया जा रहा है।

विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत चयनित पात्र लाभार्थियों की संख्या 78,806 है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ब्यावर में स्वीकृत उचित मूल्य की दुकानें

515. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में उचित मूल्य की दुकानें स्वीकृत की गई हैं? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में कितनी दुकानें स्वीकृत की गईं एवं कितने राशन डीलर कार्यरत हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र की दुकानों पर वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में प्रतिमाह निर्धन परिवारों को कितना गेहूं, चावल, चीनी एवं अन्य खाद्य सामग्री वितरित की गई? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विगत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में नवीन उचित मूल्य की दुकानें स्वीकृत नहीं की गई हैं।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में कुल 130 उचित मूल्य दुकानें कार्यरत हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में उचित मूल्य दुकानों पर वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में प्रतिमाह निर्धन परिवारों को वितरित खाद्य सामग्री का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सलूम्बर में संचालित मदरसे

516. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के कौन-कौन से गांवों में मदरसे संचालित हैं? उक्त मदरसों में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? मदरसावार विद्यार्थियों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत चार वर्षों में कौन-कौनसे मदरसे को सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि का अनुदान दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में जन सहभागिता के आधार पर किन-किन व्यक्तियों द्वारा कितनी-कितनी राशि कौन-कौनसे मदरसों के लिए दान में दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या प्राप्त दान राशि से उक्त वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं? यदि नहीं, तो कौन-कौनसे कार्य शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में संचालित पंजीकृत मदरसों एवं अध्ययनरत विद्यार्थियों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर की तहसील सलूम्बर के मदरसा कुतबिया तालिमुल इस्लाम, तुर्की दरवाजा अन्दर का शहर सलूम्बर पंजीयन संख्या-3145 को मदरसा सुविधा अनुदान राशि रुपये 5,000/- सत्र 2021-22 में जारी किये गये।

(3) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में विगत 04 वर्षों में जन सहभागिता के आधार पर कोई राशि नहीं दी गई।

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

(4) पंजीकृत मदरसों से प्राप्त सूचना अनुसार प्राप्त दान राशि शून्य है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परबतसर में संचालित अल्पसंख्यक विद्यालय

517. श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र परबतसर में अल्पसंख्यक विद्यालय संचालित है? यदि हां, तो कहां-कहां पर?

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक छात्रावास संचालित नहीं है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। उक्त विधान सभा क्षेत्र में अल्पसंख्यक छात्रावास खोलने की मांग होने पर राज्य सरकार के संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जायेगा।

औद्योगिक गलियारों का विकास

518. श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने प्रदेश में नये एवं पुराने औद्योगिक गलियारों का विकास किया है? यदि हां, तो उक्त के लिए भूमि उपलब्धता कैसे व किन नियमों से की गई है? किन-किनको भूमि आबंटन किन शर्तों पर किया गया है? विगत पांच वर्षों का विवरण सदन में रखें।

(2) औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए जिलेवार अपनाये गये मानदंड क्या हैं व उक्त संबंध में क्या-क्या योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं?

(3) क्या नये औद्योगिक गलियारे बनाने के लिए मांगें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्रवाई की गई? विगत चार वर्षों में औद्योगिक गलियारों के विकास के किये गये व्यय का बिन्दुवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केन्द्र एवं राज्य सरकार की सह-प्रवर्तित दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कोरीडोर परियोजना के अन्तर्गत खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र एवं जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराना निवेश क्षेत्र के प्रथम चरण में 532.30 है. निजी खातेदारी भूमि एवं एप्रोच रोड हेतु 26.65 है. निजी खातेदारी भूमि (कुल 558.95 हैक्टेयर निजी भूमि) की अवाप्ति हेतु रुपये 500.67 करोड़ का अवार्ड जारी कर मुआवजा भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र की भूमि अवाप्ति हेतु अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत दिनांक 02.12.2022 को जारी अधिसूचना के पश्चात् सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) हेतु अधिकृत एजेन्सी प्रभु फाउण्डेशन द्वारा SIA रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है, जिसके मूल्यांकन हेतु एक्सपर्ट ग्रुप का गठन दिनांक 04.07.2023 को किया जा चुका है।

उक्त भूमि अवाप्ति की कार्यवाही भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार की जा रही है।

गलियारा विकास के लिए अभी तक स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) को भूमि आबंटन नहीं किया गया है।

(2) औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिये जिलेवार मानदंड निर्धारित नहीं किये जाते हैं अपितु उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा संचालित निम्नानुसार विभिन्न निवेश प्रोत्साहन/उद्यम प्रोत्साहन योजनाओं के फलस्वरूप स्वत: ही आस पास के क्षेत्रों में रोजगार सृजन होता है:-

- **<u>राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019</u>**

रोजगार सृजन एवं औद्योगिक निवेश को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से दिनांक 17.12.2019 से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2019 लागू की गई थी, जो दिनांक 31.03.2026 तक प्रभावी है। इसके तहत उद्यमों के लिए रोजगार सृजन अनुदान का प्रावधान किया गया है।

- **<u>राज्य सरकार द्वारा दिनांक 07.10.2022 को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2022 जारी की गई है।</u>** योजना की प्रभावी अवधि मार्च 2027 तक है। इसमें भी पात्र उद्यमों के लिए रोजगार सृजन अनुदान का प्रावधान किया गया है।

(उद्योग मंत्री)

- **<u>मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना</u>**

प्रदेश में उद्यमों की सरल स्थापना एवं राज्य के सभी वर्गों के व्यक्तियों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का संचालन दिसम्बर-2019 से किया जा रहा है।

- **<u>मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना</u>**

राज्य में युवा उद्यमियों/उद्यमिता को प्रोत्साहित करने एवं शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वयं का रोजगार सृजन हेतु विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। योजना की क्रियान्वयन अवधि दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से दिनांक 31 मार्च, 2024 तक है।

- **<u>डा. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना</u>**

राज्य के औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार प्रदान करने एवं उनके द्वारा स्थापित उद्यमों में रोजगार सृजन के अवसर पैदा करने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 08.09.2022 को डा. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। योजना 31.03.2027 की अवधि तक प्रभावी है। योजनान्तर्गत अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक की परियोजना लागत पर परिलाभ देय है।

(3) नये औद्योगिक गलियारे बनाने के लिए मांगें प्राप्त नहीं हुई हैं।

विगत चार वर्षों में खुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र की 558.95 है. भूमि अवाप्ति के लिए 500.67 करोड रुपये के घोषित अवार्ड अनुसार, आदिनांक तक 438.34 करोड़ रुपये का मुआवजा भुगतान हितबद्धधारियों को अथवा जरिये रेफरेन्स माननीय न्यायालय को किया जा चुका है। शेष अवार्ड राशि के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु भूमि अवाप्ति के लिए सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट के मूल्यांकन की कार्यवाही राज्य सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। तत्पश्चात् ही भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार भूमि अवाप्ति प्रक्रिया पूर्ण कर हितबद्धधारियों को मुआवजा भुगतान की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन स्थानों का विकास

519. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार की तीर्थ स्थानों हेतु विकास के लिए कोई योजना है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में विगत तीन वर्षों में सरकार द्वारा किन-किन मंदिरों के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के कार्य स्वीकृत किये गये हैं?

(3) प्रदेश में धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन विकास के लिए विगत तीन वर्षों में सरकार ने क्या विशिष्ट कार्य किये तथा उक्त पर कितना व्यय किया गया एवं उक्त से पर्यटन गतिविधियों में कितना विकास हुआ?

उत्तर

(1) देवस्थान विभाग के स्तर पर तीर्थ स्थानों के विकास के लिए कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

(2) देवस्थान विभाग द्वारा विगत 03 वर्षों में कराये गये जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण हेतु स्वीकृत कार्यों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है तथा पर्यटन विभाग द्वारा विगत 03 वर्षों में करवाये गये विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) देवस्थान विभाग में विगत 03 वर्षों में आध्यात्मिक पर्यटन विकास पर व्यय राशि शून्य है।

पर्यटन विभाग द्वारा विगत 03 वर्षों में करवाये गये विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

बजट 2021-22 के पैरा सं. 213 के अंतर्गत ''राज्य में सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख हिन्दू तीर्थ स्थलों, जैन तीर्थ स्थलों, सिख तीर्थ स्थलों तथा मुस्लिम तीर्थ स्थलों के धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाये जायेंगे। इस पर 100 करोड़ की लागत आयेगी'' घोषणा की गयी है, जिसका विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

बजट वर्ष 2022-23 घोषणा पैरा सं. 55 के अंतर्गत ''धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से मंदिरों, मस्जिदों, दरगाह, गुरुद्वारे, चर्च तथा अन्य धर्मों के स्थलों का सर्वे कराकर चयन करते हुए आधारभूत संरचना के कार्य करवाये जायेंगे। इसी कड़ी में श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु जयपुर के आराध्य श्री गोविन्द देवजी मंदिर के पहुंच मार्गों का जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण

(देवस्थान मंत्री)

एवं जन सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा। साथ ही जयपुर के गलता गेट के समीप स्थित ईदगाह क्षेत्र के मार्गों का जीर्णोद्धार एवं जन सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा'' घोषणा की गई है। इसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 11.07.2023 को जारी कर दी गई है।

बजट वर्ष 2023-24 घोषणा पैरा संख्या 49 में जयपुर स्थित गोविन्द देवजी मंदिर का महाकाल, उज्जैन की तर्ज पर वृहद् विकास करने के लिए 100 करोड़ के प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है। इस संबंध में कार्यकारी एजेन्सी जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा घोषणा की क्रियान्विति की अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बोरावड़ नगरपालिका में नवीन बस स्टैण्ड का निर्माण

520. श्री रूपा राम (मकराना): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि नगरपालिका, बोरावड़ में बस स्टैण्ड का अभाव होने के कारण यात्रियों को बरसात एवं अन्य दिनों में असुविधा होती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नगरपालिका क्षेत्र में नवीन बस स्टैण्ड के भवन का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक प.16(न.पा.) (गठन) डीएलबी/21/3101 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा "बोरावड़" को नगरपालिका बनाया गया है। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा वर्तमान में इस नवीन नगरपालिका, बोरावड़ के पास बस स्टैण्ड निर्माण का कोई प्रस्ताव प्रस्तावित नहीं है।

ग्राम पंचायत, बोरावड़ द्वारा खसरा संख्या 238/2 रकबा 3 बीघा भूमि रोडवेज बस स्टैण्ड हेतु आबंटित की हुई है। उक्त भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 4661/1993 वर्तमान में विचाराधीन है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 21.09.1993 को स्थगन आदेश पारित कर उक्त भूमि की स्थिति यथावत रखने एवं प्राधिकारियों द्वारा निर्माण गतिविधियां रोके जाने हेतु आदेशित किया हुआ है।

(राज्य मंत्री, परिवहन)

उक्त के अतिरिक्त नगरपालिका, बोरावड़ में निगम स्वामित्व की अन्य कोई भूमि नहीं है।

निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण नगरपालिका, बोरावड़ में नया बस स्टैण्ड भवन निर्माण करवाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

सागवाड़ा में वनाधिकार के पट्टे

521. श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा विगत वर्षों में आदेश जारी कर आदिवासी क्षेत्र में कैम्पों के माध्यम से किसानों को वन अधिकार पट्टे देने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में कितने काश्तकारों को कब-कब कितने पट्टे जारी किये गये तथा कितने आवेदन विचाराधीन हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में कब्जाशुदा वन भूमि पर खेती करने वाले किसानों को बेदखल किया जा रहा है? क्या सरकार उक्त को वन अधिकार के तहत पट्टे जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विगत वर्षों में वनाधिकार पत्र जारी करने हेतु कैम्प लगाये गये हैं व सरकार द्वारा विशेष वनाधिकार अभियान चलाकर भी वनाधिकार हक पत्र वितरित किये गये हैं। विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में आदिनांक तक 1,115 व्यक्तिगत एवं 33 सामुदायिक वनाधिकार हक पत्र जारी किये गये हैं।

सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में 28 फरवरी, 2023 तक व्यक्तिगत वनाधिकार व सामुदायिक वनाधिकार दावा लम्बित नहीं है।

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2023 से जून, 2023 तक सामुदायिक वनाधिकार हेतु विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें प्राप्त दावे प्रक्रियाधीन हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में किसी भी दावेदार को बेदखल नहीं किया गया है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत पात्रता पूर्ण करने वाले दावेदार को हक पत्र जारी किया जाता है।

जिला वनाधिकार समिति को प्राप्त समस्त वनाधिकार दावों पर मासिक बैठक आयोजित कर निर्णय लिये जाते हैं।

विभागों को जनजाति विकास हेतु आबंटित राशि

522. श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विभाग अन्य विभागों को जनजाति विकास हेतु सहायता राशि का आबंटन करता है? यदि हां, तो विगत दो वर्षों में किस-किस विभाग को कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई? विभागवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या आबंटित की गई उक्त राशि का उपयोग सम्बन्धित विभाग द्वारा कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विभागवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा अन्य विभागों को सहायता राशि नहीं दी जाती है अपितु अन्य विभागों को योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राशि आबंटित की जाती है।

पिछले 02 वर्षों में विभागों को आबंटित राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

1. अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा संचालित कुसुम योजना कम्पोनेन्ट **"सी"** (व्यक्तिगत लाभ योजना) अन्तर्गत जनजाति वर्ग के कृषकों को ग्रिड बेस्ड पम्प सोलराइजेशन हेतु लाभान्वितों के 10 प्रतिशत अंशदान की राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा वहन किये जाने की बजट घोषणा के फलस्वरूप अजमेर /जोधपुर विद्युत निगम को उपलब्ध कराई गई है। आदिनांक तक राशि रु. 719.66 लाख निगमों को उपलब्ध कराई गई है।

2. अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण अन्तर्गत पिछले दो वर्षों में आबंटित राशि 58.26 लाख रु. का आबंटन किया गया।

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

3. कृषि एवं चिकित्सा संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राशि 9386.76 लाख रु. का आबंटन किया गया है।

आबंटन राशि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विभागों को योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु गत 02 वर्षों आबंटित सहायता राशि 101.64 करोड़ रु. में से 69.61 करोड़ रु. का व्यय किया जा चुका है। व्यय राशि का विभागवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। शेष राशि का व्यय प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जैतारण के सहायक अभियंता कार्यालय में लम्बित कृषि कनेक्शन

523. श्री अविनाश (जैतारण): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सहायक अभियंता कार्यालय, जैतारण (पाली) को विगत तीन वर्षों में कृषकों द्वारा कृषि कनेक्शन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा उक्त में से कितने कृषकों को कृषि कनेक्शन जारी किये गये व वर्तमान में कितने लम्बित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार कृषकों द्वारा कृषि कनेक्शन हेतु फाइल प्रस्तुत करते ही उनको शीघ्र कृषि कनेक्शन मिल जाए, ऐसी व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में नवीन कृषि विद्युत कनेक्शनों हेतु प्राप्त आवेदनों व जारी किये गये कृषि कनेक्शनों तथा मई, 2023 के अंत में लम्बित कृषि कनेक्शनों का वर्षवार, उप खण्डवार विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) प्रदेश में बूंद-बूंद/फव्वारा/डिग्गी योजना, अनुसूचित जाति तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र (किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति) के अनुसूचित जनजाति श्रेणी व सामान्य वर्ग श्रेणी के आवेदकों को तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर मांग पत्र जारी कर मांग पत्र जमा होने पर वरीयतानुसार थ्री फेज कृषि कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं।

01 जनवरी, 2013 से लम्बित सामान्य श्रेणी के आवेदकों को राहत

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट सत्र में 01 जनवरी, 2013 से 22 फरवरी, 2022 तक के समस्त बकाया लगभग 3 लाख 38 हजार सामान्य श्रेणी के कृषि विद्युत कनेक्शन के आवेदकों को आगामी दो वर्षों में कृषि कनेक्शन दिये जाने की घोषणा की थी। इसकी अनुपालना में वर्तमान में माह दिसम्बर, 2018 तक के आवेदकों को डिमांड नोटिस जारी किये जा चुके हैं एवं मांग पत्र जमा आवेदकों को वरीयतानुसार सतत प्रक्रिया के तहत कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं। माह जनवरी, 2019 से 22 फरवरी, 2022 तक के शेष पंजीकृत आवेदकों को मार्च, 2024 के अंत तक डिमांड नोटिस जारी कर कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रायसिंहनगर में किसानों को सौर ऊर्जा पर देय अनुदान

524. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा किसानों को सौर ऊर्जा पर अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में माह जनवरी, 2018 से माह जनवरी, 2023 तक कितने किसानों के अनुदान हेतु आवेदन प्राप्त हुए व कितने आवेदन स्वीकृत हुए? कितने किसानों को अनुदान दिया गया है व कितने आवेदन लम्बित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सौर ऊर्जा की पीएम कुसुम योजना कम्पोनेंट "ए" में अनुदान देने का प्रावधान नहीं है।

कुसुम योजना कम्पोनेंट "बी" आफ ग्रिड सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 30 प्रतिशत व केन्द्र सरकार द्वारा 30 प्रतिशत कुल 60 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। साथ ही राज्य के अनुसूचित जाति तथा जनजाति कृषकों को राज्य मद से राशि रु. 45,000 प्रति कृषक प्रति संयंत्र अतिरिक्त अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। माह जनवरी, 2018 से माह जनवरी, 2023 तक रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में कुल 1,984 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से 1,110 आवेदन स्वीकृत कर अनुदान दिया गया है तथा 874 आवेदन लम्बित हैं।

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

पीएम-कुसुम योजना के कम्पोनेन्ट "सी" के तहत किसानों के कृषि कनेक्शन पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर सिस्टम लगाये जाने की बेंचमार्क लागत या निविदा लागत (जो भी कम हो) उसका 30 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा व 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। उक्त योजना के नियमानुसार विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में 7.5 एच.पी. तक विद्युत भार वाले कृषि कनेक्शनों का कोई भी डेडिकेटेड फीडर न होने के कारण माह जनवरी 2018 से माह जनवरी, 2023 तक उक्त योजना के तहत किसी भी कृषि कनेक्शन को शामिल नहीं किया गया है।

अलवर में संचालित आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक औषधालयों में रिक्त पद

525. श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में प्रत्येक जिले में किस स्तर के कितने आयुर्वेदिक औषधालय, होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सालय संचालित हैं तथा विगत चार वर्षों में प्रदेश में कितने उक्त नवीन चिकित्सालय प्रारम्भ किये गये? जिलेवार, संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला अलवर में उक्त चिकित्सालयों व औषधालयों में कितने-कितने चिकित्सकों एवं परिचारकों के पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद भरे हुए हैं व कितने रिक्त हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में आयुर्वेद विभागान्तर्गत 3,784 आयुर्वेद चिकित्सालय/ औषधालय, होम्योपैथी चिकित्सा विभागांतर्गत 564 चिकित्सा इकाइयां तथा यूनानी चिकित्सा विभागांतर्गत 464 चिकित्सा इकाइयां संचालित हैं, जिनका जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

विगत चार वर्षों में राज्य में आयुर्वेद विभागान्तर्गत 85, होम्योपैथी चिकित्सा विभागांतर्गत 311 तथा यूनानी चिकित्सा विभागांतर्गत 183 चिकित्सा इकाइयां प्रारम्भ की गई हैं, जिनका जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

(2) अलवर जिले में आयुर्वेद, होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सा विभागान्तर्गत संचालित जिला चिकित्सालय, ब्लाक चिकित्सालय/चिकित्सालय एवं औषधालयों में चिकित्साधिकारियों एवं परिचारकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**पदनाम**	**स्वीकृत**	**कार्यरत**	**रिक्त**
आयुर्वेद विभाग				
1	चिकित्साधिकारी	276	218	58
2	परिचारक	154	84	70
होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग				
1	चिकित्साधिकारी	31	08	23
2	परिचारक	04	00	04
यूनानी चिकित्सा विभाग				
1	चिकित्साधिकारी	26	12	14
2	परिचारक	08	00	08

(3) जी हां। आयुष विभागान्तर्गत रिक्त पदों को भरने के लिए निम्न कार्यवाही की जा रही है:-

चिकित्साधिकारी- आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के 652, होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के 358 एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों के 249 रिक्त पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

परिचारक - विभागान्तर्गत परिचारक संवर्ग के रिक्त पदों को भरने हेतु प्रकरण परीक्षणाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

यूनानी चिकित्सकों के रिक्त पद

526. श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में यूनानी निदेशालय की स्थापना कब हुई? उक्त निदेशालय के अधीन कुल कितने पद स्वीकृत हैं व कितने भरे हुए हैं तथा कितने रिक्त हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

(2) यूनानी चिकित्सकों के कितने पद कहां-कहां स्वीकृत हैं तथा उक्त में से वर्तमान में कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में दिनांक 21.06.2010 को यूनानी निदेशालय की स्थापना की गई है।

उक्त निदेशालय के अधीन पदों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) विभागान्तर्गत यूनानी चिकित्सकों के 249 रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में विज्ञप्ति जारी कर दी गई है।

भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

परिशिष्ट

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं

सतीश पूनियां (आमेर)

आमेर की क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र आमेर में मुख्य निम्नलिखित सड़कों यथा-

1. सरदारपुरा से खन्नीपुरा सीमा।
2. राजावास से नांगल सिरस।
3. सहरिया फार्म से महेशपुरा (गोविन्दपुरा)।
4. टांटियावास टोल से आनंद लोक/स्वप्न लोक।
5. गौरावाली मोड़ (महेश्वासकलां) से अरावली सिटी मूण्डोता।
6. खोराबीसल से चतरपुरा वाया दादर।
7 कालवाड़-मूण्डोता सीमा से मूण्डोता।
8. चेतावाला से चिथवाड़ी।
9. खोराश्यामदास से राष्ट्रीय राजमार्ग दौलतपुरा।
10. नांगल पुरोहितान मुख्य संपर्क सड़क।
11. ग्राम कचहरेवाला (कूकस) स्टैण्ड से जोशीवालों की ढाणी, कूकस।
12. उदयपुरिया ग्राम मुख्य सम्पर्क सड़क।
13. दौलतपुरा पुलिया से बगवाडा ग्राम।
14. लबाना ग्राम मुख्य सम्पर्क सड़क।
15. भूरानपुरा नेस्तीवास से ग्राम पंचायत मुख्यालय लखेर तक अपूर्ण सड़क।
16. दिल्ली सड़क (एन. एच. 8) से चिथवाड़ी सीमा।

का निर्माण/नवीनीकरण नहीं होने से आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त सड़कों के नवीनीकरण हेतु आमजन द्वारा निरंतर मांग की जा रही है।

अतः मेरा आपसे आग्रह है कि जनहित को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त सड़कों का निर्माण/नवीनीकरण शीघ्रातिशीघ्र करवाये जाने का श्रम करावें।

उक्त विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का है। अतः मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अंतर्गत उक्त सड़कों के निर्माण/ नवीनीकरण के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर)

अजमेर में व्याप्त पेयजल संकट

महोदय, भाजपा सरकार में अजमेर में 48 घण्टे में पेयजल आपूर्ति होती थी, लेकिन आज बीसलपुर बांध भरा होने के बाद भी 72 से 96 घण्टे में पानी मिल रहा है। शहर में पेयजल का वितरण सिस्टम पूरी तरह चरमराया हुआ है। इंजीनियर्स की मिलीभगत के चलते कहीं 24 घण्टे में ही पानी मिल रहा है तो कहीं 96 घण्टे में भी पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है। पंचशील, वैशालीनगर, हरिभाऊ उपाध्याय नगर, ज्ञानविहार, शांतिपुरा, आतेड, किशनगंज, यू.आई.टी. कालोनी, कीर्ति नगर, राज कालोनी, स्वास्तिक नगर सहित सम्पूर्ण अजमेर क्षेत्र से प्रतिदिन पेयजल संबंधी शिकायतें मिल रही हैं। अजयसर, खरेकडी, हाथीखेड़ा, बोराज, लोहगल, माकड़वाली इत्यादि गांवों के तो और भी बुरे हाल हैं। यहां 6 दिन में एक बार ही पानी नसीब हो रहा है। असमान पेयजल आपूर्ति एक बड़ी समस्या है। पानी का समान वितरण हेतु ब्लंक मीटर लगाए जाएं ताकि जोन में कुल कितने पानी का वितरण हुआ, का मालूम हो सके। पेयजल लाइनें लीकेज एक बड़ी समस्या है। 30 प्रतिशत पानी लीकेज के चलते सड़कों पर बह जाना निश्चित ही चिंता का विषय है। व्यक्तिगत प्रयास से 13 ट्यूबवैल स्वीकृत हुए जो 31 मई तक खुदने थे, परंतु पूरी गर्मी निकल जाने के बाद भी महज 8 ट्यूबवैल ही खुद सके हैं। इसके लिए निश्चित ही इंजीनियर्स की लापरवाही सामने आई है जिन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। शहरवासी पेयजल समस्या से त्रस्त हैं। गुस्साए लोगों द्वारा स्थानीय जन-प्रतिनिधियों के नेतृत्व में कई बार प्रदर्शन तक किया जा चुका है, लेकिन परिणाम ढाक के तीन पात ही रहे हैं।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार "अजमेर में 48 घण्टे में पेयजल आपूर्ति करने एवं गंदे पानी व असमान वितरण के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किये जाने" की दिशा में संबंधित विभाग को पाबंद करते हुए आवश्यक कार्यवाही कराकर क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान करावें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा)

छीपाबड़ौद के श्री प्रेमसिंह सिंघवी राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत कार्मिकों के वेतन का भुगतान

महोदय, बजट घोषणा वर्ष 2019 की पालना में श्री प्रेमसिंह सिंघवी महाविद्यालय, छीपाबड़ौद (जिला बारां) को राजकीय कर दिया गया है, किन्तु महाविद्यालय में निरंतर सेवा दे रहे निजी कर्मचारियों को न तो समय पर वेतन दिया जा रहा है और न ही राजकीय सेवा में समायोजित किया जा रहा है। महाविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने के कारण अपने परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। महाविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को विगत 25 माह से वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे महाविद्यालय के कर्मचारियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। वेतन समय पर नहीं मिलने की वजह से दैनिक खर्चों की पूर्ति के लिए कर्मचारियों को कर्ज लेना पड़ रहा है। महाविद्यालय राजकीय होने के बाद भी सरकार द्वारा बजट नहीं दिया गया है, जिससे महाविद्यालय का दैनिक खर्चा, टेलीफोन व बिजली के बिल भरने में काफी परेशानी उठानी पड रही है।

आपसे निवेदन है कि श्री प्रेमसिंह सिंघवी राजकीय महाविद्यालय, छीपाबड़ौद के निजी कर्मचारियों का पिछले 25 माह से बकाया वेतन दिलवाए जाने एवं निजी कर्मचारियों को राजकीय सेवा में समायोजित किये जाने हेतु संबंधित विभाग को निर्देश प्रदान करने का श्रम करावें।

श्री अविनाश (जैतारण)

जैतारण की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण की पंचायत समिति, जैतारण व रायपुर में हर घर मीठा जल पहुंचाने की केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन योजना अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में टंकी व नई पाइप लाइन लगाने का कार्य ठेकेदारों द्वारा किया गया वह कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया गया। नई पाइप लाइन डालने के लिए सीसी सड़कें, डामर सड़कें व पीसीसी ब्लाक को तोड़ दिया। जल जीवन मिशन योजना में नई पाइप लाइन डालने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों का ठेकेदारों द्वारा पुनः मरम्मत किया जाना था, लेकिन नहीं की गई जिससे आये दिन दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं। तोड़ी गई सड़कों में अभी बरसात के पानी का रिसाव होने के कारण पाइप लाइन के आस-पास मकानों

में दरारें आ गईं व क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उक्त कार्य पूर्ण करने के बाद ही विभाग द्वारा सत्यापन करके संबंधित फर्म को किये गये सम्पूर्ण कार्य की राशि का भुगतान किया जाना था, लेकिन अधिकारियों ने ठेकेदारों के साथ सांठ-गांठ करके कार्य पूर्ण होने के पहले ही भुगतान कर दिया। मेरे द्वारा लिखित में विभाग के अधिकारियों को जी-शेड्यूल के अनुसार कार्य करने व क्षतिग्रस्त सड़कों को तुरन्त प्रभाव से ठीक करने हेतु अवगत करवाया गया था, लेकिन फिर भी विभागीय लापरवाही के कारण जल जीवन मिशन योजना में काम करने वाली फर्मों ने अधूरा कार्य करके भुगतान उठा लिया व जो सड़कें पूर्व की तरह ठीक करनी थीं, वो लम्बा समय बीत जाने के बाद ऐसी की ऐसी क्षतिग्रस्त पड़ी हुई हैं। उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण गांवों में सरकार के प्रति सरपंच, जन-प्रतिनिधि, जनता के मन में भारी आक्रोश है। समय रहते संबंधित फर्मों को सख्ती से पाबंद कर उक्त समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो गांवों में बड़े जन आंदोलन का सरकार को सामना करना पड़ेगा।

अतः मैं विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत जिन ठेकेदारों द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया, क्षतिग्रस्त सड़कों की पुनः मरम्मत नहीं की गई है, इनकी मरम्मत करवाकर तुरंत कार्य पूर्ण कराने का श्रम करावें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर)

सांगानेर में पेयजल की समुचित व्यवस्था

महोदय, बीसलपुर के पानी का स्टोरेज सांगानेर में है तथा लाइन भी यहां से पूरे जयपुर को जा रही है फिर भी सांगानेर प्यासा हैं। हमारे विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के भांकरोटा, अजमेर रोड, पिंजरापोल गौशाला के आस-पास, पूरा प्रताप नगर, टिब्बा टोल टैक्स, कालाबड़ फाटक के आस-पास, गोवर्धन नगर, कृषि नगर, गोविन्दपुरा, मदरामपुरा, जोतड़ावाला, शिकारपुरा, बंबाला, श्योपुर रोड, चक गैटोर, रीको कांटा क्षेत्र, दादूदयाल नगर, सुमेर नगर, कल्याणपुरा के आस-पास, पत्रकार के आस-पास, नारायण विहार, पृथ्वीराज नगर, गोपालपुरा, दुर्गापुरा क्षेत्र की सभी सैकड़ों कालोनियों में पेयजल का भारी संकट हो रहा है। एक-एक टैंकर 1,200 से 1,500 रुपयों में भी नहीं मिल रहा है। शहर में अधिकारियों की मिलीभगत से टैंकर माफिया पैदा हो गये हैं। मानसरोवर, गोपालपुरा, सांगानेर कस्बा, दुर्गापुरा में भी मात्र 10 मिनट से ज्यादा 2-4 बाल्टी पानी भी नहीं आ रहा है। जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। राजधानी जयपुर का यह भयावह दृश्य पहली बार देखना पड़ रहा है। बारिश में

सड़कों पर पानी भराव से लोग बाहर नहीं निकल सकते और घर पर नलों में पीने का पानी नहीं आ रहा है। सरकार और अधिकारी AC से बाहर नहीं निकलते हैं। आमजन त्राहि-त्राहि कर रहा है।

अतः मै मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि उक्त क्षेत्रों की कालोनियों में जल्द से जल्द बीसलपुर लाइन डलवाकर पानी की सप्लाई चालू करवाकर आमजन को राहत प्रदान करवायें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन)

कपासन में पेयजल एवं कृषि हेतु बनास नदी के पानी की उपलब्धता

महोदय, निवेदन है कि कपासन विधान सभा क्षेत्र में बहने वाली बनास नदी पर लगभग 40-50 वर्ष पूर्व 1289 MCFT क्षमता का मातृकुण्डिया में बांध बनाया गया। तत्कालीन समय में भीलवाड़ा शहर को पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मातृकुण्डिया बांध से मेजा फीडर नहर निकालकर मेजा बांध को भरा जाता रहा है। बांध की भराव क्षमता को देखते हुए 213 MCFT पानी हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड दरीबा (रेलमगरा), 50 MCFT पानी बनास नदी को रिचार्ज करने, 170 MCFT पानी गंगापुर व रेलमगरा के लिए आरक्षित किया गया। मेजा फीडर से मेजा बांध में पानी ले जाते समय फीडर के आस-पास के तालाब, आकोडिया, सोमी करजीया व ऊंचकिया बांध को भी भरा जाता रहा है।

भीलवाड़ा जिले को पेयजल के लिए चम्बल नदी से पानी मिलने लग गया है। अब भीलवाड़ा शहर के लिए मातृकुण्डिया बांध के पानी की आवश्यकता नहीं है। मातृकुण्डिया बांध से फीडर निकाल कर डिण्डोली बांध, तुम्बडिया बांध, सिहपुर बांध मुरोली बांध, जाडाना बांध तथा छोटे-बड़े तालाब भी भरे जा सकेंगे।

मातृकुण्डिया बांध से छोटी-छोटी नहरें निकाल करके किसानों को खेती के लिए भी पानी उपलब्ध हो सकेगा।

अतः किसानों की मांग को मद्देनजर रखते हुए भीलवाड़ा शहर के पानी के आरक्षण को समाप्त किया जावे तथा कपासन विधान सभा क्षेत्र के लिए पेयजल एवं कृषि के लिए पानी उपलब्ध कराने की महती कृपा करावें।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा)

मालपुरा को नवीन जिला बनाना

महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र का उप खण्ड मालपुरा ब्रिटिश काल से ही प्रमुख व्यापारिक एवं सांस्कृतिक नगरी के रूप में विख्यात रहा है। सन् 1950 से पूर्व जयपुर स्टेट के चार जिलों में से एक जिला मालपुरा भी था। मालपुरा ब्रिटिश शासनकाल से ही व्यापारिक दृष्टि से समृद्ध रहा है और "सरसों हब" के नाम से जाना जाता रहा है। मालपुरा में कृषि एवं केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केन्द्र के साथ सभी विभागों के कार्यालय एवं प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह सुसज्जित है। उप खण्ड टोडारायसिंह व मालपुरा की जनसंख्या क्रमशः 1,66,970 व 2,75,385 कुल 4,02,355 है। अरांई, पीपलू को मिलाकर यह 9,30,769 हो जाती है। मालपुरा से तहसील मुख्यालय अरांई की दूरी 35 किमी. व पीपलू उप खण्ड मुख्यालय की दूरी 35 किमी. है। टोडारायसिंह के 1,000 स्क्वायर किमी, मालपुरा के 1,490 स्क्वायर किमी., कुल 2490 स्क्वायर किमी. क्षेत्रफल में अरांई व पीपलू लगभग 1,000 स्क्वायर किमी., को मिलाकर कुल 3,490 स्क्वायर किमी. क्षेत्रफल से मालपुरा को नवीन जिला बनाया जाना चाहिए।

अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के मालपुरा को अरांई, पीपलू व टोडारायसिंह को मिलाते हुए नवीन जिला बनाये जाने की कृपा करें।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर)

अलवर को नवीन संभाग बनाना

महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रदेश में सरकार ने तीन नये संभाग बनाने की घोषणा की है, लेकिन अलवर को संभाग नहीं बनाया गया है जबकि अलवर को संभाग बनाने की मांग करीब दो दशक पुरानी है। अलवर जिला राजस्व देने के मामले में जयपुर को छोड़कर सबसे आगे रहा है। अलवर व भिवाड़ी जोन सभी प्रकार की जी.एस.टी. के रूप में हर साल करीब आठ हजार करोड़ रुपये का राजस्व केन्द्र व राज्य सरकार को देता है। अन्य जिले राजस्व देने के मामले में अलवर से काफी पीछे हैं। इसके बाद भी अलवर को संभाग नहीं बनाया गया है। संभाग का दर्जा प्राप्त करने के लिए अलवर का दावा अन्य जिलों से ज्यादा मजबूत था। इसके बावजूद भी अलवर को संभाग के दर्जे से वंचित रखा गया है।

राजनीतिक, प्रशासनिक, औद्योगिक, आर्थिक एवं अन्य मामलों में अलवर जिला भरतपुर एवं नये बनाये गये संभागों से सबसे अग्रणी है। अलवर को संभाग बनाने की मांग काफी पुरानी है और संभाग नहीं बनाने से क्षेत्र की जनता में काफी आक्रोश है तथा भविष्य में जन आंदोलन होने की संभावना है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 12 मई, 2023 को माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा अलवर में नवीन सचिवालय के उद्घाटन करते समय यह घोषणा की थी कि अलवर को संभाग बनाया जाएगा।

अतः इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि अलवर जिले को संभाग बनाने के आदेश जारी कर क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करने की कृपा करें।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा)

महवा में पेयजल की उपलब्धता

महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र महवा के 72 गांवों में जल जीवन मिशन योजना के तहत आधी राशि राज्य सरकार एवं आधी राशि भारत सरकार द्वारा पूर्व में स्वीकृत की जा चुकी है जिसका 80 प्रतिशत कार्य धरातल पर हो चुका है, लेकिन विपक्ष के राजनेताओं के दबाव में आकर के कार्य को रुकवा दिया गया है जिसके कारण 72 गांवों के लोगों में भारी आक्रोश है। पेयजल व्यवस्था कराना सर्व समाज के तमाम लोगों के लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अतः इस गंभीर मामले पर जलदाय विभाग को तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

बलीन, ढण्ड, पालोदा बीरासना, नांगल चरण-नांगल कोलरा-हल्दैना, अमोलक नगर, गगयाना, बरीतकी, बीरपुर, दूल्हापुरा, खेडला गदाली, पलानहेडा, सायपुर, सलेमपुर, केसरा खेडली-नारायण सिंह, नांगलमीना जटवाड़ा, रींदली, गोपालगढ़, नांदना, पाडला-नौरंगपुरा, सिंदुकी, अकबरपुर, अलापुर, आंतरहेडा, बीराना, भापुर, गुवारकी, बिरौंदा, धन्तुरी, ठेकडा, कमालपुर, करनपुर, खौहरी, लालपुर, मचान का पुरा, मोटुका, मुण्डफोडी, पाडली, पीपलखेड़ा, शीत, भोपर-शाहपुर, गोहण्डी मीना, जहाजपुर, कोण्डला, कोट, कुतकपुर, लांगड़ीपुरा, मान्यापुरा-बदनपुरा, मीना बेडिया, मोहनपुर, मुनापुरा, नांगलसुमेरसिंह, नौगांव, पाखर-।।, राजगढ़, सरावली, बीरगांव, गहनोली, जलालपुर, खेडलाबुजुर्ग, पाखर-।, पावटा-गुर्जरखेडिया, अलीपुर-तालचिड़ी, बहडखो, बाडाबुजुर्ग, भोपरटप्पा,

घोलखेडा, खौंचपुरी, नौरंगवाडा, पाली, शहदपुर, टीकरीजाफरान, विशाला आदि गांवों में पेयजल योजनाओं से संबंधित शेष कार्य को जल्द से जल्द करवाया जाना जरूरी है।

अतः इस अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले पर विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर मैं माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी से मांग करता हूं कि विधान सभा क्षेत्र महवा के उक्त उल्लेखित 72 गांवों के शेष कार्य को जल्दी से जल्दी प्रारम्भ कराया जाए, ताकि आम जनता को पेयजल मुहैया कराकर राहत दी जा सके।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना)

झालावाड़ के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर पदस्थापन

महोदय, शैक्षिक स्तर में मेरा विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण झालावाड़ जिला लगातार चार वर्षों से शिक्षा में पिछड़ता जा रहा है। महोदय, माह जुलाई, 2020 में झालावाड़ राजस्थान में शैक्षिक रैंकिंग में छठे स्थान पर था, जबकि उससे पहले माह जून 2019 में 21वें स्थान पर था। इसमें लगातार गिरावट आ रही है। जून, 2021 में 23वें स्थान पर पहुंच गया है। जुलाई, 2021 में सीधे ही 31वें स्थान पर पहुंच गया है जो एक गम्भीर मामला है। एक तरफ सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कर रही है तथा दूसरी तरफ लगातार शिक्षकों का स्थानान्तरण एवं सरकार की अनदेखी के कारण वर्ष 2019 में जहां 260 पद रिक्त हुए थे वहीं सरकार ने 2020 में पदों को भरने के बजाय 400 पद और रिक्त करके वर्ष 2022 में करीबन 100 शिक्षकों के स्थानान्तरण कर 700 पद रिक्त कर दिये जो लगभग 40 प्रतिशत हो गये हैं। इससे विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के छात्र-छात्राओं को आये दिन विद्यालयों में तालाबंदी एवं विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा छात्र-छात्राओं के साथ शिक्षा में खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या सरकार की यही मंशा है? मैंने बार-बार सदन को अवगत करवाया एवं शिक्षा मंत्री को अवगत कराने के बाद भी पद भरने की जगह लगातार रिक्त किये जा रहे है।

मैं तो मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि बारबार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानान्तरण के बारे में सम्पूर्ण राज्य के सभी जन-प्रतिनिधियों द्वारा अवगत करा दिया गया है, लेकिन स्थानान्तरण पर आपकी मंशा साफ नहीं है। आपने सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र में अध्यापक लगाने की जगह खाली करने का काम किया है। क्या सरकार सम्पूर्ण झालावाड़ जिले को शिक्षा में पिछड़ना देखना चाहती है? यदि नहीं, तो शीघ्र ही विधान सभा क्षेत्र में व जिले

के शिक्षक अन्य जिलों में पदस्थापित हैं, उनका शीघ्र स्थानान्तरण किया जाये, जिससे रिक्त पदों को भरा जा सके। अगर इस प्रकार पद रिक्त होते रहे तो ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राएं शिक्षा से वंचित रह जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि विशेष ध्यान देकर रिक्त पदों को भरा जाये।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना)

नीम का थाना में खनन करने वालों से ठेकेदार कम्पनी द्वारा अवैध वसूली

महोदय, मैं सरकार का और खासतौर से खनिज मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नीम का थाना उप खण्ड में स्वीकृत खनन पट्टों से निकलने वाले चेजा पत्थर पर रायल्टी वसूली का काम विभाग द्वारा मै. गैलेक्सी माइनिंग एवं रॉयल्टीज प्रा.लि. को ठेके पर दिया हुआ है। क्षेत्र के खनन पट्टा धारकों एवं क्रेशर मालिकों की शिकायतें आ रही हैं कि ठेकेदार द्वारा रायल्टी वसूली के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। सरकारी रायल्टी दर रुपये 49.28 के स्थान पर 65 रुपये प्रति टन के हिसाब से वसूली जा रही है।

इसी प्रकार अनधिकृत चैक पाइंट बनाकर फिनिश्ड गुड्स लेकर जाने वाले वाहनों को भी रोककर गेट पास/फर्जी वसूली पर्ची जारी कर अवैध वसूली की जा रही है। खनिज लेकर जाने वाले वाहनों में एक ड्राइवर होता है, जबकि ठेकेदार कम्पनी द्वारा क्षेत्र में जगह-जगह बड़ी संख्या में नाकों पर लठैत बैठाये जाते हैं जिनका न कोई पुलिस वेरिफिकेशन होता है, न ही उनके नामों की सूची खनिज विभाग या पुलिस से स्वीकृत कराई जाती है और न ही इनके कोई आई-कार्ड पहने होते हैं। ठेकेदार के नाकों पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, इससे क्षेत्र की महिलाएं एवं आमजनों में भय और असुरक्षा का माहौल रहता है।

ठेकेदार द्वारा अवैध खनन करने वालों से वसूली कर अपना गेट पास/ वसूली पर्ची जारी कर वैध का जामा पहना दिया जाता है। क्षेत्र में खान एवं क्रेशर मालिकों की एसोसियेशन द्वारा ठेकेदार कम्पनी द्वारा अवैध वसूली न रोके जाने पर आंदोलन की घोषणा की गई है। मेरा सरकार से निवेदन है कि अविलम्ब कार्यवाही कर अवैध वसूली रोकी जाये एवं जनता को राहत दी जाये जिससे आंन्दोलन की नौबत न आने दी जाये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण)

कोटा की आवासीय कालोनियों एवं कच्ची बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं

महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा शहर में कई आवासीय कालोनियां एवं कच्ची बस्तियां हैं जो काफी लम्बे समय से बसी हुई हैं। इन बस्तियों में बड़ी संख्या में पक्के मकान बन चुके हैं। इन बस्तियों में 35-40 वर्षों से बसी घोड़ा बस्ती, दुर्गा बस्ती, बंगाली बस्ती, उड़िया बस्ती, बंजारा बस्ती, गुर्जर बस्ती, झाडू बस्ती आदि बस्तियों में अभी तक सरकार ने पट्टे नहीं दिये हैं तथा केशवपुरा सेक्टर 4 में निगम व न्यास द्वारा सर्वे नही करने के कारण इन कालोनियों को भी पट्टे जारी नहीं हो पाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र के शिवपुरा हनुमान बस्ती, किशोरपुरा आदि को घड़ियाल अभयारण्य या वन विभाग की सीमा में होने के कारण पट्टे जारी नहीं किये गये जबकि सच्चाई यह है कि इन बस्तियों का कुछ भाग ही वन या घड़ियाल अभयारण्य की सीमा में है, बाकी एक बड़ा भाग अभयारण्य और वन सीमा से बाहर है।

वहीं दूसरी ओर बसी इन बस्तियों में जैसे अन्नतपुरा, बरडा बस्ती, केशर बस्ती, आंवली रोझड़ी, नयागांव, भदाना, तालाब बस्ती, हरिजन बस्ती, जगपुरा में सूर्य नगर बस्ती, सकतपुरा क्षेत्र में करणी नगर बस्ती, सालकिया बस्ती, उम्मेदगंज तालाब की पाल में 2 लाख से अधिक लोग 35 वर्षों से भी अधिक समय से इन बस्तियों में निवास कर रहे हैं। इन बस्तियों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क इत्यादि जीवन-यापन के लिये आवश्यक चीजें भी न होने के कारण लोग बहुत ही दयनीय स्थिति में एक तरह से नारकीय जीवन जी रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों की नजरों के सामने ये बस्तियां बसी हैं, उसके बाद भी वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी नाजायज वसूली के लिये मकानों को तोड़-फोड़ कर परेशान किया जाता है।

अतः मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि इन वंचित बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाकर, इन बस्तियों को पट्टे दिये जायें।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना)

घरेलू एवं कृषि विद्युत उपभोक्ताओं से अधिभार की वसूली

महोदय, निवेदन है कि वर्तमान में सरकार द्वारा प्रदेश के आमजन को गरीबी राहत शिविरों के माध्यम से निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराने का भ्रामक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता में इसके विपरीत बिजली कम्पनियों द्वारा प्रदेश के आमजन को भेजे जा रहे बिजली बिलों में भरपूर अनियमितता कर अवैधानिक वसूली कर लूटा जा रहा है। पूर्व में बिजली मीटर में विद्युत खर्च का पठन दो माह में लिया जाता था, जिसमें सभी प्रकार के शुल्क यथा स्थाई शुल्क, फ्यूल सरचार्ज, नगरीय उपकर इत्यादि भी दो माह पर ही लगता था। उपरोक्त विभिन्न शुल्क बिजली कम्पनियों द्वारा मनमर्जी से प्रतिमाह कर आम नागरिकों को प्रतिमाह बिजली बिल भेजे जाने लगे। वर्तमान में सरकार के निःशुल्क बिजली योजना के भ्रामक प्रचार के दौरान पूरे प्रदेश में बिजली कम्पनियों द्वारा 10 से 15 दिन के बीच में ही बिजली बिल भेजे जा रहे हैं जिससे आम नागरिकों पर तीन गुना से ज़्यादा आर्थिक भार पड़ रहा है और प्रदेश का आम नागरिक स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहा है। बिजली में 2018 के बाद सरचार्ज बढ़ाया गया। पहले पर - यूनिट रेट 9 पैसे थे जो अब बढ़ाकर पर-यूनिट 55 पैसे कर दिये गये हैं। बिजली की वर्ष 2018 में पर-यूनिट 5 रुपये 55 पैसे रेट थी जो अब 11 रुपये 55 पैसे कर दी गई है। इससे गरीब लोगों पर भार बढ़ा है। राज शिविरों में पशुओं का बीमा किया जा रहा है। किस आधार पर किया जाता है? किसके पास पशुधन है या नहीं, यह गारंटी कार्ड देकर गुमराह किया जा रहा है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि उक्त बिजली की दर कम की जाये और आमजन को गुमराह नहीं किया जाये तथा समय पर बिजली दी जाये।

श्री अमृतलाल मीना (सलूम्बर)

सलूम्बर की क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण

महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सड़क डामरीकरण करने के लिए पूर्व में सड़कें स्वीकृत की हुई हैं तथा बरसात होने के कारण कई स्थानों पर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उक्त विधान सभा क्षेत्र की सड़कों का निर्माण स्टेट हाईवे 32-ए चौड़ाईकरण व नवीनीकरण, जयसमंद, झाड़ोल, डिगरी, केजड़, चावण्ड, सराड़ा तक, सड़क डामरीकरण, इटाली से खैरुआ सड़क डामरीकरण, गुडियावाडा सड़क डामरीकरण, गोपालपुर सड़क

डामरीकरण, चावण्ड से ससेई, खोडी महुड़ी सड़क डामरीकरण, झाडोल से श्यामपुर महुडी सड़क डामरीकरण, सल्लाड़ा से बस्सी सड़क डामरीकरण, ओडा से जावर माइंस, पाइला से खाखादरा सड़क चौड़ाईकरण, पलोदड़ा से देवपुरा सड़क डामरीकरण, झाड़ोल से वैजपुर उदपुरिया सड़क डामरीकरण, सल्लाड़ा से खैतावतों का वाड़ा होते हुए कन्तौड़ा सड़क, सल्लाड़ा से कन्तौड़ा सड़क डामरीकरण, सल्लाड़ा से बुटावला, कन्तौड़ा, बरोड़ा से नोली ईटाली तक, रेलवे फाटक सुखेड़ा से नावड़ा बाणा सड़क डामरीकरण, अजबरा से वगुरूवा, ओड़ा तक सड़क डामरीकरण, केवड़ा से नाकोली सड़क डामरीकरण, सीगटवाड़ा से पीपलदरा सड़क डामरीकरण, बाबरमाल से मोरीफलां सड़क डामरीकरण, झाड़ोल से गरमालाघाटी, गरमालाघाटी से घरमाला स्कूल तक सड़क डामरीकरण, सर्सियां नाकाफला से आड़ावैला, गौरव पथ, ओड़ा जावर माइन्स मैन सड़क से इन्द्र/गौतम के घर तक, ओड़ा व डागला फलां से छोटी धामदर (ओड़ा तक) जो वर्ष 2017 में स्वीकृत है, लेकिन अभी तक प्रारम्भ नहीं हुई है। हरघाटा शिक्षाकर्मी स्कूल से मौकावाली घाटी बेड़ा बलुआ वर्ष 2017 में सड़क स्वीकृत हो गई थी। सड़क चौड़ाईकरण रठौड़ा से सेमारी, लोदा से ईडाणाजी, ईडाणा से फिला तक।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि उक्त सड़कों का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र करने का श्रम करें।

श्री बिहारीलाल (नोखा)

नोखा को नवीन जिला बनाना

महोदय, नोखा को जिला बनाने को लेकर पिछले कई सालों से नोखा में हस्ताक्षर अभियान व अन्य माध्यमों से मांग की जा रही है। नोखा क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जिला बनने की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

नोखा विधान सभा क्षेत्र के कई गांव बीकानेर जिला मुख्यालय से 120 किमी की दूरी पर स्थित हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को प्रशासनिक, शैक्षणिक तथा चिकित्सा सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। नोखा में जिला स्तर का जिला अस्पताल संचालित है. जिला परिवहन कार्यालय संचालित है। सहायक निदेशक कृषि कार्यालय, उप खण्ड कार्यालय, रीको औद्योगिक क्षेत्र, एशिया की सबसे बड़ी मोठ मण्डी, कृषि मण्डी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय व राजकीय कन्या महाविद्यालय सहित विभिन्न सरकारी कार्यालय संचालित हैं।

नोखा क्षेत्र रेल सेवा के माध्यम से दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता सहित सभी महानगरों से सीधा जुड़ा हुआ है। कृषि के क्षेत्र में नोखा क्षेत्र का अपना विशिष्ट स्थान है। नोखा विधान सभा क्षेत्र में नोखा व जसरासर तहसील मुख्यालय, पांचू उप-तहसील मुख्यालय, पांचू व नोखा पंचायत समिति मुख्यालय, नगरपालिका मुख्यालय, वृत्ताधिकारी कार्यालय व तीन पुलिस थाना नोखा, पांचू व जसरासर हैं। जिला बनाने हेतु नोखा सभी मापदण्ड पूरा करता है, इसलिए जनभावनाओं को देखते हुए नोखा को जिला बनाया जाए।

श्री राकेश पारीक (मसूदा)

गुर्जरों सहित अन्य जातियों को शैक्षणिक संस्थाओं में एम.बी.सी. वर्ग का लाभ

महोदय, राजस्थान में निवास करने वाली गुर्जरों सहित पांच अन्य जातियों को शैक्षणिक संस्थाओं में एम.बी.सी. वर्ग का लाभ दिलवाये जाने का श्रम करें जिससे इन जातियों के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा का लाभ मिल सके। इसके लिए राजस्थान में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को भी ओ.बी.सी. वर्ग में न मानकर एम.बी.सी. वर्ग में माना जाये। भले ही इनके पास ओ.बी.सी. का प्रमाण पत्र हो। ऐसा आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाना चाहिए, ताकि उक्त जातियों के छात्र-छात्राओं को छात्रावासों व उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु लाभ मिल सके।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा)

पीपल्दा में चम्बल सिंचित क्षेत्र में जीर्णोद्धार कार्य

महोदय, वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अन्तर्गत चम्बल सिंचित क्षेत्र में जल सिंचन एवं जल निकासी तथा ड्रेनेज जीर्णोद्धार के तहत विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में स्वीकृत कार्य अब तक पूरे वेग में प्रारम्भ नहीं होने, कार्य समय पर करवाने हेतु संवेदक द्वारा पूरे संसाधन नहीं लगाने से शिथिलता एवं लापरवाही प्रदर्शित हो रही है। इटावा खण्ड में स्वीकृत 6.80 करोड़ रुपये का कार्य कछुआ चाल से चल रहा है। विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में 10 प्रतिशत कार्य पूरा नहीं हुआ है। करवाये जा रहे कार्य निर्धारित मानदण्डानुसार नहीं हो रहे हैं तथा गुणवत्ता तथा शुद्धता बहुत ही हल्की है। अनेक स्थानों पर निजी व्यक्तियों द्वारा डाले गये पाइप नहीं हटाने, आवश्यक स्थानों पर सही नाप के पर्याप्त संख्या में पाइप नहीं डाले जाने तथा पुलिया

निर्माण नहीं करने से जल निकासी में अवरोध हो रहा है। गिट्टी-सीमेण्ट निर्धारित मात्रा में नहीं होने से जंगली पौधे एवं झाड़-झंखाड़ समय से पूर्व ही पैदा होने लगे हैं। किये गये निर्माण कार्य समय से पूर्व ही क्षतिग्रस्त होने लगे हैं।

इस हेतु अतिरिक्त बजट राशि स्वीकृत की जाने पर शेष रहे कार्य (Left over work) को भी करवाया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 8 वर्ष पूर्व तैयार डी.पी.आर. के आधार पर राशि का किया गया आकलन सही नहीं है।

हाल ही में हुई हल्की सी बरसात में ही जल भराव के कारण किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं। बरसाती तथा नहरी पानी के कारण भूमि, भवनों और फसलों की भी बरबादी हो रही है।

अतः अनुरोध है कि विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में दायीं मुख्य नहर खण्ड प्रथम कोटा, खण्ड द्वितीय अन्ता एवं खण्ड तृतीय इटावा में नवीन ड्रेन एवं ड्रेनेज जीर्णोद्धार के कार्यों को अतिशीघ्र ही सम्पादित करवाये जाने के लिए पर्याप्त संसाधन लगाये जायें, अन्यथा उदासीन ठेकेदार को हटाकर नये ठेकेदार नियुक्त किये जायें, ताकि राज्य सरकार द्वारा किये जाने वाले तथा स्वीकृत कार्यों को निर्धारित गुणवत्ता एवं मानदण्डानुसार करवाये जाने पर आमजन एवं किसानों को समय पर फायदा मिलना संभव हो सके।

श्री अमित चाचाण (नोहर)

नोहर को नवीन जिला बनाना

महोदय, निवेदन है कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के उप खण्ड नोहर-भादरा, रावतसर, तहसील पल्लू एवं उप तहसील साहवा (जिला चूरू) की ओर ध्यान आकर्षित कर नोहर को जिला बनाने की स्थिति से अवगत करवाना चाहता हूं-

1. तहसील भादरा हनुमानगढ़ जिले में आता है जिसकी दूरी मुख्यालय से 140 किमी. दूर है। भादरा का अंतिम गांव 170 किमी दूर है। आमजन एक दिन में मुख्यालय जाकर अपना राजकीय कार्य नहीं कर सकता।
2. तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ मुख्यालय के अंतर्गत आता है, जिसकी दूरी 100 किमी. है। नोहर के गांव पाण्डूसर, टिडियासर 150 किमी. की दूरी पर पड़ते हैं जो कि आमजन के लिए अत्यधिक दूरी पर हैं।
3. तहसील पल्लू जो जिला हनुमानगढ़ मुख्यालय के अन्तर्गत आता है। जिसकी दूरी 90 किमी. है। पल्लू का दूरस्थ गांव केलनिया मुख्यालय से 120 किमी. की दूरी पर है।

उपरोक्त तीनों तहसीलों से आमजन एक दिवस में हनुमानगढ़ मुख्यालय में राजकीय कार्य करवाकर पुनः अपने घर शाम को वापस नहीं आ सकते।

उप खण्ड नोहर को नवीन जिला बनाने के लिए उप खण्ड नोहर, उप खण्ड भादरा, उप खण्ड रावतसर, तहसील पल्लू एवं उप खण्ड तारानगर की उप तहसील साहवा को मिलाकर नोहर उप खण्ड को नया जिला मुख्यालय बनाये जाने पर आमजन, काश्तकारों व राज्य हित में रहेगा जिससे लाभ निम्न प्रकार से हैं-

उप खण्ड नोहर से भादरा 40 किमी., रावतसर 40 किमी., तहसील पल्लू 60 किमी., साहवा 40 किमी. की दूरी पर जिला मुख्यालय होगा अर्थात् नोहर, भादरा, रावतसर, पल्लू साहवा के मध्य में स्थित है जिससे आम आदमी, काश्तकार अपना राजकीय कार्य कर नोहर से अपने घर शाम को वापस लौट सकता है।

नोहर मुख्यालय पर जिला स्तर के सभी राजकीय कार्यालय जैसे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला परिवहन कार्यालय, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन के कार्यालय आदि वर्तमान में कार्यरत हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आमजन/काश्तकारों के हितों के मद्देनजर नोहर को जिला बनाया जाना राज्य सरकार के हित में रहेगा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

उदयपुर ग्रामीण के विद्यालयों में नवीन कक्षा कक्षों का निर्माण तथा शिक्षकों का पदस्थापन

महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की ग्राम पंचायत देवाली में उच्च माध्यमिक विद्यालय चल रहा है, लेकिन उक्त विद्यालय में चार ही कमरे बने हुए हैं तथा 12वीं तक विद्यालय चलने की वजह से चार कमरों में पढ़ाई हो रही है। दो वर्ष से विभिन्न संस्थाओं को ज्ञापन के माध्यम से व विधान सभा में भी इस मुद्दे को अवगत कराने के बाद भी आज तक न तो जमीन आबंटित हुई है तथा न ही भवन बनाने की अनुमति मिल रही है। अगर भवन बनाते हैं तो यहां जगह नहीं है और नया भवन बनाने के लिये जमीन नहीं है, इस कारण जिला कलेक्टर को भी अनेक बार इस संबंध में अवगत करवा दिया गया है, लेकिन उचित समाधान नहीं मिला।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरी ग्राम पंचायत देवाली में जमीन आबंटित करके भवन का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र करवाया जाये, जिससे विद्यार्थियों को उचित शिक्षा मिल सके।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर)

जोधपुर के उम्मेद सागर को अतिक्रमण मुक्त कराकर पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकास

महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान जोधपुर के चौपासनी स्थित रियासतकालीन उम्मेद सागर बांध की ओर आकृष्ट कर निवेदन करती हूं कि यह बांध जोधपुर के भैरवाभाखर अखेराज जी का तालाब, चांदणा भाखर, सूंथला, चौपासनी पहाड़ियों के वर्षा जल और कायलाना-तख्त सागर के ओवरफ्लो से प्राप्त जल के संधारण और संरक्षण के लिए बनाया गया था। इस हेतु भैरवाभाखर से एक नहर उम्मेद सागर तक बनी हुई है जो कि सरकार की उपेक्षा से खस्ताहाल है। इस बांध की भूमि और इसके केचमेंट एरिया की विशाल भूमि पर बड़ी संख्या में षड्न्त्रपूर्वक अतिक्रमण करवाये गये हैं। यह बांध श्रीवल्लभ सम्प्रदाय के श्रीनाथ जी की विश्राम स्थली और श्री श्याम मनोहर प्रभु के श्रीमन्दिर से जुड़ा है। इससे संलग्न सुन्दरबालाजी पहाड़ी से सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य अत्यधिक मनोहारी और नयनाभिराम होता है। इस बांध और संलग्न क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने से हमें संलग्न पहाड़ी क्षेत्र के वर्षा जल को संरक्षित करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही हम इसे कायलाना-तख्त सागर की पूरक पेयजल भण्डारण केन्द्र के रूप में विकसित कर सकते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण है कि हम इसे पर्यटन आकर्षण का बहुत बड़ा केन्द्र बनाकर जोधपुर आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों का ठहराव बढ़ाने में सफल हो सकते हैं।

मेरी मांग है कि उम्मेद सागर बांध की भूमि और उसके कैचमेंट एरिया पर हुए अतिक्रमणों की जांच की जावे, यहां अवैध रूप से जमे अतिक्रमियों के मूल निवास के क्षेत्रों में ही इनकी पुश्तैनी मालिकाना भूमि पर इनका पुनर्वास किया जावे। इन अतिक्रमणों में फर्जी दस्तावेज देने वाले और फर्जी दस्तावेज को प्रमाणित करने वालों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्यवाही की जाकर समस्त अतिक्रमणों को हटाया जावे और इसे वर्षा जल संरक्षण इकाई, पेयजल भण्डार इकाई और पर्यटन आकर्षण केन्द्र के रूप में विकसित किया जावे।